खण्ड-333, अंक-1
मंगलवार, 19 वैशाख, शक संवत् 1900
(9 मई, 1978 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 333 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1978

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1
प्रश्नोत्तर	4
भूतपूर्व सदस्य, श्री अवध नरायन प्रताप सिंह के निधन पर शोकोद्‌गार ..	46
व्यवस्था का प्रश्न	47
श्री आरिफ मोहम्मद खां के निलम्बन की अवधि कम करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	48
उन्नाव जनपद के ग्राम सूबेदार खेड़ा निवासी श्री शंकर पुत्र फकीरे के यहां पड़ी डकैती तथा पुलिस की निष्क्रियता के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	53
माता आनन्दमयी चिकित्सालय, वाराणसी के कर्मचारियों द्वारा अनशन के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन कें संज्ञान में लाना	53
देवरिया जनपद में चोरी, डकैती तथा कत्ल की बढ़ती घटनाओं के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	54
जिला आगरा के अगुआपुरा में डाक्टर अम्बेदकर की प्रतिमा को तोड़े जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	55
राज्य सड़क परिवहन निगम की गोरखपुर व बर्डघाट डिपो में सैकड़ों गाड़ियों के खराब पड़ी रहने से जनता को कठिनाई के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	56
देवरिया जनपद के चिकित्सालयों में कुत्ता काटने के इंजेक्शन के आभाव के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	56
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 42वां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	57
बढ़े हुए लगान से संबंधित नियम 52 के अन्तर्गत होने वाली चर्चा का कार्य सूची में सम्मिलित न होने क सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	58
दैनिक हिन्दुस्तान के सम्पादक तथा पत्र के गोरखपुर स्थित संवाददाता के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	58
सर्वश्री नारायणदत्त तिवारी, मन्जूर अहमद व डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं ..	60
मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	60
श्री सत्य प्रकाश मालवीय को मंत्रि-परिषद से हटाये जाने के संबंध में श्री अध्यक्ष द्वारा अपेक्षित वक्तव्य कार्य सूची में न होने पर आपत्ति ..	61
अधिष्ठाता मंडल में श्री त्रिलोक चन्द, सदस्य, विधान सभा के नाम-निर्देशन की घोषणा	62

2132

विषय	पृष्ठ-संख्या
दिनांक 18 अप्रैल, 1978 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में संशोधन हेतु नियोजन राज्य मंत्री का शोधन वक्तव्य ..	62
दिनांक 25 अप्रैल, 1978 को श्री कल्याण सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उत्तर में संशोधन हेतु नियोजन राज्य मंत्री का शोधन वक्तव्य	63
वाराणसी की पुलिस द्वारा श्री रमाशंकर सिंह उर्फ लल्लू सिंह को उनके घर से बाहर ले जाकर गोली मारने की घटना के संबंध में वक्तव्य ..	63
गोरखपुर मंडल में चेचक के भीषण प्रकोप के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	64
उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 1977 को वापस लेने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	67
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	67
श्री सत्य प्रकाश मालवीय को मंत्रि-परिषद से हटाये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग	71
1978–79 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 9––भूमि और भवन कर, अनुदान संख्या 34––मल निकासी व्यवस्था तथा जल सम्पूर्ति, अनुदान संख्या 36––नगर विकास, अनुदान संख्या 67––सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान, अनुदान संख्या 70––स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण, अनुदान संख्या 75––सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92––ऋण और अग्रिम––स्वायत्त शासन तथा अनुदान संख्या 93––ऋण और अग्रिम–सहायता एवं पुनर्वासन (स्वीकृत)	79
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	108
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद की स्थापना तथा वहां पर कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों की नियुक्तियों तथा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत होने वाली चर्चा का समाप्त होना	109
नत्थियां	110

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार 9 मई, 1978 2132

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—305

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदयनाथ, श्री
उदित नरायन, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कालीचरन, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्ण राय, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
छदा सिंह चौहान, श्री
छोटेलाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय' श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर

जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीप नरायन, श्री
दीनानाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलबीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबूराम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज' श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बिन्दू लाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बूज लाल, श्री
बंचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
ब्रज वल्लभ, श्री
भगवती चरण 'निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्नालाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मिठाई लाल, श्री
मिलसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री

मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राज बृजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसर अग्निहोत्री, श्री
राम आसर वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम चरन शाह, श्री

राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम लखन, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ, चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री

शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्यामदत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्यामधर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्री चन्द, श्री
श्री नारायण, श्री (उर्फ मुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
मखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हबीब अहमद, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरि केवल प्रसाद, श्री
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट:—हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री, श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 9 मई, 1978

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

**1—श्री आरिफ मोहमद खां—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवाओं से निलम्बित होने के फलस्वरूप निरस्त]

स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क का बाजार मूल्य पर निर्धारण

**2—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद) —

क्या सरकार को जानकारी है कि विदेशी शासन ने निबन्धक विभाग का गठन विभाग की जन-उपयोगिता को सुरक्षित रखने के ध्येय से किया था न कि राजस्व अर्जन के उद्देश्य से ? क्या यह भी सही है कि आपातकाल में शासन ने ऐसा आदेश प्रसारित किया था कि विक्रय पत्रों आदि में विक्रय धन के स्थान पर काल्पनिक बाजारी मूल्य पर स्टाम्प शुल्क अथवा निबन्धन शुल्क वसूल किया जाय ? यदि हां, तो सरकार ऐसे आदेश को अविलम्ब समाप्त करने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)---

यह कहना तथ्यों से परे है कि निबन्धन अधिनियम का प्रयोग राजस्व अर्जन के लिये किया जाता है। 1970 से पूर्व स्टाम्प अधिनियम क अन्तर्गत लेखपत्र में उल्लिखित मूल्य पर ही स्टाम्प शुल्क देय था। कम मूल्य दिखाकर सम्पत्ति के निबंधन से स्टाम्प शुल्क के अपवंचन की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिये 1970 में पहली बार स्टाम्प अधिनियम में संशोधन करके उसकी अनुसूची 1-ख के आर्टिकल 23 में यह प्राविधान किया गया कि स्टाम्प शुल्क, लेखपत्र में उल्लिखित राशि या सम्पत्ति के बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, पर देय होगा। सम्पत्तियों के मूल्यों में भारी वृद्धि हो जाने के कारण 1976 में स्टाम्प नियमावली में संशोधन करके इस आशय का प्राविधान भी किया गया कि सम्पत्ति का बाजार मूल्य संशोधित नियम 341 में उल्लिखित आधारों के अनुसार निकाले गये मूल्यांकन से कम न होगा। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि लेखपत्रों के निबंधन शुल्क की दरों में वर्ष 1976 में कोई संशोधन नहीं किया गया। संशोधित नियम 341 में जो सिद्धान्त निहित हैं उनके संबंध में कोई विशिष्ट लिखित प्रत्यावेदन शासन के पास नहीं आया है यदि ऐसा कोई प्रत्यावेदन आता है तो उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने बताया कि मारकेट वैल्यू के आधार पर रजिस्ट्रेशन को फीस ली जाती है। इस समय समस्त प्रदेश में भिन्न-भिन्न प्रकार की दरें जमीन के सम्बन्ध में हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई ऐसे नियम बना रक्खे हैं, जिसके आधार पर मार्केट वेल्यू निर्धारित की जाती है या जिलाधिकारियों को ऐसी कोई छूट दे रक्खी है कि वे स्वत: अपनी मर्जी के अनुसार उसे तय करें ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी---

स्टैम्प ऐक्ट में पहले से ही उसके लिये प्राविधान है और नियमावली में भी कुछ सिद्धान्त निर्दिष्ट कर दिये गये हैं, जिनके आधार पर न्यूनतम मार्केट वैल्यू निर्धारित की जाती है फिर भी यदि इस सम्बन्ध में कभी कोई विवाद उठ खड़ा होता है, तो वह मामला कलेक्टर के पास जाता है और जिलाधिकारी दोनों पक्षों का साक्ष्य लेकर, तथ्यों के आधार पर और अपने विवेक से उस सम्बन्ध में निर्णय करता है कि अमुक सम्पत्ति कितने मूल्य की है।

श्री रियासत हुसैन---

जब सरकार किसान की भूमि लेती है और उसका कम्पेन्सेशन किसानों को देती है, तब उस जमीन का मार्केट रेट वह नहीं लगाया जाता जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर लगाया जाता है तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे इन दरों की भिन्नता समाप्त कर कोई ऐसा सिद्धान्त निर्धारित करेंगे, जिससे जमीन का रेट समान रूप से निर्धारित किया जाय ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी---

इसकी तो जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी जब कोई विशिष्ट मामला इस तरह का हमारे सामने बताया जाय। इस वक्त इसका क्या उत्तर दिया जा सकता है ? कोई विशिष्ट मामला आप बतायें तो उसको जानकारी की जा सकती है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

प्रत्येक गांव में जमीन की क्वालिटी क, ख और ग किस्म की होती है और उनकी दरें भि। भिन्न-भिन्न होती हैं। इसी प्रकार शहरों में भी अलग-अलग मोहल्लों में जमीन की दर भिन्न-भिन्न होती है, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि कोई समान सिद्धान्त ऐसा निर्धारित किया जाय, जिसके आधार पर जमीन की कीमत नियत की जा सके और तहसीलदार अथवा कलेक्टर को जो अधिकार दे रक्खे हैं, मनमानी करने के, वे खत्म हो सकें। ऐसा करने से जो अक्सर

विवाद खड़े हो जाते हैं जमीन के मूल्यांकन के सम्बन्ध में वे नहीं हो सकेंगे और लोग उसी के अनुसार रजिस्ट्रों का शुल्क भी दे दिया करेंगे। क्या सरकार इस पर विचार करेगी?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, मैंने अपने लिखित उत्तर के अन्तिम भाग में कह दिया है कि यदि इस प्रकार का कोई लिखित रूप में सुझाव आता है, तो उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

मैं माननीय संस्थागत वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि रजिस्ट्रार के आफिस में जमीन की बिक्री के सारे रिकार्ड्स मौजूद रहते हैं और जो अधिकतम मूल्य जमीन का रजिस्ट्रार आफिस में पाया गया, उसके आधार पर दुगुना और तिगुना मूल्यांकन रजिस्ट्रेशन के समय किया जाता है? यदि यह सही है, तो क्या वह इस सिद्धान्त को मानने के लिये तैयार हैं कि जो जमीन के अधिकतम मूल्य पर रजिस्ट्रेशन हो, उसके आधार पर मूल्य लेने के लिये तैयार हैं?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

लेखपत्र में जो भी मूल्य दिया होगा, उसके आधार पर अथवा जो न्यूनतम मूल्य है, उसमें जो अधिक होगा, उसके आधार पर स्टैम्प शुल्क लगेगा। माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि किसी रजिस्ट्रेशन आफिस में अधिकतम मूल्य भी हो सकता है, तो यह किसी विशिष्ट मामले में की बात है, कि किसी मामले में किसी कारण से कम मूल्य दिखा दिया या किसी में अधिक मूल्य दिखा दिया, तो केवल एक-दो लेखपत्र के आधार पर यह मूल्य नहीं माना जा सकता है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि जितने रजिस्ट्रार आफिस, सब-रजिस्ट्रार आफिस हैं, वहां पर सरकार ने हर गांव के जो रेवन्यु विलेज हैं, वहां पर भूमि की कीमत पहले से लिखकर भेज दिया है और जब रजिस्ट्री होती है, तो उसी मूल्य के आधार पर शुल्क लिया जाता है? क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, नियमों में ऐसा प्राविधान है कि जिलाधिकारी प्रति दो वर्ष के बाद भूमि के बारे में क्या क्लासीफिकेशन (वर्गीकरण) है, इसका ब्योरा रजिस्ट्रार को भेजेंगे और रजिस्ट्रार सब-रजिस्ट्रार को भेंजेगे। लेकिन जो नियम है, उसके आधार पर शुल्क निर्धारित किया जाता है।

श्री रियासत हुसैन—

जैसा माननीय मंत्री जी ने अभी यह कहा कि साल, दो साल में जिलाधिकारी को यह अधिकार है कि उसकी वैलूयेशन बढ़ाता-घटाता रहे, मुरादाबाद में क्लास वन जमीन की 22,000 रु0 है, क्लास टू की 15,000 रु0 प्रति एकड़ है और थर्ड क्लास की जमीन की वैलूयेशन 9,000 रु0 है तो इस बात को देखते हुये क्या माननीय मंत्री जी जिलाधिकारी को हिदायत जारी करने की कृपा करेंगे कि जहां भी कम्पेन्सेशन देने की बात हो, उन अधिकारियों को जिलाधिकारी सूचना देते रहें ताकि जमीनों को अधिग्रहण के समय इस किस्म के विरोध न खड़े हों?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

जब किसी व्यक्ति के द्वारा मोआवजा मांगा जाता है, तो उसकी प्रवृत्ति अधिकतम मुआवजा पाने की होती है, तो वह स्वयं प्रमाण उपस्थित करता है। यदि माननीय सदस्य इस बात का सुझाव दे देंगे, तो विचार किया जा सकता है।

वाराणसी नगर के नीलकंठ मोहल्ले में हेड कांसटेबिल की हत्या एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी

** 3—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 22 अप्रैल, 1978 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन वाराणसी में कुछ व्यक्तियों ने गोली मार कर एक सिपाही की हत्या कर दी तथा कुछ सिपाही घायल कर दिए ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है ?

गृह मंत्री (श्री राम सिंह)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 21–4–78 की शाम को थाना चौक वाराणसी के एक सब-इन्सपेक्टर ने थाना चौक पर सूचना दी कि जब वे गश्त करते हुये नीलकंठ मन्दिर के पास पहुंचे तो वहां पर एक हेड कान्स्टेबिल तथा दो कान्स्टेबिल मिले और बतलाया कि नीलकंठ गली में स्थित मन्दिर के पास शिव सरदार का गिरोह शस्त्रों सहित एकत्र है और कोई संगीन अपराध करने वाला है। थाने में सूचना भेजने का समय न होने के कारण वे उक्त पुलिस कर्मचारियों के साथ मौके पर गये और वहां कुछ लोगों को बैठे हुए पाया। उन्होंने यह भी सूचना दी थी कि हेड कान्स्टेबिल ने भोला नामक एक व्यक्ति को पकड़ा तथा असलहा के लिये उसकी तलाशी लेने लगा तो भीतर बैठे उसके साथी निकल आये और ललकारा तथा एक ने फायर किया जिससे एक कान्स्टेबिल घायल हो गया। उसके दो अन्य साथियों ने हेड कान्स्टेबिल को पकड़ लिया और मारने के लिये ललकारा। इस पर भोला ने फायर किया जिससे हेड कान्स्टेबिल घायल होकर गिर गया और मर गया। सब-इन्सपेक्टर के भी सिर पर छड़ से मारा व का0 दयाशंकर प्रसाद को लात-घूसों से मारा। इस सूचना पर एक मुकदमा सात नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 147/ 148/149/302/307/333/324/323/325 भा0 दं0 वि0 तथा 7 क्रिमिनल ला एमेन्डमेन्ट ऐक्ट के अधीन थाना चौक पर कायम किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी की कार्यवाही की जा रही है तथा मुकदमा विवेचनाधीन है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित। इस घटना को घटे मान्यवर, 15 दिन से अधिक समय हो गया है, मैं जानना चाहता हूं कि अब तक अभियुक्तों को गिरफ्तार न करने का क्या कारण है ? उनको गिरफ्तार करने के लिये क्या प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

श्री राम सिंह—

मान्यवर, गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की जा रही है और जाब्ता फौजदारी की धारा 82–83 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की गयी, अभी तक कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो पाया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, 82–83 के लिये मैजिस्ट्रेट के केवल आर्डर्स हुए हैं या उसका इक्जोक्यूशन भी हो गया है ? यदि इक्जीक्यूशन हो गया है, तो कब ? और जो आहत कांस्टेबिल है, उस के आश्रित को आर्थिक सहायता देने पर सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ? और क्या सरकार उनको आर्थिक सहायता देने पर विचार करेगी ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, 7 अभियुक्त नामजद थे। सातों के विरुद्ध 82–83 की कार्यवाही दिनांक 24–4–78 को की जा चुकी है। इस समय किसी प्रकार के मुआवजे देने की बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, 82–83 के लिए मैजिस्ट्रेट के आदेश हुए हैं कि उसकी कार्यवाही हो चुकी है?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, कार्यवाही हो चुकी है ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, जो सात अभियुक्त हैं, उनका क्या-क्या नाम है ? बनारस के अखबारों में यह बात भी छपी है कि इसमें एक दो अभियुक्त ऐसे हैं जो मिनिस्टर के साथ हैं उनके घरों पर रहते हैं ।

श्री राम सिंह--

मान्यवर, जो सात अभियुक्त नामजद हैं, वह इस प्रकार हैं:--

(1) शिव सरदार, मु० मीरघाट, थाना दशाश्वमेध ।
(2) भोला सरदार, मु० मीरघाट, थाना दशाश्वमेध ।
(3) नंगे सरदार, मु० मीरघाट, थाना दशाश्वमेध ।
(4) अशंक, मु० नीलकंठ, थाना चौक, वाराणसी ।
(5) बिट्ठू उर्फ सुशील कुमार, मु० नीलकंठ, थाना चौक, वाराणसी ।
(6) शत्रु गिरि, मु० नीची ब्रह्मपुरी, थाना दशाश्वमेध, वाराणसी ।
(7) विजय उर्फ विजई, मु० गढ़वासी टोला, थाना चौक, वाराणसी ।

दो व्यक्ति और हैं, जिनको पहचाना जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो माननीय सदस्य ने समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार की बात कही हैं, उसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो पुलिस कांस्टेबिल मारा गया और जो आहत हुआ है, सरकार उनको आर्थिक सहायता देने पर विचार नहीं कर रही है। पुलिस कांस्टेबिल जो मारा गया हैं, वह ड्यूटी पर था ? अगर वह ड्यूटी पर था, अगर उनको चोटें लगी हैं, और एक मरा है, तो उनको आर्थिक सहायता देने पर सरकार क्यों विचार नहीं कर रही है ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, नियमानुसार उसे देना संभव है कि नहीं, इस समय मैं नहीं बता सकता ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, शिव सरदार जिनका नाम इसमें है, इनके गिरोह का इसमें वर्णन हैं, इसमें क्या यह सही है कि जब यह वाकया हुआ, उसके बाद अखबार में यह निकला है कि वह यहां एक मंत्री के घर पर था और यह भी अखबार में निकला कि जब यहां से मंत्री जात हैं, तो शिव सरदार के घर बराबर जाते हैं। अगर मंत्री जी कहें तो अखबार की कटिंग लाकर दिखला दूंगा ।

श्री राम सिंह--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि अखबार की सूचना के आधार पर जो बात है, उसकी सूचना मेरे पास नहीं है। समाचार-पत्र में अवश्य छपा होगा, जब आप कह रहे हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

मान्यवर, जिस सब-इन्सपेक्टर की सूचना पर वहां फोर्स भेजी गयी, वह भी निहत्थी थी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम सिंह---

मान्यवर, ऐसी सूचना तो मेरे पास नहीं है। चूंकि मैंने अभी मूल उत्तर में बताया कि सब-इंस्पेक्टर सूचना मिलने पर इसी काम के लिये गये हैं, तो निहत्थे होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है।

सी0 एस0 नेहरू डिग्री कालेज, हरदोई के हरिजन छात्र श्री छोटेलाल की हत्या

**4---श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया), श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर) तथा श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)---

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के अन्तर्गत सी0एस0नेहरू डिग्री कालेज, हरदोई के छात्र श्री छोटेलाल हरिजन को हरिजन छात्रावास में दिनांक 14 अप्रैल, 1978 को सवर्णों द्वारा गोली मार कर हत्या कर दी गयी? इस घटना से छात्रों एवं समाज के कमजोर वर्गों एवं हरिजनों में भय व आतंक है? यदि हां, तो जनजीवन की सुरक्षा हेतु कौन सी कार्यवाही की जा रही है?

श्री राम सिंह---

मृतक छोटे लाल के रूम पार्टनर श्री जवाहर लाल ने किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा छोटलाल को गोली मार कर हत्या कर देने के संबंध में एक रिपोर्ट थाना कोतवाली जिला हरदोई पर अंकित कराई जिसके आधार पर थाने पर एक अभियोग धारा 302 भारतीय दंड विधान का दर्ज हुआ। इस अभियोग की विवेचना की जा रही है।

यह कथन सही नहीं है कि छोटे लाल की हत्या से किसी वर्ग विशेष में किसी प्रकार की असुरक्षा की भावना व्याप्त है।

श्री हरिकेवल प्रसाद---

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि छोटे लाल एक छात्र था, जो अपने घर में अपने कमरे में सोया था, उसको गोली मारकर हत्या किये जाने का कारण क्या है?

श्री राम सिंह---

मान्यवर, छोटे लाल छात्रावास में अपने कमरे में सोया था। थाने में उसके साथी ने रिपोर्ट लिखायी कि कमरे के रोशनदान से उन पर गोली से वार किया गया और इससे उनकी हत्या हो गयी। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि किसी से उनकी पहले दुश्मनी रही होगी और इनका पहले का एक मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन था।

श्री हरिकेवल प्रसाद---

14 तारीख को गोली मारी गयी छोटे लाल को। आज की तारीख तक मंत्री जी केवल यह बता रहे हैं कि आशंका है कि रंजिश के कारण गोली मारी गयी। मेरा साफ सवाल है कि गोली मारने का मुख्य कारण क्या है? किसी अधिकारी द्वारा तफतीश की जा रही है और उससे क्या चीज प्रकट हुई है?

श्री राम सिंह---

मान्यवर, तफतीश की जा रही है। इस संबंध में अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता कि किन कारणों से हत्या की गयी है। तफतीश फाइनल होने के बाद ही पता चलेगा।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)---

क्या मंत्री जी अभियुक्तों के नाम बताने की कृपा करेंगे और वह छात्र थे या कोई अन्य व्यक्ति थे? दूसरे छोटे लाल के घर वालों को कोई आर्थिक सहायता दी गयी है कि नहीं?

श्री अध्यक्ष---

पहला सवाल नहीं उठता है और दूसरे का उत्तर मंत्री जी दें।

श्री राम सिंह--

मान्यवर, अभी कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी है।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी---

मान्यवर, मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि श्री छोटे लाल कहां का निवासी है, दूसरे किस अधिकारी द्वारा तफतीश इस घटना की की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष---

जांच का उत्तर दे दिया है। पहले प्रश्न का उत्तर दें।

श्री राम सिंह---

मान्यवर, इसके लिये मुझे सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो तफतीश हो रही है, उससे कुछ आधार निकला ?

श्री अध्यक्ष---

वह तो बतलाया। उन्होंने कहा कि एक न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। यह भी बताया कि उसका कारण दुश्मनी लगता है।

श्री देव बहादुर सिंह---

मंत्री जी को फाइल नहीं मिल रही है। इसलिए इसको स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठें।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा) ---

यह कत्ल 14 तारीख को हुआ और आज 25 दिन हो गये। विवेचना से अभी तक पता नहीं लगा कि किस व्यक्ति ने यह किया है। क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि उपरोक्त मुकदमे को सी0 आई0 डी0 को दे दें जो इसकी जांच करे ?

श्री राम सिंह---

जांच हो रही है और जांच के कारण कोई ऐसा तथ्य प्रकाश में आयेगा कि सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराना आवश्यक हो, तो करेंगे। इस समय यह सम्भव नहीं है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

सेवरा इंटर कालेज, फैजाबाद के अध्यापक श्री छबिलाल यादव को छात्रों द्वारा मारने-पीटने की घटना

*1---श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)---

क्या सरकार बतायेगी कि दिनांक 5 अप्रैल, 1978 को श्री छवि लाल यादव, अध्यापक, सेवरा इण्टर कालेज, फजाबाद को उक्त विद्यालय के उपद्रवी छात्रों ने मार कर घायल कर दिया है, उनके हाथ-पैर तोड़ दिये हैं और उनकी साइकिल को जला दिया है तथा उनको भी

घायल अवस्था में जिन्दा जला देने का प्रयास किया ? यदि हां, तो क्यों ? वे कौन लोग हैं इनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम सिंह—

दिनांक 5–4–78 को बलदेव विद्यापीठ इण्टर कालेज, सेवरा में हो रही गृह-परीक्षा के अवसर पर छात्रों तथा अध्यापकों के बीच इस आधार पर विवाद हुआ कि एक विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका समय से पहले छीन ली गई। इसमें एक छात्र को चोटें आईं पर अन्य छात्र खदेड़ दिये गये। भागे हुये छात्रों ने बदले की भावना से अध्यापक श्री छविलाल यादव को जो इस घटना से अनभिज्ञ थे और एक बाग से गुजर रहे थे, मारा-पीटा तथा उनकी साइकिल जला दी।

यह कहना सही नहीं है कि घायल अवस्था में छात्रों ने श्री छविलाल यादव, अध्यापक को जिन्दा जला देने का प्रयास किया।

श्री यादव की रिपोर्ट पर थाना इनायतनगर में एक अपराध छः छात्रों के विरुद्ध धारा 147/323/427/379 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत कायम किया गया जिसकी विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की गयी तथा भविष्य में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु इन छात्रों के विरुद्ध 107/116 की कार्यवाही की गयी।

श्री मित्र सेन—

मान्यवर, प्रश्न में साफ पूछा गया था कि वह कौन लोग हैं। उनका नाम मंत्री ज़ी ने नहीं बतलाया। दूसरी बात यह कि उन्होंने जबाव में कहा है एक विद्यार्थी जब एक विद्यार्थी की कापी समय से पहले छीनी गयी, तो उसका भी नाम आना चाहिए था। क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन छात्रों के नाम रिपोर्ट में हैं, वह कौन-कौन हैं?

श्री राम सिंह—

जिनके नाम शिकायत थी उनके नाम इस प्रकार हैं–(1) पटेश्वरी प्रसाद, (2) शिव राम मिश्र, (3) मुफीद, (4) प्रेम कुमार सिंह, (5) राजन सिंह, (6) वीरेन्द्र सिंह।

श्री मित्र सेन—

मंत्री जी ने अपने जबाव में तसलीम किया है कि अध्यापक की साइकिल जला दी गयी और उनके हाथ-पैर तोड़ दिये गये। यह भी सही है कि अध्यापक को उठाकर जलाने के लिए छात्र ले जा रहे थे। इसी बीच घटना की सूचना स्कूल में पहुंच गयी और अध्यापकों ने आकर उनकी जान बचायी। इसके बाद थाने पर रिपोर्ट की गयी जहां से कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिसकी वजह से पुनः घटना हुई और स्कूल जला दिया गया ?

श्री राम सिंह—

छात्रों ने बाग के पत्ते इकट्ठा करके आग लगाकर उसमें उनकी साइकिल डाल दी। उनको मारा-पीटा और चोटें आयी। उनके हाथ-पैर तोड़ दिये गये इसकी सूचना नहीं है।

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)—

जब यह परीक्षा केन्द्र था तो परीक्षा केन्द्र पर पुलिस की तैनाती की गयी होगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस तैनात पुलिस ने क्या किया ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, यह घटना तो परीक्षा केन्द्र पर घटी ही नहीं। रास्ते में इधर से छात्र जा रहे थे और अध्यापक उधर से आ रहे थे और बाग में घटना घट गयी।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में रक्षा मंत्री श्री जगजीवन राम का पुतला जलाने की घटना

*2—श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि जनपद वाराणसी में 10 अप्रैल, 1978 को सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में रक्षा मंत्री, श्री जगजीवन राम जी का पुतला जलाया गया ? अगर हां, तो सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री राम सिंह—

जी हां। इस संबंध में निम्नांकित कार्यवाही की जा रही है।

1—दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/116 के अन्तर्गत प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

2—थाना चेतगंज, वाराणसी में अपराध संख्या 220/78 अन्तर्गत धारा 153 ए/505 (2) भा0 दं0 वि0 पंजीकृत होकर विवेचनाधीन है।

3—सिविल राइट्स ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करना भी विचाराधीन है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, मैं आपकी मारफत से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या पुतला जलाना कोई अपराध है ? अगर है, तो थाने में रिपोर्ट इसकी कब लिखायी गयी और पुलिस ने किन-किन लोगों को गिरफ्तार किया ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, इसकी रिपोर्ट 19-4-78 को समय 12-30 बजे अपरान्ह लिखायी गयी और रिपोर्ट लिखाये जाने के पश्चात उसके ऊपर जांच शुरू हुयी।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मेरा प्रश्न कि क्या पुतला जलाना अपराध है ? अगर है, तो रिपोर्ट कब लिखायी गयी और किन-किन लोगों को गिरफ्तार किया?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, यह तो कानून का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

वह पूछ रहे हैं कि पुतला जलाना अपराध नहीं तो यह गिरफ्तारी कैसे की गयी ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, अपराध है तभी तो विवेचना हो रही है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त (जिला मथुरा)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह अपराध किस धारा के अन्तर्गत है ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, यह तो मूल उत्तर में दे दिया गया है—यह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/116 क अन्तर्गत कार्यवाही हो रही है। दूसरा, यह थाना चेतगंज में अपराध संख्या 220/78 के अन्तर्गत धारा 153 ए/505 (2) भारतीय दण्ड विधि में पंजीकृत होकर विवेचनाधीन है।

श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला आगरा)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि धारा 116 का अपराध आई० पी० सी० का है ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, यह दण्ड प्रक्रिया संहिता का है ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 10 अप्रैल को घटना हुयी और 19 अप्रैल, को उसकी एफ० आई० आर० वगैरह हुयी, तो इतना डिले होने का क्या कारण है ? कुछ इसमें गये ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, यह घटना 10–4–78 को 12.30 बजे दोपहर में हुयी। उसके पश्चात् संस्कृत विश्वविद्यालय तथा कुछ बाहरी व्यक्तियों, जिनकी संख्या 15/20 बतायी जा रही है, ने राष्ट्रीय छात्र संघ और इन्दिरा कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने रक्षा मंत्री जी के विरुद्ध नारे लगाये और करीब एक बजे उनका पुतला जलाया। इसके संबंध में दो तरह की चीजें हैं। दूसरा वर्जन आया है कि एक और रिपोर्ट लिखाई गयी जिसमें 4 व्यक्तियों का नाम लिखाया गया। वी० सी० ने कहा है कि केवल 4 प्रदर्शनकारी संस्कृत विश्वविद्यालय के थे और शेष बाहर के थे। इस प्रकार जो मुकदमा दर्ज किया गया, उसमें कार्यवाही हो रही है ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि इसमें जो 9 दिन की डिले रिपोर्टिंग में हुई इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

उसका उत्तर दे दिया है । आप प्रश्न पूछिए ।

श्री दीप नरायन (जिला गोण्डा)—

क्या गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा अभी उन्होंने कहा है कि 107, 116 में गिरफ्तारियां हुई हैं, पुतला जो जलाया गया यह भी आफेन्स में आता है या नही ? कोई दफा इसके लिये बना है या नहीं बना है ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, सवाल समझ में नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष—

यह कहा कि पुतला जलाना अपराध में आता है कि नहीं । 107 में तो अमन, शांति कायम रखना होता है । पुतला जलाना भी किसी अपराध में आया कि नहीं आया इसका उत्तर तो दिया कि सिविल राइट्स ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करना भी विचाराधीन है ।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, 10–4–78 का वाक्या यह बताया जाता है .....

(श्री दीप नरायन के बोलने पर) ।

श्री अध्यक्ष—

दीप नरायन जी, लिखकर दिया है कि सिविल राइट्स के अन्तर्गत कार्यवाही करना भी विचाराधीन है ।

श्री श्यामधर मिश्र—

और–15–4–78 को माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी ने प्रश्न किया । क्या यह सही है कि 19–4–78 को प्रश्न के डर से एफ0 आई0 आर0 लिखा दी गयी · · · · · · · · · · · · · ·

श्री अध्यक्ष—

यह अनुमान है, प्रश्न नहीं है ।

श्री श्यामधर मिश्र—

वाक्या है यह तो . . .

श्री अध्यक्ष—

आप इससे निष्कर्ष निकाल रहे हैं । यह कोई प्रश्न नहीं । इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, 10 अप्रैल, 1978 को यह घटना हुई और 19 अप्रैल को रिपोर्ट लिखाई गई है । माननीय मंत्रीजी मे शायद सहमत होंगे कि इसमें लापरवाही बरती गयी है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह जो 8–9 दिन की देरी हुई है इसको देखते हुए पूरी घटना की जांच करने का आश्वासन सदन को देंगे ।

श्री राम सिंह—

मान्यवर, जो तथ्य मेरे पास हैं इसके अतिरिक्त और तथ्य माननीय सदस्य के पास हों, तो अवश्य जांच की जायगी ।

श्री अध्यक्ष—

उनका कथन है कि घटना के कुछ दिन बाद रिपोर्ट लिखाई गई और इस प्रकार इसमें असावधानी हुई । इसके लिये क्या आप उस अधिकारी के खिलाफ जिसने 9 दिन की डिले की है, जांच करके कार्यवाही करेंगे ।

श्री राम सिंह—

जांच करके कार्यवाही करूंगा ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, 10 तारीख की घटना बताई जाती है और जो आफेन्सेज हैं जिनके अन्तर्गत यह रिपोर्ट लिखाई गई है, वे प्रिवेन्टिव हैं जिनमें तात्कालिक कार्यवाही होनी चाहिए । 10 तारीख की घटना की रिपोर्ट 19 तारीख को लिखाई गई 9 दिन के बाद जबकि ये प्रिवेन्टिव सेक्शन हैं इसमें तुरन्त ही कार्यवाही हो सकती थी । क्या कारण है कि 9 दिन के बाद एफ0 आई0 आर0 दर्ज की गई ?

श्री राम सिंह—

इसकी जांच करके यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जायगा तो उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जायगा ।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मंत्रीजी से के उत्तर से यह स्पष्ट है कि पुतला जलाना अपराध है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार घटना भविष्य में न हो, अत: कोई एतिहात की कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न है । सरकार तो कहेगी कि हम प्रयत्न करेंगे ।

ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक (इंचार्ज कुम्भ मेला) द्वारा की गई मेला व्यवस्था के संबंध में आडिट आपत्तियां

*3––श्री अशोक बाजपेयी (जिला हरदोई), श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर), श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर), श्री जौहरी लाल त्रिवेदी (जिला कानपुर) तथा श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी––

क्या गृह मंत्री को यह जानकारी है कि गत दिनों वर्ष 1976–77 में हुये कुम्भ मेला में पुलिस अधीक्षक द्वारा कई हजार रुपयों का गोलमाल किये जाने संबंधी रिपोर्ट आडिट विभाग ने उत्तर प्रदेश शासन को दी है ? यदि हां, तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की और क्या उक्त रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राम सिंह––

वर्ष 1976–77 में हुये कुम्भ मेला में ज्येष्ठ पुलिस अक्षीक्षक इन्चार्ज कुम्भ मेला द्वारा की गई मेला व्यवस्था के संबंध में आडिट आपत्तियां प्राप्त हुई हैं जिनकी छानबीन की जा रही है फिलहाल प्रश्नगत आडिट आपत्तियों की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखना संभव नहीं है ।

श्री रवीन्द्र सिंह––

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि आडिट आपत्तियां प्राप्त हुईं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आडिट आपत्तियां कब प्राप्त हुईं और वे कौन सी आपत्तियां हैं ?

श्री राम सिंह––

मान्यवर, आडिट आपत्तियों की सूची तो बहुत लंबी है । आपकी अनुमति हो तो मैं पढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष––

गंभीर आरोप हों तो पढ़ दें ।

श्री राम सिंह––

रुपये से संबंधित सब आरोप हैं ।

श्री अध्यक्ष––

यह कब प्राप्त हुई यह नहीं बतलाया ?

श्री राम सिंह––

वर्ष 76–77 से संबंधित यह आडिट आपत्तियां हैं । निश्चित तारीख नहीं मालूम हुई, केवल सूची मेरे पास है ।

श्री कल्पनाथ सिंह––

यह जितनी आडिट आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, सब में कुल कितने रुपये का मामला फंसा है ?

श्री राम सिंह––

एक में 72,300 रु0, दूसरे में 16,700 रु0, तीसरे में 25,730 रु0 तथा चौथे में 7,045 रु0, पांचवें में 27,658 तथा अन्तिम में 36 हजार के ऊपर रुपया फंसा हुआ है ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

उस पुलिस अधीक्षक का नाम क्या है और उनके विरुद्ध आप क्या कार्यवाही करने की सोच रहे हैं ?

श्री राम सिंह--

आडिट आपत्तियों पर शासन विचार कर रहा है। विचार करने के बाद ए० जी० के पास उनको भेजा गया है। यदि उससे संतोष नहीं हुआ और जो आपत्तियां हैं, वे सही हैं। तो फिर पी० ए० सी० के सामने मामला आयेगा और पी० ए० सी० उस पर विचार करेगी और अगर पी० ए० सी० ने यह समझा कि आडिट आपत्तियां सही हैं तो फिर वे कन्ट्रोलर जनरल के पास जायेंगी और वह ऐक्शन लेंगे।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

उनका नाम क्या है और इस समय कहां पोस्टेड हैं ?

श्री राम सिंह--

उनका नाम टी० एन० मिश्रा है। इंचार्ज कुम्भ मेला थे। इस समय कहां पोस्टेड हैं, यह मुझे नहीं मालूम है।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

जो आडिट आपत्तियां आई हैं, उनका क्या निस्तारण कर दिया गया है ? गोलमाल जो है वह फर्जी बाउचर के जरिये है और वे किस कम्पनी के बाउचर्स हैं ?

श्री राम सिंह--

आडिट आपत्तियां आने के पश्चात् सब कुछ देखा जा रहा है। सारे कागजात देखे जा रहे थे तभी ये आपत्तियां प्रकाश में आईं।

संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के सामने रामायण की प्रति जलाने की घटना

*4—श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा) तथा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार को जानकारी है कि शनिवार, दिनांक 15 अप्रैल, 1978 को संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के सामने 'रामचरित मानस' अथवा 'रामायण' की प्रति जलाई गयी ? यदि हां, तो उपरोक्त पुस्तक जलाने वाले कौन थे तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह--

जी हां। उपरोक्त पुस्तक जलाने वाले राष्ट्रीय छात्र संगठन के निम्नांकित व्यक्ति थे:-

1--श्री शोभनाथ त्रिपाठी,

2--श्री विजय शंकर पाण्डे,

3--श्री सतेन्द्र नाथ पाण्डे,

4--श्री ओम प्रकाश।

इन व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 153-ए के अन्तर्गत मुकदमा कायम कर दिया गया है और प्रथम तीन व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। श्री ओम प्रकाश की गिरफ्तारी करने का प्रयत्न हो रहा है।

श्री श्याम दत्त पालीवाल—

यह रामायण अनुसूचित जाति के लोगों ने जलाई तो रामायण जलाने का उद्देश्य क्या यह था कि जनता में प्रचार किया जाय कि हरिजन वर्ग तथा अनुसूचित जाति के लोगों ने रामायण जलाई है कि विद्वेष की भावना फैलाई जा सके ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपने टिप्पणी की है। इसमें सूचना का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस मामले में जो तफतीश हुई है, उससे कुछ तथ्य ऐसे भी प्रकाश में आये हैं कि यह घटना प्रदेश में हिंसा और अराजकता फैलाने के उद्देश्य से एक सुनियोजित षड़यंत्र है ? इस घटना में किन लोगों का हाथ है और उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राम सिंह—

यह सुनियोजित षड़यंत्र है या अचानक घटना है, इसके बारे में कैसे कल्पना कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आपका इन्टेलीजेंस विभाग काहे के लिये है ? आप यह कहिये कि कोई सूचना नहीं है।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस घटना से संबंधित कितने लोग थे और उस थाने में कितने लोगों के नाम रिपोर्ट दर्ज कराई गई ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, दिनांक 14-15-4-78 को डेढ़ बजे रात्रि संस्कृत विश्वविद्यालय के दो विद्यार्थी श्री ओम प्रकाश शर्मा तथा सत्येन्द्र नाथ पांडे द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई कि श्री छेदी लाल निराला तथा त्रिवेणी राम ने लगभग 11.30 बजे रात्रि में संस्कृत विश्वविद्यालय के दक्षिणी गेट के पास रामायण की प्रति जलाई। दूसरी रिपोर्ट उसके पश्चात् लिखाई गई जिसमें यह लिखाया गया कि रामायण की प्रति सर्वश्री शोभनाथ त्रिपाठी, ओम प्रकाश शर्मा, विजय शंकर पांडे तथा 5/7 अन्य व्यक्तियों द्वारा जलाई गई। उन लोगों ने हरिजनों को परेशान करने के लिये और संस्कृत विश्वविद्यालय को बन्द करवाने के इरादे से ऐसा किया। इनमें दो हरिजन व्यक्ति थे। जांच से यह पाया गया कि हरिजनों द्वारा रामायण की प्रति नहीं जलाई गई।

श्री श्याम दत्त पालीवाल—

क्या माननीय गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन लोगों द्वारा रामायण जलाने का क्या उद्देश्य था ?

श्री अध्यक्ष—

यह मंत्री जी कैसे बतायेंगे ?

श्री श्याम दत्त पालीवाल—

क्या अराजकता फैलाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया ? यह तो मंत्री जी बता सकते हैं ?

श्री राम सिंह—

रामायण तो इन चार व्यक्तियों ने जलाई। एक व्यक्ति ने हरिजनों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। विवेचना से ज्ञात हुआ है कि नगर में अशांति फलाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय छात्र संगठन के लड़कों ने इसे जलाया।

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने हरिजनों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राम सिंह—

यह विवेचना के पश्चात् ही जो परिणाम होगा, उसके बाद ही कार्यवाही की जायगी ।

श्री अध्यक्ष—

हरिजनों के खिलाफ जो रिपोर्ट लिखाई गई तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ।

श्री राम सिंह—

छानबीन के पश्चात् पहली रिपोर्ट को झूठ बताया गया अब नियमानुसार उनके खिलाफ जांच के बांद कार्यवाही होगी ।

श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जिन लोगों का नाम रामायण जलाने में आया है उनका किस राजनीतिक दल से संबंध है ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, ये जो चार व्यक्ति थे जिन्होंने रामायण जलाई ये इंदिरा कांग्रेस के व्यक्ति थे ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

में माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसकी पूरी छानबीन कराई जाय । मेरी पूरी और निजी जानकारी है कि इसमें जो शोभनाथ त्रिपाठो का नाम लिया गया है, ये समाजवादी विचारधारा के और युवा जनता के लोग हैं । किसी राजनीतिक विद्वेष के कारण ही रिपोर्ट लिखाई है ।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण की वह जांच करायेंगे ताकि जिन लोगों ने झूठी रिपोर्ट लिखाई है उनके खिलाफ कार्यवाही हो सके ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य भी बनारस के रहने वाले हैं और स्वयं एक युवक हैं । तो अगर उनके पास कोई सूचना इस प्रकार की हो तो मुझको दे दें मैं उस पर कार्यवाही करूंगा ।

कांच व चूड़ी उद्योग के प्रतिष्ठानों को आवंटित किये गये कोयले का उपभोग करने संबंधी प्रमाण-पत्र

*5—श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या यह सही है कि जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद के कांच व चूड़ी उद्योग के प्रतिष्ठानों को आवंटित किए गए कोयले का प्रतिष्ठान द्वारा उपभोग करने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र अगले कोयले के आवंटन के पूर्व नहीं लिया जाता है ? फलस्वरूप कोयला को प्रतिष्ठानों द्वारा ब्लक कर लिया जाता है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश अविलम्ब प्रसारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उद्योग मंत्री (श्री राम प्रकाश)—

जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद के कांच व चूड़ी उद्योग के प्रतिष्ठानों को आवंटित किये गये कोयले का प्रतिष्ठान द्वारा उपभोग करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र अगले

कोयले के आवंटन के पूर्व नहीं लिया जाता है। इसका कारण यह है कि सहायक कांच विशेषज्ञ फिरोजाबाद प्रतिष्ठान के प्रार्थना-पत्र पर उनको अगले वर्ष के कोयले की संस्तुति करने के पहले प्रतिष्ठान के कोयले का उपभोग सत्यापित कर लेते हैं। उसके पश्चात् ही कोयले की सिफारिश करते हैं। जिस इकाई में कोयले का सद्उपयोग साबित नहीं होता है उस इकाई का कोयला निरस्त कर दिया जाता है।

अतएव यह कहना उपयुक्त न होगा कि प्रमाण-पत्र की औपचारिकता पूरी न होने के कारण कोटे के दुरुपयोग की सम्भावना बढ़ रही है। कोयले की चोर बाजारी को रोकने के लिए शासन अन्य कदम भी उठा रहा है। फिर भी अगले वर्ष के कोयले के आवंटन के प्रार्थना-पत्र के साथ पिछले वर्ष के कोटे के उपभोग के प्रमाण-पत्र को प्राप्त करने के प्रश्न पर शासन आवश्यक कार्यवाही करेगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि जो आपने कहा कि सहायक कोयला विशेषज्ञ सत्यापित कर लेते हैं। तो सत्यापन का क्या आधार है। दूसरा यह कि अगले वर्ष के कोयले के आवंटन के फार्म आप अगस्त, सितम्बर में लेते हैं और केवल 6 महीने चलने की रिपोर्ट देते हैं। क्षमता के आधार पर आप कोयला आवंटित करते हैं, तो क्षमता के अनुसार आवंटित करने में सत्यापन का कौन सा आधार है ?

श्री राम प्रकाश—

श्रीमन्, यह जो पैनल है जिसमें सहायक कांच विशेषज्ञ जांच करते हैं, वह समय-समय पर इन इकाइयों को कोयले के उपभोग के बारे में जांच करते रहते हैं और फिर जब अगले वर्ष का कोयला आवंटित किया जाता है, उसके पहले यह जांच करके पता लगाते हैं कि जो पिछले वर्ष कोयला दिया गया था उसका पूरा उपयोग किया गया कि नहीं। जहां पर उन्हें संदेह होता है और रिकार्ड नहीं प्राप्त होता है उसके बारे में सूचना दे देते हैं कि इनका अगले वर्ष के लिए कोयला निरस्त कर दिया जाय।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैंने सीधी सी जानकारी चाही है।

श्री अध्यक्ष—

उत्तर उनका पूर्ण है कि जितना कोयला दिया गया उसके उपभोग की रिपोर्ट लेने के बाद ऐसा करते हैं।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्षमता के आधार पर आपका वितरण होता है, भट्टी खड़ी है उसका मुंह नाप लिया कि कितना कोयला खर्च होता है। आपके उपभोग का कौन सा जरिया है जिसके आधार पर सत्यापन करते हैं ?

श्री राम प्रकाश—

श्रीमन्, क्षमता के आधार पर कोयले का आवंटन होता है इसके माने यह नहीं हैं कि जितनी क्षमता है वह पूरा उनको मिल जाता है। प्रतिवष इसके बारे में नीति बनाई जाती है कि क्षमता का कितना परसेंट कोयला दिया जायेगा। जैसे पिछले वर्ष 30 प्रतिशत काट कर कोयला दिया गया। जितना कोयला दिया गया वह उपयोग में लाये कि नहीं और उसका प्रोडक्शन किया कि नहीं इसकी जांच की जाती है। यह हो सकता है कि जांच में कोई कमियां रहती हों लेकिन जब उनकी संस्तुति आती है कि उपयोग ठीक किया है तब अगले वर्ष का कोटा दिया जाता है। मैं और बताना चाहता हूं कि अभी हमें कुछ कोयले के बारे में शिकायतें प्राप्त

हुई। माननीय रघुवर दयाल जी से मिली। उसमें प्रदेश स्तर का जांच पैनल भेजा था। वहां के जो सहायक कांच विशेषज्ञ हैं उनका भी वहां से ट्रांसफर कर दिया गया था और जांच करके जो 42 इकाइयां थीं उसमें से 7 इकाइयां ऐसी थीं जो या तो कोयले का उपयोग नहीं कर रही थीं या कार्यरत नहीं थीं। उनका कोयला निरस्त कर दिया। यह मार्च में कार्यवाही हुई उसमें स्टेट पेनल है उसने जांच की थी और दो इकाइयों को फिर से निरस्त किया गया।

बड़ौत डिग्री कालेज, मेरठ के छात्रों द्वारा बस पर हमला

*6—श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ), श्री राम रतन सिंह (जिला सीतापुर) तथा श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

क्या सरकार को जानकारी है कि मेरठ जिले में बड़ौत डिग्री कालेज के छात्रों ने दिनांक 12 अप्रैल, 1978 को एक प्राइवेट बस पर अचानक हमला करके बस के ड्राइवर को जान से मार दिया ? क्या यह सही है कि उक्त बस पर छात्र जबरियन बिना टिकट यात्रा करना चाहते थे ? और इसके फलस्वरूप वहां की बस सेवाएं ठप हैं ?

श्री राम सिंह--

दिनांक 12 अप्रैल, 1978 को इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई।

श्री मन्जूर अहमद--

मैं जानना चाहूंगा हूं कि 12-4-78 को घटना नहीं हुई, पूरे महीने में कोई इस प्रकार की रिपोर्ट ड्राइवर या कंडक्टर की तरफ से बड़ौत थाने में लिखायी गयी ? यदि हां, तो क्या है ?

श्री राम सिंह--

माननीय सदस्य ने एक निश्चित तारीख के सम्बन्ध में प्रश्न किया था कि 12-4-78 को घटना घटी थी। दूसरा प्रश्न देंगे तो उसके अनुसार उत्तर दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

आपने पूछा कि उस महीने में कोई ऐसी रिपोर्ट मिली कि बस जला दिया, किसी ड्राइवर को मार दिया और बस ठप हो गयीं, कोई सूचना इस प्रकार की आप को मिली ?

श्री राम सिंह--

दिनांक 14-4-78 को एक घटना इस प्रकार की घटी थी।

श्री मन्जूर अहमद--

ड्राइवर का नाम क्या है, उनके मारने वालों के नाम क्या हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही अब तक हुई ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, ड्राइवर 6-7 हैं। कौन से ड्राइवर को जानना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

जो मारा गया उसका।

श्री राम सिंह--

जो रिपोर्ट हुई, एक रिपोर्ट दिनांक 14-4-78 को श्री बाबू राम, बुकिंग क्लर्क, छपरौली बस स्टैण्ड, बड़ौत ने थाना बड़ौत पर 7 नामजद तथा 10-15 अज्ञात अभियक्तों के विरुद्ध

लिखायी। इसी प्रकार उसी तारीख को साढ़े 10 बजे सुबह एक दरख्वास्त तहरीरी जनता वैदिक कालेज के चपरासी की तरफ से उस थाने पर लिखायी गयी थी कि इस प्रकार की घटना यहां घटी है। उसमें कुछ व्यक्तियों का नाम बताया था।

श्री मन्जूर अहमद—

मैं जानना चाहूंगा कि मुलजिमान कौन हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम सिंह—

इसमें दो व्यक्तियों का नाम विशेष रूप से आया है। एक तो बस नम्बर 1815 का मालिक देवेन्द्र सिंह, जो वैदिक कालेज, बड़ौत का एम0ए0 का छात्र भी है तथा श्री ब्रिजेश कुमार, जो इसी कालेज का एम0ए0 का छात्र है तथा दोनों की गहरी दोस्ती है।

श्री मन्जूर अहमद—

मैं जानना चाहूंगा कि बस कितने दिन बन्द रहीं पूरे जिले मेरठ में, इस कारण से ?

श्री राम सिंह—

14—4—78 की घटना के बाद मेरठ-बागपत-बड़ौत-छपरौली बस मार्ग पर तथा मेरठ-बिनौली-बड़ौत मार्ग पर बस चालकों तथा कंडक्टरों ने हड़ताल कर दी थी। दिनांक 15—4—78 को दोपहर तक मेरठ-बिनौली-बड़ौत मार्ग पर तथा 16—4—78 के प्रातः तक मेरठ-बागपत-बड़ौत-छपरौली मार्ग पर बसें बन्द रहीं। उसके पश्चात् बसें चलने लगीं।

थाना गोला, जिला खीरी को जेल में श्री कल्लू हरिजन की मृत्यु

*7—श्री मन्जूर अहमद—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 16 अप्रैल, 1978 को ग्राम नाग सोड़ा काढ़का, थाना गोला, जिला खीरी की जेल में श्री कल्लू हरिजन आयु 27 (साल) की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हो गयी ? यदि हां, तो मौत का असली कारण क्या था ?

न्याय एवं कारागार मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

जी नहीं।

श्री मन्जूर अहमद—

मैं जानना चाहूंगा कि तारीख इधर उधर हो सकती है इस नाम का व्यक्ति वहां जेल में मरा या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

कल्लू हरिजन नाम का कोई व्यक्ति उस महीने में नहीं मरा।

श्री मन्जूर अहमद—

कोई हरिजन ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो बड़ा अनिश्चित प्रश्न हो गया। इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री मोहन जी महाराज के मंदिर (मथुरा) से अष्ट धातु की मूर्ति की चोरी

*8—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14/15 अप्रैल, 1978 की रात्रि को 2,500 वर्ष पुराने श्री मोहनजी महाराज के मन्दिर कामर, थाना कोसी कलां, मथुरा से लगभग 5 लाख रुपए की कीमत की अष्ट धातु की मूर्ति चोरी हो गई? यदि हां, तो इस घटना की रिपोर्ट थाना कोसी कलां में क्यों नहीं अंकित कराई गई ?

श्री राम सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत चोरी की घटना के संबंध में श्री कल्याण दास, चेला स्वर्गीय बाबा किशन दास, निवासी कामर, थाना कोसीकलां, जिला मथुरा द्वारा पुलिस अधीक्षक, मथुरा को डाक द्वारा एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 15-4-78 को भेजा गया, जिसके आधार पर थाना कोसी, जिला मथुरा पर दिनांक 22-4-78 को धारा 457/380 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना प्रचलित है।

श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है और जो जवाब मुझे मिला है उसके सम्बन्ध में मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि यह घटना 14/15 को घटी है और 15 तारीख को रिपोर्ट एस0 पी0 को दे दी और यह कहना कि डाक द्वारा शिकायत मिली, यह असत्य है और इस सत्यता को सदन में छिपाया जा रहा है। 15 तारीख को जब शिकायत की गयी, तो पुलिस अधीक्षक ने क्या कार्यवाही की और अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, चोरी की घटना के सम्बन्ध में श्री कल्याण दास चेला स्वर्गीय बाबा किशन दास निवासी कामर, थाना कोसी कलां, जिला मथुरा ने एक पत्र भेजा। किसी की नामजद रिपोर्ट नहीं लिखायी गयी है। 15 अप्रैल, 1978 को एक प्रार्थना-पत्र श्री कल्याण दास ने वहां पर दिया और उसी दरखवास्त के आधार पर यह केस पंजीकृत हुआ और विवेचना शुरू हुई।

श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

अध्यक्ष महोदय 15-4-78 को जब यह शिकायत मिली तो इसको 22-4-78 को पंजीकृत करने का कौन सा कारण है ?

श्री राम सिंह--

एक कारण तो यह हो सकता है कि चिट्ठी बाद में पहुंची हो।

फतेहपुर, जिला कारागार के बन्दी श्री शिव भूषण के छूटने की अवधि

*9--श्री हुकम सिंह परिहार (जिला आगरा)--

क्या कारागार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के जिला कारागार में एक बन्दी शिव भूषण जो 16 मार्च, 1978 को छूटा लगभग डेढ़ वर्ष ज्यादा क्यों बन्द रहा ? फतेहपुर के एक स्थानीय समाचार-पत्र के संवाददाता द्वारा जिला अधिकारी फतेहपुर को दी गई सूचना के बाद पकड़े गए इस ज्यादा अवधि तक बन्द रहने के मामले में कौन-कौन से अधिकारी दोषी हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुयी ? क्या इतने बड़े मामले को पकड़े जाने के बाद कोई विभागीय प्रेस विज्ञप्ति कराई गई और क्या इतनी अच्छी सूचना देने वाले संवाद दाता को पुरस्कृत किया गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री हुकम सिंह परिहार--

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि मैंने यह प्रश्न 20-4-78 को एक बन्दी के बारे में किया था। वह डेढ़ वर्ष बन्दी रहा बिना किसी अपराध के। उसके बारे में सूचना 20 दिन में भी नहीं एकत्रित की जा सकी। ऐसा किन कारणों से किया जा रहा है, अगर पूरी सूचना नहीं मिल सकी, तो जितनी सूचना है, वह बतावें।

श्री अध्यक्ष---

यह अल्प सूचित प्रश्न के रूप में स्वीकृत हुआ था, तो कोई सूचना आपको मिली है या नहीं ? डेढ़ साल उसको रखा गया ।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

जिस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, उस पर 5 मुकदमे चल रहे थे। जांच करायी गयी। जांच की रिपोर्ट में विरोधाभास है और उनमें लीगल एडवाइस की आवश्यकता है। बिना लीगल एडवाइस के कोई उत्तर देना भ्रामक हो सकता है। इसलिए अगली तारीख को मैं पूर्ण उत्तर दे दूंगा ।

श्री हुक्म सिंह परिहार---

अगली तारीख जल्दी निश्चित करा दें ।

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने कहा कि अगली तारीख को आयेगा। तारीख निश्चित होती है। आप अपना स्थान ग्रहण करिए ।

श्री हुक्म सिंह परिहार-

इस बार तो आयेगा ही नहीं। आप तारीख निश्चित करा दीजिए। एक तो उन्होंने यह झूठ कहा कि सूचना एकत्र करायी जा रही है।

श्री अध्यक्ष---

आप बहुत समय ले रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मुझे इस केस में रुचि है। इसके पहले से यह केस मेरे ध्यान में है। मैं पूरी सूचना माननीय सदस्य को दे दूंगा।

श्री हुक्म सिंह परिहार---

यह हाउस से सूचना क्यों छिपा रहे हैं। यह मेरा कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अगले सप्ताह में इसका निश्चित और पूर्ण उत्तर आपको मिल जायेगा। सूचना मंगाई है।

श्री हुक्म सिंह परिहार---

मान्यवर, तब न तो मंत्री रहेंगे और न कोई बात होगी।

श्री अध्यक्ष---

दोबारा सदन में आयेगा।

श्री मन्जूर अहमद---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष---

अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

नोट :—नियम 29 (4) के तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*10—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री रवीन्द्र सिंह—

[2-5-78 को 29 (4) के तारांकित प्रश्न संख्या 80 द्वारा उत्तरित।]

प्रतापगढ़ जिले के ग्राम रतनमई के श्री सुखदेव यादव के घर पर डकैती एवं उनकी हत्या

*11—श्री रामदेव दुबे (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जनपद में रानीगंज थानान्तर्गत रतनमई ग्राम में सुखदेव यादव के यहां 12/13 अप्रैल, 1978 को रात में भीषण डकैती डाली गयी और सम्पूर्ण वस्त्राभूषण एवं रुपया लूट लिया गया और गृहस्वामी श्री सुखदेव यादव की हत्या कर डाली गयी ? इसके अतिरिक्त अन्य परिवार के अनेक सदस्य गम्भीर रूप से घायल हो गये हैं तथा मरणासन्न हैं ? क्या इसके पूर्व भी इस ग्राम में अनेक भीषण डकैतियां पड़ चुकी है ? क्या सरकार ने आज तक कोई व्यवस्था किया जिससे कि डकैती का क्रम टूटता ? यदि हां, तो क्या व्यवस्था किया ? कितने अभियुक्त गिरफ्तार किये गये और कितने फरार हैं ? क्या यहां पुलिस चौकी की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री राम सिंह—

डकैती पड़ी थी जिसमें डाकुओं द्वारा श्री सुखदेव यादव की हत्या कर दी गयी और कपड़े, जेवर तथा धन कुल मालियत लगभग 1470 लूट लिया गया। केवल मृतक सुखदेव की स्त्री घायल हुई थी। उक्त घटना के पूर्व दिनांक 13-6-77 को भी ग्राम रतनमई में डकैती पड़ी थी। डकैतियों को रोकने के लिये इस गांव व इसके आस पास के गांवों में ग्राम सुरक्षा समितियों को गठित कराया गया और समय-समय पर पुलिस द्वारा गश्त भी की जाती है।

अब तक की विवेचना से तीन व्यक्तियों का डकैती में शामिल होना प्रकाश में आया है जिसमें से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा एक भागा हुआ है।

इस ग्राम के पास वाले ग्राम दिलीपपुर में पुलिस चौकी खोलने पर पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा विचार किया जा रहा है।

बुलन्दशहर के श्री शिव कुमार उर्फ शिब्बन का कत्ल

*12—श्री मन्जूर अहमद तथा श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

क्या गृह मन्त्री को यह मालूम है कि बुलन्दशहर में एक व्यक्ति श्री शिव कुमार उर्फ शिब्बन का कत्ल 19 फरवरी, 1978 को अपरान्ह साढ़े 4 बजे के लगभग दिन में हुआ और इसके कातिलों में एक व्यक्ति श्री जगन पुत्र श्री रम्मन था जो उस समय एक कत्ल के मुकदमे की सजा भुगतते हुए पैरोल पर था ? क्या मुख्य मंत्री को यह भी मालूम हैं कि इस मुकदमे के बावजूद एक माह बाद 18 मार्च, 1978 को इस व्यक्ति की उपरोक्त 302 के मुकदमे की शेष सजा माफ कर उसे मुक्त कर दिया ?

श्री राम सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 19-2-78 को श्री जीवन लाल पुत्र श्याम लाल निवासी छत्ता बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली पर इस आशय की लिखित रिपोर्ट अंकित करायी गयी कि उसी दिन लगभग साढ़े 4 बजे तीन अभियुक्त जगन, अलोक पुत्रगण रम्मन तथा जगत सिंह उर्फ अन्नू द्वारा श्री शिवकुमार उर्फ शिब्बन की हत्या की गई।

उक्त अपराध के संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग अन्तर्गत धारा 302/303 भा0 दं0 वि0 अंकित करके विवेचना प्रारम्भ की गई। अभियुक्त अन्नू की दिनांक 9-3-78

को हत्या हो गई एवं शेष दो अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 30-3-78 को न्यायालय प्रेषित किये गये।

अभियुक्त जगन पुत्र श्री रम्मन 19-2-78 को पैरोल पर था। बंदी जगन को उत्तर प्रदेश प्रिजनर्स रिलीज आफ प्रोवेशन ऐक्ट के अन्तर्गत लाइसेंस पर मुक्त करने के आदेश 18-3-78 को जारी किये गये थे, क्योंकि उस तिथि तक जगन द्वारा 19-2-78 को किये गये अपराध की सूचना शासन को उपलब्ध नहीं थी, परन्तु बंदी को मुक्त नहीं किया गया। वह अब भी जेल में निरुद्ध है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

पुलिस विभाग के सब-इन्सपेक्टर का इन्सपेक्टर पद पर प्रोन्नति एवं पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी

*1--श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री पूरन लाल (जिला हरदोई)

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि 31 मार्च, 1978 को उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में सब-इन्सपेक्टर से इन्सपेक्टर पद के लिए प्रोन्नत सूची में 206 प्रदेश के पुलिस सब इन्सपेक्टर्स के नाम आये हैं? यदि हां, तो इन 206 अधिकारियों में कितने अधिकारी पिछड़ी जाति (उपजाति सहित) से व कितने अन्य जातियों से संबंधित है? तथा क्या गृह मन्त्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने इन्सपेक्टर एवं सब-इन्सपेक्टर (अलग-अलग) ऐसे हैं जो लगातार 10 वर्षों से सी0आई0डी0 में ही तैनात रहे है और आज भी हैं, कितने 5 साल से सी0आई0डी0 में ही सेवारत हैं तथा कितने ऐसे हैं जो आज तक सी0 आई0 डी0 में भेजे ही नहीं गये हैं, जिनकी सेवायें 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक की हैं?

श्री राम सिंह--

सब-इन्सपेक्टर से इन्सपेक्टर के पद पर स्थानापन्न प्रोन्नति हेतु (सी0 आई0 लिस्ट 2) 206 सब इन्सपेक्टरों की एक लिस्ट दिनांक 23 मार्च, 1978 (न कि 31 मार्च, 1978) को घोषित की गई है।

उक्त 206 सब-इन्सपेक्टरों में से पिछड़ी जाति के सब-इन्सपेक्टरों की संख्या के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है 206 सब-इन्सपेक्टरों में से अनुसूचित जाति के 20 है तथा जिनकी उप जाति बार संख्या निम्नवत् है:--

1--जाटव/चमार	15
2--अहिरवार	1
3--आर्या	1
4--शिल्पकार	1
5--पासी	2
योग ..	20

सी0 आई0 डी0 में दस वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले इन्सपेक्टरों की संख्या शून्य है तथा सब-इन्सपेक्टरों की संख्या 9 है।

दिनांक 31-3-78 तक 38 इन्सपेक्टर तथा 21 सब-इन्सपेक्टर ऐसे हैं जो सी0 आई0 डी0 में पिछले पांच वर्षों से सेवारत हैं।

[श्री राम सिंह]

27 इन्सपेक्टर ऐसे है जिन्होंने 5 से 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है परन्तु सी0 आई0 डी0, सतर्कता अधिष्ठान या किसी ऐसे कोष्ठक में कभी नियुक्त नहीं रहे।

सी0 आई0 डी0 में सब-इन्सपेक्टर का नियतन बहुत कम है अतः जिला पुलिस से सब इन्सपेक्टरों का सी0 आई0 डी0 में स्थानान्तरण सम्भव नहीं हो पाता।

प्रदेश के निलम्बित राजपत्रित-अधिकारी

*2—श्री मोती राम (जिला कानपुर), श्री रवीन्द्र सिंह तथा श्री खान गुफरान जाहिदी (जिला फतेहपुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय प्रदेश में राजपत्रित कुल कितने अधिकारियों की सेवाएं निलम्बन में हैं? इन अधिकारियों के निलम्बन की तिथियों की सूचना सदन के पटल पर रखेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

सचिवालय स्थित 296 अनुभागों से वांछित सूचना प्राप्त करने की आवश्यक कार्यवाही की गई। अब तक उपरोक्त अनुभागों में से 195 अनुभागों से सूचना प्राप्त हुई है, जिससे विदित होता है कि इनमें से 180 अनुभागों की सूचना शून्य है तथा 15 अनुभागों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि इनमें से निलम्बित राजपत्रित अधिकारियों की कुल संख्या 60 है। जिन अनुभागों से सूचना अभी तक अपेक्षित है, उन्हें स्मरण कराया जा चुका है तथा उनसे शेष विवरण मिलने पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

[9 मई, 1978 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

कानपुर के ग्राम दुर्जापुर के श्री राम सागर कटियार के घर कत्ल सहित डकैती

*2—श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या गृह मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि दिनांक 9 नवम्बर, 1977 को कानपुर के सिकन्दरा थाना के अन्तर्गत ग्राम दुर्जापुर निवासी राम आसरे के घर में डकैती पड़ी और डाकू उसकी वृद्धा मां को गोली मार कर सारा सामान उठा ले गए ? यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 9-11-77 को ग्राम दुर्जापुर थाना सिकन्दरा जिला कानपुर के निवासी श्री राम आसरे के यहां डकैती पड़ने व उनकी मां को डाकुओं द्वारा गोली मारने की घटना सूचना थाना सिकन्दरा पर नहीं की गई थी बल्कि उक्त तिथि को ग्राम दुर्जापुर थाना सिकन्दरा (कानपुर) के निवासी श्रीराम सागर कटियार ने दिनांक 8/9-11-77 को रात में अपने यहां पड़ी डकैती व डकैतों की मार पीट से अपने पिता की मृत्यु हो जाने की सूचना थाना सिकन्दरा पर दी थी। इस सूचना पर एक मुकदमा धारा 396 भारतीय दण्ड विधान का कायम किया गया और विवेचना शुरू की गई। पुलिस ने नामांकित तीनों अभियुक्तों व एक अन्य अभियुक्त को उसी दिन लूटे गये माल सहित गिरफ्तार किया व जेल भेजा।

मामले में विवेचना जारी है।

*3—श्री गनेशी लाल चौधरी—

[4 थे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला कारागार, गोरखपुर में बन्दी अध्यापकों और जेल कर्मचारियों के बीच मारपीट की घटना

*4—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री मन्जूर अहमद तथा श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर कारागार में 21 दिसम्बर, 1977 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन बन्दी अध्यापक सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज किया गया ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

दिनांक 22 दिसम्बर, 1977 को बन्दी अध्यापकों तथा जेल कर्मचारियों के बीच गोरखपुर जेल में मारपीट हुई। घटना का विवरण संलग्न है।

घटना की मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही की गई।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 110 पर)

गोरखपुर के बिछिया कालोनी में पी0 ए0 सी0 विद्रोह में गोरखनाथ पीठाधीश्वर महन्त अवैद्य नाथ द्वारा मध्यस्थता

*5—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि वर्ष 1973 में प्रदेश में हुए पी0 ए0 सी0 विद्रोह के समय गोरखपुर के बिछिया कालोनी के विद्रोही पी0 ए0 सी0 जवानों के आत्म समर्पण हेतु गोरखनाथ पीठाधीश्वर महन्त अवैद्यनाथ ने मण्डलायुक्त जिलाधिकारी उप आरक्षी महा-निरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र से विचार-विमर्श पर मध्यस्थता की थी जिसके परिणामस्वरूप कई ट्रक आग्येयास्त्रों के साथ जवानों ने आत्म समर्पण किया ? यदि हां, तो मध्यस्था से संबंधित दस्तावेज सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां। परन्तु मध्यस्थता से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं लिखा गया था जिसे सदन के पटल पर रखा जाय।

देवरिया जिले में कतिपय अपराधों की घटना

*6—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि 1 जुलाई, 1976 से 15 दिसम्बर, 1977 तक देवरिया जनपद में लगभग चार सौ डकैतियां, पन्द्रह सौ चोरियां तथा हजारों राहजनी नकबजनी, आदि अन्य अपराध घटित हो चुके हैं ? यदि हां, तो इन अभूतपूर्व अपराधों के कारणों की जांच गुप्तचर विभाग की अपराध शाखा के किसी वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा कराई जायगी ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद देवरिया में 1 जुलाई, 76 से 15 दिसम्बर, 77 तक कुल 144 डकतियां, 1516 चोरियां, 166 राहजनी तथा 982 नकबजनी की घटनाओं की सूचनाएं अंकित हुई। यह कहना सही नहीं है कि अपराध अभूतपूर्व है अतः अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा उक्त अपराधों के कारणों की जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर मंडल के पी0सी0एस0 अधिकारियों के स्थायीकरण को मांग

***7—श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल में कितने पी0 सी0 एस0 अफसर ऐसे हैं जिनका स्थायीकरण शासन के स्तर पर रुका है और उसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? उस जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध सरकार कौन सी कार्यवाही करने के लिए सोच रही है ? क्या मुख्य मंत्री पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राम नरेश यादव—

गोरखपुर मण्डल में 6 अधिकारियों का पी0 सी0 एस0 में स्थायीकरण शासन स्तर पर निम्नलिखित कारणों से रुका है:—

(1) 1 अधिकारी का कार्य एवं आचरण अभी देखा जा रहा है।

(2) 5 अधिकारियों ने अभी विभागीय परीक्षाएं/प्रशिक्षण पास नहीं किये हैं।

6

इसके लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय, गोरखपुर में मत-पत्र फूंके जाने की घटना

***8—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री दुक्खी प्रसाद (जिला गोरखपुर)—**

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना महाराजगंज, जिला गोरखपुर में जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय, महाराजगंज के छात्र संघ चुनाव मतपत्र गायब करने सम्बन्धी कोई रपट जनवरी, 1978 के प्रथम सप्ताह में दर्ज हुई है ? यदि हां, तो रपट क्या है एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या मन्त्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रधानाचार्य जवाहर लाल नेहरू स्मारक डिग्री कालेज महाराजगंज ने दिनांक 9—1—78 को थाना महाराजगंज में यह सूचना अंकित करायी कि उन्हें ज्ञात हुआ है कि प्राक्टर कार्यालय में जहां छात्र संघ के मत पत्र तथा पेटिकाएं आदि सील करके रखी गयी थी वहां बाक्स का ताला तोड़ कर मत पत्र फूंके गये हैं। उक्त सूचना के आधार पर थाने में भा0 दं0 वि0 की धारा 457/427 के अन्तर्गत मु0 अ0 सं0 6 अंकित किया गया जिसकी विवेचना जारी है।

***9—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—**

[दिनांक 18—4—78 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 द्वारा उत्तरित]

***10—श्री सुखपाल पाण्डेय—**

[राजाज्ञा में सूचना उपलब्ध होने के फलस्वरूप निरस्त]।

नैनीताल क्लब में अग्निकांड की घटना एवं छात्रों पर लाठी चार्ज

***11—श्री रवीन्द्र सिंह—**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नवम्बर, 1977 में नैनीताल में छात्रों युवकों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया था ? यदि हां, तो इसका कारण क्या था ?

श्री राम सिंह—

दिनांक 28 नवम्बर, 1977 को नैनीताल क्लब में कुमायूं वृत्त के वनों की नीलामी शैले हाल में चल रही थी। वनों की उक्त नीलामी के विरोध में उत्तरा खंड संघर्ष वाहिनी के सदस्यों, छात्रों एवं असामाजिक तत्वों की भीड़ 2000–2500 द्वारा नारेबाजी व पथराव करने के उपरांत नैनीताल क्लब के मुख्य भवन, सनी साइड, 20 सूट व डायनिंग हाल में आग लगा दी गई। अतः परगनाधिकारी नैनीताल की आज्ञा से उक्त उपद्रव भीड़ को तितर बितर करने के लिये शैले हाल के पास पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा किन्तु किसी व्यक्ति को चोट नहीं आई।

*12—श्री शिवानान्द नौटियाल—

[शासन के कई विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

उत्तरकाशी के गाजणा, कठूड, मानपुर, बारागढ़ी आदि के नागरिकों का जूनियर हाई स्कूल के संबंध में प्रार्थना-पत्र

*13—श्री ऊदल—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर काशी एवं बेसिक शिक्षाधिकारी, उत्तर काशी को 16 जुलाई, 1977 एवं 26 जुलाई, 1977 को पट्टी गाजणा कुठूड मानपुर विसनपुर चालेव धनपुर बारागढ़ी आदि के नागरिकों ने एक स्मृति-पत्र हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूलों एवं बेसिक स्कूलों के संबंध में दिया था ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

पर्वतीय विकास मंत्री (श्री शोबन सिंह जीना)—

जी हां।

श्री खाल न्यूसारी तथा मानपुर बाड़ागड्डी में जूनियर हाई स्कूल 1977–78 में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा खोल दिये गये हैं।

धौन्तरी नामक स्थान पर वर्ष 1977-78 में हाई स्कूल खोलने का निर्णय नहीं लिया गया है।

1977–78 में जिला उत्तरकाशी के लिये एक जूनियर हाई स्कूल का भवन निर्माण स्वीकृति हुआ था। जिला बेसिक शिक्षा समिति ने इसे जोशियाडो (बाडागडी) में बनाने का निर्णय लिया। स्थान कमद में भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी है।

न्यूगांव गाजणा शाखा प्राइमरी पाठशाला के स्थान पर नियमित सम्पूर्ण प्राइमरी पाठशाला खोल दी गई है।

भवन रहित जूनियर व प्राइमरी स्कूलों के भवनों को बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। परन्तु इसके लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

नैनीताल जिले के न्यायालय के कार्यालय के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*14—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या न्याय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0 29 सी/सात उ0 न्या0 5/सी/78, दिनांक 28 फरवरी, 1978 के संबंध में जिला नैनीताल के न्यायालयों के कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत के संबंध में आज दिन तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जिला नैनीताल के न्यायालयों में भ्रष्टाचार के बाबत एक शिकायती-पत्र श्री चरणजीत शर्मा ने प्रेषित किया था। मुकदमा दीवानी बाद संख्या 19, सन 1972 में श्री शर्मा प्रतिवादी थे और उक्त बाद श्री शर्मा के विरूद्ध 14 दिसम्बर, 1977 को निर्णीत हो गया, जिला जज के माध्यम से उक्त शिकायती-पत्र पर जांच कराई गई और भ्रष्टाचार का आरोप निराधार पाया गया। इतना अवश्य ज्ञात हुआ कि मुकदमें के कुछ कागजात सम्बन्धित लिपिक की असावधानी से पत्रावली की सूची में दर्ज नहीं किये गये थे। अतः उक्त लिपिक की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्ट कर दी गई है।

आई० ए० एस० अधिकारी श्री महमूद बट्ट एवं श्री माता प्रसाद का निलम्बन

*15—श्री मन्जूर अहमद

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जून, 1977 से मार्च, 1978 तक कितने आई० ए० एस० अधिकारी सस्पेंड हुये हैं ? क्या यह सही है कि भूतपूर्व जिलाधीश आगरा (श्री माता प्रसाद) व भूतपूर्व मुख्य सचिव (श्री महमूद बट्ट) को भी सस्पेंड किया गया है ? यदि हां, तो इनके सस्पेंड करने का क्या कारण है ?

श्री राम नरेश यादव—

1 जून, 1977 से मार्च, 1978 तक की अवधि में श्री माता प्रसाद तथा श्री महमूद बट्ट दो आई० ए० एस० अधिकारियों को निलम्बित किया गया।

श्री माता प्रसाद को आपातकाल में जिला मैजिस्ट्रेट बरेली के पद पर की गयी कथित ज्यादतियों की शिकायत के संबंध में तथा श्री महमूद बट्ट को भारत सरकार द्वारा की जा रही जांच केसम्बन्ध में निलम्बित किया गया।

थाना कप्तानगंज, जिला देवरिया में श्री राम नारायण के साथ कथित दुर्व्यवहार

*16—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया थाना कप्तानगंज, जिला देवरिया के राम नारायण को थाना कप्तानगंज की पुलिस ने 14 फरवरी, 1978 को पकड़ कर थाने में 21 फरवरी, 1978 को बन्द कर हवालात में 24 घंटे के अलावा कई दिनों तक रखा और दुर्व्यवहार किया ? क्या इस संबंध में मोरध्वज ने माननीय मुख्यमंत्री, डी० आई० जी० गोरखपुर तथा जिलाधीश, देवरिया को प्रार्थना-पत्र 14 फरवरी, 1978 से लेकर 21 फरवरी, 1978 तक दिया है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राम नारायण को मु० अ० सं० 223/77 के संबंध में भारतीय दंड विधान की धारा 302 के अन्तर्गत दिनांक 2-3-78 को गिरफ्तार किया गया और उसी दिन जेल भेज दिया गया तथा उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया। इस संबंध में जिला मैजिस्ट्रेट, देवरिया तथा पुलिस अधीक्षक, देवरिया को सम्बोधित एक शिकायती पत्र दिनांकित 19-2-78 प्राप्त हुआ जिस पर श्री केशव कुमार के हस्ताक्षर है और श्री मोरध्वज का नाम अंकित है। डी० आई० जी०, गोरखपुर को सम्बोधित श्री मोरध्वज का शिकायती पत्र दिनांकित 21-2-78 भी प्राप्त हुआ है।

मुख्य मंत्री जी को भी मोरध्वज का एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है। शिकायती-पत्रों की जांच की जा रही है।

श्री जगदीश प्रसाद जैन, लिपिक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मैनपुरी के कथित हत्या की योजना

*17—श्री हुकमचन्द्र तिवारी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाबूलाल जैन, ग्राम वसैया, डा0 जैगारा, जिला आगरा की इस आशय की शिकायत मिली कि उसके पुत्र जगदीश प्रसाद जैन, कनिष्ट लिपिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मैनपुरी में सेवारत की हत्या दिनांक 23 जनवरी, 1978 को करने की योजना श्री अर्जुन सिंह दोहरे, तत्कालीन रोजगार अधिकारी, मथुरा ने बनाई क्योंकि जगदीश प्रसाद जैन ने श्री अर्जुन सिंह दोहरे के विरुद्ध भ्रष्टाचार में लिप्त होने की शिकायत शासन से की थी और उनके विरुद्ध प्रमाण साक्ष्य भी प्रस्तुत किया था ?

श्री राम सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित आशय का श्री बाबू लाल जैन, आगरा का श्रम मंत्री जी को सम्बोधित प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें प्रार्थी के पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जैन कनिष्ट लिपिक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मैनपुरी पर दिनांक 23—1—78 को अमुक व्यक्ति द्वारा हमला किये जाने की शिकायत करते हुये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मैनपुरी से सम्बन्धित कुछ विभागीय झगड़े का उल्लेख किया गया है और श्री जगदीश प्रसाद जैन का मैनपुरी से स्थानान्तरण किये जाने की मांग की गई है। उक्त प्रार्थनपत्र पर श्रम विभाग द्वारा जांच करायी जा रही है।

जहां तक श्री जगदीश प्रसाद जैन की हत्या की योजना बनाने और उन पर दिनांक 23—1—78 को हमला किय जाने के आरोप का सम्बन्ध है, प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट जनपद मैनपुरी के थाने पर अंकित नहीं करायी गई है।

श्री फकीर हुसैन एडवोकेट, जौनपुर की गिरफ्तारी के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

*18—श्री अरुण कुमार, श्री राजकिशोर तिवारी, श्री कमलाप्रसाद सिंह, श्री राम शिरोमणि दुबे तथा श्री राम कृष्ण (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के श्री फकीर हुसैन ऐडवोकेट को अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार करके कोतवाली जौनपुर में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया ? इस सम्बन्ध में बार ऐसोसिएशन, जौनपुर ने एक प्रस्ताव दिनांक 28 फरवरी, 1978 को पारित करके सरकार के पास भेजा है ? क्या यह सत्य है कि इसकी जांच आयुक्त, वाराणसी द्वारा दिनांक 8 मार्च, 1978 से 10 मार्च, 1978 तक की गई ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या है और सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री राम सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार जौनपुर जिले के ऐडवोकेट श्री फकीर हुसैन, की गिरफ्तारी व उन्हें हवालात में पीने के लिये पानी व कम्बल उपलब्ध न कराये जाने के बारे में बार-एसोसियेशन जौनपुर का प्रस्ताव दिनांक 28—2—78 प्राप्त हुआ था।

जी हां। उक्त मामले की जांच आयुक्त, वाराणसी मण्डल ने दिनांक 8—3—78 से 10—3—78 तक की। मण्डलायुक्त की जांच रिपोर्ट शासन के विचाराधीन हैं।

श्रीमती सोमारी देवी द्वारा थाना वेलम्पार गोरखपुर में लिखाई गई रिपोर्ट

*19—श्री हरि केवल प्रसाद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 12 मार्च, 1978 को थाना वेलम्पार, जिला गोरखपुर में श्रीमती सोमारी देवी, पत्नी श्री रामपति हरिजन को मारे जाने

[श्री हरि केवल प्रसाद]

के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट श्रीमती सोमारी देवी के पुत्र ने लिखाई है, यदि? हां तो उस पर उक्त थाने की पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार रिपोर्ट श्रीमती सोमारी देवी ने स्वयं लिखाई। उपर्युक्त रिपोर्ट व नतीजा डाक्टरी के आधार पर भा0 दं0 वि0 की धारा 324/323/504/506 के अन्तर्गत मुकदमा अंकित हुआ जिसकी विवेचना की जा रही है।

पुलिस जवानों की भर्ती हेतु गोरे कमेटी की रिपोर्ट

*20—श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि पुलिस के जवानों की भर्ती में गोरे कमेटी की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या थीं और क्या उनका पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामसिंह—

पुलिस के जवानों की भर्ती के सम्बन्ध में गोरे कमेटी की मुख्य-मुख्य सिफारिशों का और उन पर की गई कार्यवाही का विवरण† सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*21—श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा चौधरी अनवार अहमद —

[दिनांक 25-4-78 को तारांकित प्रश्न संख्या 13 द्वारा उत्तरित]

उन्नाव जिले के ग्राम नासिर पुर के हरिजनों के साथ नसबन्दी के सम्बन्ध में की गई ज्यादतियों की जांच

*22—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

दिनांक 4 अप्रैल, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर के संबंध में क्या मुख्य मंत्री को यह जनकारी है कि नसबंदी के दौरान उन्नाव जिले के ग्राम नासिरपुर में पुलिस पी0 ए0 सी0 द्वारा हरिजनों पर की गई ज्यादतियों के कारण ही थाना फतेहपुर 84 का पूरा स्टाफ सस्पेन्ड कर दिया गया था और 1 ट्रक पी0 ए0 सी0 निरन्तर एक माह तक उक्त ग्राम में पड़ी रही ? यदि हां, तो क्यों ? मुख्य मंत्री जी क्या इस सम्बन्ध में अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राम सिंह—

विशेष जांच शाखा की प्रारम्भिक जांच में की गई संस्तुति के अनुसार पूरे मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपन का निर्णय लिया गया। अपराध अनुसंधान विभाग की निष्पक्ष जांच हेतु थाना फतेहकर चौरासी का पूरा स्टाफ पुलिस लाइन स्थानान्तरित किया गया तथा थानाध्यक्ष सहित कुछ पुलिस कर्मचारियों को निलम्बित किया गया और 10-12-76 को जांच सी0 आई0 डी0 को सौपी गई। इस उद्देश्य से कि स्थानीय पुलिस ग्राम वासियों को परेशान न कर सकें, कानपुर से दो सेक्शन पी0 ए0 सी0 9-12-76 को घटना स्थल पर तैनात की गई जिसमें से एक सेक्शन पी0 ए0 सी0 20-12-76 को तथा दूसरी 6-1-77 को वापिस कर ली गई।

अपराध अनुसंधान विभाग की जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखना जनहित में न होगा।

---

†छापा नहीं गया।

उद्योग विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों का निलम्बन एवं बहाली

*23—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि भूतपूर्व कांग्रेसी सरकार ने वर्ष 1974-75 के आस पास कतिपय उद्योग विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को फर्जी औद्योगिक इकाइयों का गलत सत्यापन आदि करने के कारण निलम्बित एवं बरखास्त किया था जिन्हें उसे वर्तमान सरकार ने बहाल कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? किस आधार पर और कितने को ?

श्री रामसिंह—

जी हां ।

प्रश्नगत अधिकरियों/कर्मचारियों को निलम्बित हुए काफी समय हो चुका था और उनमें से कुछ के विरुद्ध की गई जांच में आपातकाल में होने के कारण कतिपय तत्वात्मक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटियांआदि पाई गईं । चूंकि सभी के विरुद्ध आरोपों का स्वरूप समान था अतः यह निर्णय लिया गया कि सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवा में पुनः स्थापित किया जाय और उपरोक्त त्रुटियों का निवारण करते हुए दुबारा जांच की जाय। सेवा में पुनः लिए गए अधिकारियों कर्मचारियों की संख्या 8 है ।

*24—श्री हुक्म सिंह परिहार—

[6वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*25—श्री झाम लाल अहेरवार—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*26—श्री शतरुद्ध प्रकाश, श्री राम द्विवेदी, श्री कल्पनाथ सिंह तथा श्रीमती सूर्यमुखी शर्मा—

[9वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

आगरा जिले के थाना शमशाबाद के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र और श्री तुलाराम की हत्या एवं श्रीमती मान देवी का अपहरण एवं हत्या

*27—श्री हुक्म सिंह परिहार—

क्या सरकार को पता है कि आगरा जनपद के थाना शमशाबाद में तारीख 16 मार्च, 1978 को राजेन्द्र और तुलाराम नामक युवकों की हत्या करके श्रीमती मोनादेवी पत्नी श्री राजेन्द्र का अपहरण किसी डाकू के गिरोह द्वारा कर लिया गया है ? अगर हां, तो क्या श्रीमती मोनादेवी का कुछ पता लगा है ? यदि नहीं, तो उन्हें मुक्त कराने का क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

श्री रामसिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 23-3-78 को श्री मवासी पुत्र चिरंजी कौम जाटव, निवासी इनायतपुर ने थाना शमशाबाद पर इस आशय की सूचना अंकित करायी कि पूरन सिंह निवासी गढ़ी मजन्ध के खेत में किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों की दो लाशें पड़ी हैं । उक्त सूचना पर पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची । घटनास्थल पर दोनों लाशों के केवल हड्डियां होने के कारण किसी आदमी ने उन्हें शिनाख्त नहीं किया । बाद में तफ्तीश से यह ज्ञात हुआ कि उक्त लाशें राजेन्द्र पुत्र विद्याराम बढ़ई एवं तुलाराम पुत्र झम्मन नाई की है जो राजेन्द्र की बहू को विदा कराके लाये थे एवं जिनका अभी तक कुछ पता नहीं हैं ।

यह भी ज्ञात हुआ है कि किन्हीं बदमाशों ने राजेन्द्र एवं तुलाराम की हत्या करके राजेन्द्र की बहू को भगा लिया है ।

उक्त तथ्यों के आधार पर थाना शमशाबाद पर मुकदम अन्तर्गत धारा 302/201/363 भा0द0वि0 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध कायम किया गया एवं विवेचना प्रारम्भ की गई

[श्री राम सिंह]

विवेचना के दौरान तीन अभियुक्त खूबी एवं पीतम पुत्रगण विद्याराम ठाकुर तथा विजेन्द्र पुत्र हीरा सिंह ठाकुर निवासीगण वेहटा थाना ताजगंज आगरा प्रकाश में आये । अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं श्रीमती मानदेवी को बरामद करने के लिये दबिशें दी गई । दिनांक 29-3-78 को दो अभियुक्त पीतम एवं विजेन्द्र ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया एवं उन्हें उसी दिन जेल भेज दिया गया। अभियुक्त खूबी मय अपहृत मानदेवी को लेकर छिपता फिरता रहा । दिनांक 6-4-78 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा ग्राम नौफरी के पास उसे घेर लिया गया । अभियक्त खूबी मानदेवी को लेकर छुप गया एवं पुलिस पार्टी पर फायर करना शुरू किया पुलिस पार्टी ने भी आत्म रक्षा में फायर किया । इस मुठभेड़ में खूबी और मानदेवी दोनों घटनास्थल पर मारे गये ।

अभियोग की विवेचना प्रचलित है ।

गोरखपुर जिले के थाना महराजगंज के अन्तर्गत श्री माता प्रसाद की हत्या

*28—श्री दुक्खी प्रसाद—

क्या शासन को इस बात की जानकारी है कि 19 फरवरी, 1978 को गोरखपुर जिले के महराजगंज थाना में एक लाश पकड़ी जंगल से बरामद करके लायी गई ? यदि हां, तो लाश किसकी थी ? क्या मुकदमा दर्ज किया गया ? एवं अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम सिंह—

जी हां । लाश श्री राम प्रसाद की थी । जी हां । विवेचना हो रही है ।

जालौन जिले के ग्राम ईटों के श्री राम रूप गुप्त के घर पर डकैती एवं उनकी हत्या

*29—श्री कृष्ण कुमार पालीवाल तथा श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि ग्राम ईंटों, थाना कुठांव (जालौन) में दिनांक 13 मार्च, 1978 को श्री रामरूप गुप्त के यहां डकैती डाली गई और श्री गुप्त की हत्या कर दी गई? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि संदिग्ध अभियुक्त इसके बावजूद खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि श्री गुप्त की विधवा ने जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में शपथ-पत्र देकर, उनका उल्लेख किया है? क्या यह भी सच है कि हत्या के दूसरे दिन ही श्री गुप्त की विधवा ने अभियुक्तों के नाम पुलिस अधीक्षक को बता दिए थे ।

श्री राम सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 13 मार्च, 1978 को श्री राम रूप गुप्त निवासी ग्राम ईटों, थाना कुठौंद, जिला जालौन के यहां 10/12 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा डकैती डाले जाने और फायर से श्री गुप्त की हत्या कर दिये जाने की रिपोर्ट दिनांक 14-3-78 को थाना कुठौंद में अंकित कराई गई थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर धारा 396 भारतीय दंड विधान का अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है । अब तक की विवेचना से मुकदमे के वादी तथा उसके पुत्र जिन पर मृतक की विधवा को संदेह है, सहित ग्यारह अभियुक्त प्रकाश में आए है उनमें से 6 अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं तथा वादी न्यायालय में आत्म समर्पण कर चुका है एवं शेष 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है ।

यह सही नहीं है कि संदिग्ध अभियुक्तगण के नाम मृतक की विधवा ने घटना के दूसरे दिन पुलिस अधीक्षक को बता दिये थे क्योंकि उस समय मृतक की विधवा सदमें के कारण लगभग बेहोश थी और उसकी पुलिस अधीक्षक से कोई बातचीत नहीं हुई थी मृतक की विधवा ने चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट को दिये गये शपथपत्र में संदिग्ध अभियुक्तगण के नाम पुलिस अधीक्षक को घटना के दूसरे दिन बताना अंकित किया है लेकिन पुलिस अधीक्षक ने स्वयं 14-3-78 को घटना स्थल का निरीक्षण किया था और अपनी पर्यवेक्षण रिपोर्ट में अंकित किया कि मृतक की पत्नी आशारानी लगभग बेहोश थी तथा कुछ भी बताने में असमर्थ थी ।

रेन्ज आफिसर, पुवायां, श्री एस० पी० सिंह यादव, जिला शाहजहांपुर द्वारा दो लड़कियों की हत्या

*30—श्री धर्मगज सिंह (जिला हरदोई)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जिला शाहजहांपुर, थाना सेहरामऊ उत्तरी के अन्तर्गत हाल ही में एक बन विभाग के रेन्जर ने अपनी बन्दूक द्वारा दो हरिजन लड़कियों की हत्या कर दी ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस रेन्जर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 8-12-77 को बेनी पुत्र दुलारे जाटव निवासी ग्राम मोहनपुर गोविन्दपुर जिला शाहजहांपुर ने थाना सेहरामऊ उत्तरी में रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसके गांव के पास फोरेस्ट गार्ड की चौकी पर तैनात रेन्ज आफिसर पुवांया श्री एस पी० सिंह यादव तथा एक अन्य अधिकारी से प्रार्थी ने अपना बकाया वेतन मांगा। जिस पर रेन्जर ने बन्दूक से फायर कर दिया। परिणामस्वरूप पास खड़ी प्रार्थी की एक लड़की तथा दो भतीजियां घायल हो गयीं। इस सूचना पर अपराध संख्या 134 धारा 307 भारतीय दण्ड विधान पंजीकृत किया गया। दो घायल लड़कियों की अस्पताल में मृत्यु हो गयी। अतः अभियोग में धारा 302 भारतीय दण्ड विधान भी जोड़ दी गयी। अभियुक्त एस० पी० सिंह यादव रेन्जर तथा सालिगराम वाचर के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 12-4-78 को न्यायालय भेजा गया। अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है।

*31—श्री त्रिलोक चन्द्र—

[7वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 69 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*32—श्री अब्दुल वहीद—

[दिनांक 1-11-77 को तारांकित प्रश्न संख्या 32 द्वारा उत्तरित।]

ग्राम गाजीपुर, जिला आजमगढ़ की सूरति का जुल्म के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

*33—श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 18 मार्च, 1978 को आजमगढ़ जनपद के तहसील फूलपुर, ग्राम गाजीपुर, थाना महराजगंज के सूरति पुत्र त्रिवेनी लोहार ने जालिमों के जुल्म से छुटकारा एवं न्याय पाने हेतु थानाध्यक्ष, महराजगंज व पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी, आजमगढ़ को आवेदन-पत्र दिया है और प्रश्नकर्ता ने भी माननीय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश लखनऊ व थानाध्यक्ष, महराजगंज, आजमगढ़ को माह अप्रैल, 1978 में आवेदनपत्र दिया है ? यदि हां, तो उक्त हरिजन की सुरक्षा हेतु क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामसिंह—

जी हां। दोनों पक्षों को समझा-बुझा दिया गया है। शान्ति भंग की सम्भावना एवं पुलिस कार्यवाही की आवश्यकता नहीं बतायी गयी है।

आबादी के आधार पर जिले में विकास केन्द्र खोले जाने की मांग

*34—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या उद्योग मंत्री कृपया विधान सभा के प्रथम सत्र 1978 के 3सरे मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 21के सन्दर्भ में बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जिन जिलों की आवादी अधिक है उन जिलों में कम विकास केन्द्र खोले जा रहे हैं और कम आबादी वाले

[श्री कल्पनाथ सिंह]

जिलों में अधिक विकास केन्द्र खोले जा रहे हैं उसका कारण क्या है ? क्या इस सन्दर्भ में जिला गोन्डा, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, देवरिया जैसे जिलों की तुलनात्मक स्थिति आबादी और खोले जाने वाले विकास केन्द्रों का औचित्य बताने का कष्ट करेंगे?

श्री राम प्रकाश--

यह सही नहीं है कि अधिक आबादी वाले जिलों में कम तथा कम आबादी वाले जिलों में अधिक विकस केन्द्र खोल जा रह ह । प्रयोगात्मक रूप में सामान्यतया वर्ष 1977-78 में प्रत्येक जनपद में एक विकास केन्द्र चुना गया है । चूंकि प्रारम्भ में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर प्रयोगात्मक रूप में ही प्रदेश में 60 विकास केन्द्र स्थापित किये गये हैं अतएव आबादी के अनुपात में विकास केन्द्रों की संख्या निर्धारित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

फैजाबाद जिले के कस्बा टांडा में स्टेपिल यार्न के सेल डिपो की स्थापना की मांग

*35--श्री अब्दुल हफीज (जिला फैजाबाद)--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के टान्डा कस्बे में सरकारी सेल डिपो द्वारा बुनकरों को स्टेपिल यार्न वर्ष 1978 में वितरण कराने के सम्बन्ध में सरकार विचार करगी ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा कोई पत्र दिनांक 3 फरवरी, 1978 को भेजा हुआ माननीय मुख्य मंत्री तथा माननीय उप मंत्री, उद्योग को प्राप्त हुए? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राम प्रकाश--

जनपद फैजाबाद में टान्डा कस्बे में सरकारी सेल डिपो खोलने के सम्बन्ध में शासन द्वारा विचार नहीं हो रहा है ।

माननीय सदस्य के दिनांक 2-3-78 के संदर्भित पत्र प्राप्त हुए परन्तु चूंकि उ0 प्र0 स्टेट स्पिनिंग मिल्स कप्पनी (नं0 1) लि0 कानपुर द्वारा अपनी अकबरपुर (जिला फैजाबाद) स्थित कताई मिल के यार्न के विक्रय हेतु वहीं एक सेल डिपो खोलने के प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है टान्डा में सेल डिपो खोलने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

ग्राम अकबरपुर, कोट, जिला एटा में श्री रामफल लोध की अलबर डकैत द्वारा हत्या एवं विधवा को दी गयी सहायता

*36--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रूखाबाद)--

क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें रामफल लोध की विधवा पत्नी ने दिनांक 30 मार्च, 1978 को यह आवेदन-पत्र दिया है कि उसका पति ग्राम अकबरपुर, कोट, थाना अलीगंज, एटा में अगस्त, 1977 में कुख्यात डकैत अलवर द्वारा मारे जाने पर उसकी कोई आर्थिक सहायता नहीं की गई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राम सिंह--

जी हां । स्वर्गीय श्री रामफल की विधवा को 2,500 रु0 अनुदान की स्वीकृति दान कर दी गयी है ।

हिमालय क्षेत्र में बन के हरे पेड़ों का कटान एवं चिपको आन्दोलन

*37—श्री श्यामदत्त पालीवाल

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि कुल भूमि के 33 प्रतिशत भाग में वन होने की राष्ट्रीय नीति की तुलना में उत्तर प्रदेश में केवल लगभग 17 प्रतिशत वन होने के बावजूद सरकार ने हिमालय क्षेत्र में हरे पेड़ कटाने का ठेका दिया है ? क्या यह सही है कि इसके विरुद्ध स्थानीय लोगों द्वारा 'चिपको आन्दोलन' चलाया गया है? यदि हां, तो ऐसी स्थिति में हरे पेड़ काटने का ठेका देने का मुख्य कारण क्या है ?

वन मंत्री (श्री श्रीचन्द्र)—

जी हां। परन्तु प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल कम होने के तथ्य का वन के क्षेत्र में हरे पेड़ों के कटान से कोई सम्बन्ध नहीं है। हरे वृक्षों का कटान वैज्ञानिक ढंग से वन शास्त्र के ठोस नियमों पर आधारित कार्य योजनाओं के अनुसार होता है। इस प्रकार के कटान वनों के पुनर्जनन एवं बढ़ोत्तरी के लिये नितान्त आवश्यक है तथा इसका भूस्खलन, वातावरण तथा वनों के क्षेत्रफल पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता है।

यह सही है कि कुछ लोगों ने वृक्षों के कटान के विरुद्ध एक तथाकथित आन्दोलन चलाने का प्रयास किया था। इस सम्बन्ध में 22 जनवरी, 1978 को पर्वतीय क्षेत्रों के संसद सदस्यों तथा विधायकों की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पर्वतीय क्षेत्र में वृक्षों का वैज्ञानिक ढंग से कटान जारी रखा जाय।

टेलीफोन मानीटर, सचिवालय के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*38—श्री मित्रसेन—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 25 अक्तूबर, 1977 व 1 नवम्बर, 1977 के सचिवालय के इक्सचेंज के मानीटर के विरुद्ध शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गयी है और इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

*श्री राम नरेश यादव—

जी हां। मामले की छानबीन अनुसचिव, अब (उप सचिव) सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा की गई थी। टेलीफोन मानीटर को आपरेटर के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

*39—श्री ईश्वर प्रसाद—

[9वें गरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 22 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

अल्मोड़ा जिले के ग्राम घेटी के श्री नरसिंह के विरुद्ध कच्ची शराब बनाने एवं आगजनी सम्बन्धी अभियोग

*40—श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा) तथा श्री कमल किशन पान्डेय (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक 26 मार्च, 1978 की रात्रि में अवैध शराब बनाने वाले श्री नरसिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह ग्राम भंडार पो0 झिलकोट, जिला अल्मोड़ा से एक बोतल अवैध शराब श्री लक्ष्मीदत्त पुत्र श्री हरदत्त द्वारा खरीदी गयी जिसे श्री लक्ष्मीदत्त, श्री पूरनचन्द्र तिवारी, श्री शेखर चन्द्र द्वारा सील्ड कर श्री शेखर चन्द्र पुत्र श्री चन्द्र दत्त तिवारी के घर रखा गया उसी रात्रि को अवैध शराब बनाने वाले उपरोक्त व्यक्ति श्री नरसिंह द्वारा श्री चन्द्र दत्त तिवारी के घर में आग लगा दी गयी जिसमें एक गाय, एक भैंस और एक बैल

[श्री पूरन चन्द्र तथा श्री कमल किशन पाण्डेय]

जल कर मर गए जिसकी रिपोर्ट दिनांक 27 मार्च, 1978 को तहसील बागेश्वर में दर्ज करा दी गयी थी। प्रश्नकर्ता भी स्वयं इस मामले में जांच करावाने हेतु दिनांक 2/3 अप्रैल, 1978 को परगनाधिकारी, बागेश्वर एवं जिलाधिकारी, अल्मोड़ा से मिले ? अतः क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं की गयी है, तो कब तक की जाएगी ?

श्री राम सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 27-3-78 को श्री शेखर चन्द्र, पुत्र श्री चन्द्र दत्त, ग्राम घेटी ने तहसील बागेश्वर पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 26-3-78 को गांव में होली के अखाड़े पर एकत्रित लोगों में यह चर्चा चलने पर कि कच्ची शराब बनाने का कार्य बन्द हो, श्री नरसिंह, पुत्र श्री गोविन्द सिंह, ग्राम घेटी ने सभी लोगों के समक्ष शराब बनाने के सिलसिले में अपना (श्री नरसिंह का) नाम लेने वाले व्यक्ति को जान से मारने एवं उसके घर में आग लगा देने की धमकी दी। उसी रात्रि प्रार्थी की गोशाले में बंधे हुये एक भैंस, एक बैल एवं एक बछिया मय गोशाले के जल कर नष्ट हो गये एवं प्रार्थी को गोशाले में आग लगाने के संबंध में पूरा यकीन उपरोक्त नरसिंह पर है।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त नरसिंह के विरुद्ध अभियोग अन्तर्गत धारा 436 भा0 दं0 वि0 कायम करके विवेचना प्रारम्भ की गई।

विवेचना के दौरान श्री शेखर चन्द्र, पुत्र चन्द्र दत्त ग्राम घेटी, क्षेत्र डंगौली एवं श्री पूरन चन्द्र, पुत्र गोबर्द्धन, ग्राम घेटी, क्षेत्र डंगौली ने एक कच्ची शराब की शील्ड बोतल यह कहते हुये दाखिल की कि उक्त बोतल श्री लक्ष्मीदत्त, पुत्र हरी दत्त, ग्राम घेटी से 8.00 रुपया कीमत पर श्री नरसिंह, पुत्र गोविन्द सिंह, ग्राम घेटी भंडार के यहां से खरीद कर मिली है जो कि दिनांक 26-3-78 को श्री गिरीश चन्द्र कांडपाल पुत्र माधवानन्द कांडपाल की दुकान पर लाई गई थी और यह ज्ञात करने के लिये मंगाई गई थी कि गांव में कोई अवैध शराब बनाने या बेचने का धंधा करता है अथवा नहीं। इस संबंध में अभियुक्त नरसिंह के विरुद्ध धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग कायम करके उसे दिनांक 27-3-78 को गिरफ्तार किया गया एवं उसी दिन जमानत पर रिहा किया गया।

उपरोक्त दोनों अभियोगों की विवेचना जारी है।

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के विरुद्ध डा0 वेद प्रकाश खन्ना, विशेषानन्द योग हेल्थ, रिसौल्ट का प्रार्थना-पत्र

*41--श्री पूरन चन्द्र--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 10 अक्तूबर, 1977 को डा0 वेद प्रकाश खन्ना, विशेषानन्द योग हेल्थ, रिसौल्ट, एन0 टी0 डी0, अल्मोड़ा द्वारा महामहिम राज्यपाल को दिए गए प्रार्थना-पत्र जिसके अन्तर्गत तत्कालीन जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा 15 अगस्त, (स्वतंत्रता दिवस) को मंच से उठकर चले जाने और राष्ट्रीय झन्डे को सलामी न देने की शिकायत की गयी थी, पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राम नरेश यादव--

डा0 वेद प्रकाश खन्ना के प्रश्नगत शिकायती पत्र पर जांच करा ली गयी है और उसके आधार पर कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गयी है।

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश का परीक्षा केन्द्र, लखनऊ में खोले जाने की मांग

*42—डाक्टर बंगाली सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि संघ लोक सेवा आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिए लखनऊ को भी परीक्षा केन्द्र बनाने का निर्णय अभी हाल में हुआ है ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिए भी लखनऊ को परीक्षा केन्द्र बनाने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां ।

जहां तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिये भी लखनऊ को परीक्षा केन्द्र बनाने का प्रश्न है, प्रदेश लोक सेवा आयोग से विचार विमर्श हो रहा है तथा यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

*43—श्री गुरु प्रसाद—

[5 वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

कुकरैल, लखनऊ में कथित पर्यटन आवास गृह

*44—श्री हरी राम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1977–78 में कुकरैल पर्यटक आवास गृह के लिये उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किन-किन फर्मों से तथा कितने-कितने रुपए के फर्नीचर तथा साज-सज्जा के सामान खरीदे गये तथा कितने-कितने मूल्य के सामानों को उपयोग में लाया गया ? क्या यह सही है कि बिना आवश्यक कोटेशन मंगाए ऐसी फर्मों से सामान का क्रय किया गया जो शासन द्वारा अनुमोदित नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार क्रय अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

श्री श्रीचन्द—

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का कुकरैल (लखनऊ) में कोई पर्यटक आवास-गृह नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

1—श्री प्रदीप कुमार यादव—

[8 वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

इलाहाबाद की तहसील हंडिया में स्थापित औद्योगिक इकाईयां

2—श्री अठईराम (जिला इलाहाबाद)—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले में हंडिया तहसील में कुल कितने उद्योग तथा किस किस्म के उद्योग अब तक खोले गये हैं तथा उसकी प्रगति क्या है और इस वर्ष 1978 में किन-किन उद्योगों को खोलने का प्रस्ताव जिले में किन-किन स्थानों में है और वह उद्योग कब तक खोल दिए जायेंगे ?

श्री राम प्रकाश—

इलाहाबाद जिले की हंडिया तहसील में गत वित्तीय वर्ष तक कुल 120 औद्योगिक इकाईयां स्थापित की गयी थीं । इनमें से केवल 70 इकाईयां कार्यरत हैं जो चर्मकला, काष्ठ-कला, कृषि यंत्र, जनरल इंजीनियरिंग, आइस कैण्डो, कम्बल, गलीचा, अल्युमिनियम के बर्तन, तेल पिराई तथा पिसे मसाले आदि उद्योगों से संबंधित है ।

इलाहाबाद जिले में इस वित्तीय वर्ष में निम्न इकाइयों के खोले जाने का प्रस्ताव है :—

1—बीरापुर एवं कलोधन में अगरबत्ती उद्योग;

2—रसार में दाल प्रशोधन,

3—हंडिया में जनरल इंजीनियरिंग उद्योग ।

आशा है कि ये उद्योग वित्तीय वर्ष 1978–79 के अन्त तक उत्पादन प्रारम्भ करेंगे । इनके अतिरिक्त 282 अन्य उद्योग जो गत वित्तीय वर्ष में अस्थायी रूप में पंजीकृत हुये थे; उनके उत्पादन प्रारम्भ करने की आशा भी वर्तमान वित्तीय वर्ष में है ।

श्री मेहरोत्रा, सी० ओ० सिटी, गोरखपुर के विरुद्ध क्रमिक उपवास

3—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सी० ओ० सिटी (श्री मेहरोत्रा) के विरुद्ध गोरखपुर के जिलाधीश के कार्यालय के समक्ष जून, 1975 में युवकों ने क्रमिक उपवास किया था ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं और सरकार ने उस पर क्या किया ?

श्री राम सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बांदा जिले में थानेवार कत्ल व डकैती का विवरण

4—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के प्रत्येक थाने में जुलाई, 1977 से लेकर 28 जनवरी, 1978 तक कितने कत्ल तथा डकैतियां हुई ? क्या यह सत्य है कि जितने कत्ल हुए हैं उनमें आधे से ज्यादा हरिजन मारे गये हैं ? यदि हां, तो इन बढ़ते हुए अपराधों को रोकने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राम सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बांदा में जुलाई, 77 से 28 जनवरी, 78 तक 64 हत्याओं तथा 38 डकैती की रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिनका थानेवार विवरण संलग्न है :

संलग्न विवरण से यह आरोप सही नहीं प्रतीत होता कि कत्ल के मामलों में आधे से अधिक हरिजन मारे गये हैं । किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक आदेश पहले ही जारी हो चुके हैं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 111 पर)

प्रतापगढ़ के थाना कन्धई के अन्तर्गत श्रीमती निर्मलादेवी की हत्या

5—श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती निर्मला देवी, पुत्री श्री वृन्दावन को भगा ले जाने की जो रपट प्रतापगढ़ जनपदान्तर्गत थाना कन्धई में दिनांक 14 जनवरी, 1977 को लिखायी गई थी, उसमें अब तक कोई कार्यवाही हुयी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री राम सिंह—

रिपोर्ट दिनांक 14–1–77 को तो नहीं 15–1–77 को लिखाई गई थी । मुकदमा भारतीय दंड विधान की धारा 498 से 302 में परिवर्तित करके विवेचना की जा रही है ।

प्रतापगढ़ जिले के मीसाबन्दी, श्री ओम प्रकाश खन्डेलवाल का तत्कालीन एल० आई० यू० के इन्चार्ज के विरुद्ध कथित शिकायती पत्र

6—श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आपातकालीन स्थिति के दौरान (मीसा) बन्दी श्री ओम प्रकाश खंडेलवाल, प्रतापगढ़ की ओर से श्री आर० पी० त्रिपाठी तत्कालीन प्रतापगढ़ एल० आई० यू० क इन्चार्ज के विरुद्ध उनकी निरुद्धिकाल में उनके परिवार के लोगों को तंग करने तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई लिखित शिकायत दिनांक 5 जुलाई, 1977 ई० को भेजी गयी ? यदि हां, तो आज तक उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम नरेश यादव—

प्रश्न में उल्लिखित शिकायत दिनांक 5-7-77 शासन को प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रतापगढ़ के थाना जेठवारा के थानाध्यक्ष के विरुद्ध कथित शिकायती पत्र

7—श्री विद्या शंकर—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना इंचार्ज जेठवारा, प्रतापगढ़ के विरुद्ध वहां की ग्रामीण जनता की ओर से कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 2 जनवरी, 1978 ई० को भेजा गया ? यदि हां, तो उक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम नरेश यादव—

प्रश्न में उल्लिखित शिकायती पत्र दिनांक 2-1-78 शासन को प्राप्त नहीं हुआ है ।

पनियरा, (बांकी) रेंज आफिसर, श्री० ए० पी० सिंह, वन विभाग के विरुद्ध आरोपों की जांच

8—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के पनियरा (बांकी) रेन्ज के रेन्ज आफीसर (श्री सिंह) के विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के आरोप शासन को प्राप्त ह जिनकी जांच विभागीय अधिकारियों को सौंपी गई है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या है ? क्या मन्त्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रीचन्द्र—

जी हां, गोरखपुर जिले के पनियरा (बांकी) रेन्ज के रेन्ज आफीसर श्री ए० पी० सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के आरोप तथा इस विषय में की गयी प्रारम्भिक जांच के विवरण संलग्न हैं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 112 पर)

आजाद बेनी प्रसाद पाण्डे, सिविल लाइन, इटावा की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन

9—श्री राम लखन (जिला इटावा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजाद बेनी प्रसाद पांडेय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगला प्रताप ने सिविल लाइन इटावा की पेन्शन जनवरी, 1976 से बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

आजाद बेनी प्रसाद पांडेय की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन का भुगतान जनवरी, 1976 से रोक दिया गया है । इनकी पेंशन रोकने का कारण यह है कि जांच स पता चला है कि इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कोई भाग नहीं लिया है ।

देवरिया जिले में डकैती, कत्ल तथा मवेशिवों की चोरी की घटना

10—श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में वर्ष 1976-77 में कितनी डकैती, कत्ल तथा मवशियों की चोरी सम्बन्धी रिपोर्ट थानेवार लिखाई गई तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1976 तथा 1977 में जनपद देवरिया में डकैती, कत्ल तथा मवेशियों की चोरी संबंधी थानेवार लिखाई गई रिपोर्टों का ब्योरा संलग्न है। सभी मामलों की विवेचना की गयी और अधिकांश मामलों में अभियोग न्यायालय भेजे गये।

(देखिय नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 114 पर)

श्री सुदामा प्रसाद, ग्राम रूलापुर, जिला फर्रुखाबाद की राजनीतिक पेंशन

11—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें श्री सुदामा प्रसाद, पुत्र लल्लू साद, ग्राम रूलापुर, डा0 चपरा, जिला फर्रुखाबाद का दिनांक 1 नवम्बर, 1977 का भेजा आ उत्तर मिल गया है जिसमें उन्होंने अपनी राजनीतिक पेन्शन के सम्बन्ध में गृह (सामान्य) नुभाग-1-संख्या 5706-जेड-16-77-266-77, दिनांक 12 सितम्बर, 1977 को पूछी गई जानकारी अदालत के निर्णय की नकल के साथ भेजी है? यदि हां, तो उक्त उत्तर के उपरान्त कोई निर्णय लिया गया ? यदि हां, तो उनकी राजनीतिक पेन्शन बन्द करने का क्या कारण है ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां, श्री सुदामा प्रसाद का प्रकरण अभी शासन के विचाराधीन है।

12—श्री अब्दुल हफीज—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

13—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[8 वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

मथुरा जिले के थाना सादाबाद के थानाध्यक्ष के विरुद्ध श्री रामसरन सिंह का प्रार्थना-पत्र

14—श्री हुकुम चन्द्र तिवारी—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के अन्तर्गत थाना सादाबाद के थाना अध्यक्ष के विरुद्ध दिनांक 9 फरवरी, 1978 को शाम क लगभग 5.30 बजे बस स्टैण्ड पर खुले आम जनता पार्टी के निष्ठावान कर्मठ कार्यकर्त्ता श्री राम सरन सिंह आर्य भढ़नई की मार पीट करके और उसे गम्भीर आरोपों में फंसाने की शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार मथुरा जनपद के थाना सादाबाद के थानाध्यक्ष के विरुद्ध दिनांक 8-2-78 की शाम को साढ़े पांच बजे बस स्टैण्ड पर श्री राम सरन सिंह आर्य, निवासी मड़नई की खुल आम मारपीट करने और उन्हें गम्भीर आरोपों में फंसान क बारे में श्री राम सरन सिंह आर्य का प्रार्थना पत्र दिनांक 9-2-78 को पुलिस अधीक्षक, मथुरा को प्राप्त हुआ था।

उक्त प्रार्थना पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी, सादाबाद द्वारा करायी गयी। जांच से थानाध्यक्ष के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुये।

बांदा जिले के थाना नरैनी के कांसटेबिल, श्री शिव नायक सिंह का स्थानान्तरण

15—श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बांदा)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिल के नरैनी थाने में कार्यरत सिपाही श्री शिव नायक सिंह का तबादला माह अगस्त सन 1977 में उसके भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के कारण कर दिया गया था ? यदि हां, तो अभी तक नरैनी थाने से क्यों नहीं हटाया गया ? क्या सरकार उसे अविलम्ब हटाने की कृपा करेगी ?

श्री राम सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार कान्सटेबिल शिव नायक सिंह का स्थानान्तरण थाना नरैनी से थाना करवी के लिये दिनांक 9 अगस्त, 1977 के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक, बांदा ने सामान्य व्यवस्था के अन्तर्गत किया था जिसके द्वारा 47 अन्य कान्सटेबिलों के स्थानान्तरण भी किये गये थे। स्थानान्तरण आदेश में कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे यह प्रतीत होता हो कि यह स्थानान्तरण भ्रष्टाचार या अनियमितता के कारण किया गया है। कान्स्टेबिल शिवनायक सिंह की उपस्थिति थाना नरैनी में प्रशासनिक आवश्यकता के कारण विदित हुई। उक्त कान्सटेबिल थाना नरनी पर 12-5-77 को नियुक्त हुआ था और वह दिनांक 12-4-78 से दिनांक 10-5-78 तक पुलिस लाइन में प्रशिक्षण पर है।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, कानपुर में अनुसूचित जाति के सहायक अधिकारी

16—श्री पूरन चन्द्र—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग वोर्ड, कानपुर में सहायक विकास अधिकारी के पद पर कुल कितने अधिकारी कार्यरत हैं और उनमें से अनुसूचित जाति के अधिकारियों की संख्या क्या है ? उक्त बोर्ड द्वारा अपने आदेश संख्या 9436-535/प्रशा0-जन-0-3, दिनांक 9 अगस्त, 1973 द्वारा जो पदोन्नतियां सहायक विकास अधिकारी (प्रथम) के पद पर की गई थी, उनमें अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को क्यों पदोन्नति नहीं दी गई ?

श्री राम प्रकाश—

इस समय उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में सहायक अधिकारी प्रथम एव द्वितीय के पद पर 87 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से 16 अधिकारी अनुसूचित जाति के है।

9-8-73 के आदेश द्वारा की गई पदोन्नतियां वरिष्ठता के आधार पर की गई थीं। ऐसी पदोन्नतियों के लिये उस समय तक आरक्षण हेतु कोई शासनादेश नहीं थे।

कानपुर-लखनऊ रोड पर पी0 ए0 सी0 ट्रक एवं राजकीय बस में दुर्घटना एवं जवानों की मृत्यु तथा आर्थिक सहायता

17—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि 21 फरवरी (इक्कीस), 1978 को लखनऊ-कानपुर के बीच पी0 ए0 सी0 की एक ट्रक से हुई बस की भिड़न्त के कारण पी0 ए0 सी0 के चार जवान घटना स्थल पर मर गए तथा अनेक घायल हुए ? यदि हां, तो मृत जवानों के परिवार को कितनी क्षति पूर्ति की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव---

जी हां। 20 फरवरी, 1978 को कथित भिड़न्त के कारण पी0 ए0 सी0 के दो जवान घटना स्थल पर ही मर गये। एक जवान नवाबगंज स्थित पी0 एच0 सी0 अस्पताल ल जाते समय रास्ते में मर गया तथा एक जवान की उन्नाव सदर अस्पताल में मृत्यु हो गयी। 10 जवान घायल हुये। उत्तर प्रदेश राजकीय परिवहन निगम द्वारा प्रत्येक मृतक परिवार को एक-एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गयी है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक मृतक परिवार को सामूहिक बीमा के 12-12 हजार रुपये शीघ्र दिलाये जान की कार्यवाही की जा चुकी है।

जिला जेल, गोरखपुर में मीसा बन्दियों की भूख हड़ताल

18---श्री रवीन्द्र सिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नवम्बर, 1976 में गोरखपुर जिला जल में कुछ राजनैतिक मीसा बन्दियों ने भूख हड़ताल की थी ? यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ? सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

जी हां। जिला कारागार, गोरखपुर में निरुद्ध कुछ मीसा बन्दियों को एक ही बैरक में रखे जाने के विरोध में 4 सुरक्षा बन्दियों ने दिनांक 4 नवम्बर, 1976 से भूख हड़ताल की थी। सिटी मजिस्ट्रेट के समझाने पर इन बन्दियों न दिनांक 7 नवम्बर, 1976 को [illegible]ना शर्त भूख हड़ताल समाप्त कर दी। अतएव शासन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

उप अरण्यपाल, हमीरपुर, श्री मथुरा दत्त पाण्डेय द्वारा की गयी कथित नियुक्ति

19---श्री सुरेन्द्र पाल---

क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उप अरण्यपाल, हमीरपुर (श्री मथुरादत्त पांडेय) द्वारा मार्च, 1977 के बाद कितनी नियुक्तियां की गई हैं ? क्या ये सभी नियुक्तियां सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री श्रीचन्द्र---

उप अरण्यपाल, हमीरपुर (श्री मथुरा दत्त पाण्डय) द्वारा मार्च, 77 के बा[illegible] अपने प्राधिकार में कोई भी नियुक्ति नहीं की गई है।

बाराबंकी जिले में थानेवार कत्ल व डकैती की घटना

20---श्री अशर्फी लाल यादव (जिला बाराबंकी)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंग कि बाराबंकी जनपद के विभिन्न थानों में पहली सितम्बर, 1977 से 15 फरवरी, 1978 तक कितनी कत्ल, डकैती तथा कत्ल शुदा डकैती की वारदातें हुईं ? और उनमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम सिंह---

अपेक्षित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 115 पर)

इलाहाबाद जिले के थाना कीटगंज की पुलिस द्वारा पकड़ी गयी रेलवे की चोरी की सम्पत्ति

21—श्री गुरु प्रसाद—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 27 अगस्त, 1974 को जिला इलाहाबाद के कीटगंज थाना के अन्तर्गत करीब एक लाख रुपए की चोरी की रेल सम्पत्ति पकड़ी गई थी ? क्या थान की पुलिस ने इस मामले को रफा-दफा कर दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में सी0 आई0 डी0 द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराने की कृपा करेगी ?

श्री राम सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री हरी राम पाण्डेय, निवासी ग्राम शिवपुरा, थाना मेजा, जिला इलाहाबाद ने थाना कीटगंज, इलाहाबाद में दिनांक 27-8-74 को इस आशय की लिखित सूचना दी कि उत्तर रेलवे के आई0 ओ0डब्लू0 श्री चन्द्रिका प्रसाद भटनागर रेलवे की ट्रक द्वारा रेलवे स्टेशन से चोरी से लादकर काफी मात्रा में रेलवे की सम्पत्ति लोहे की सरिया, सीमेन्ट की चादरें, लकड़ी के स्लीपर तथा त्रिपाल आदि सामान नई बस्ती, नंतानगर (इलाहाबाद) स्थित अपने मकान में उतरवा रहे हैं और उसे बेचना चाहते हैं। उनके मकान में काफी मात्रा में रेलवे की सम्पत्ति मौजूद है। सामान के लदवाने व देने में मेजा रोड के इन्सपेक्टर पी0 डब्लू0 आई0, श्री के0 पी0 सिंह पटेल, निवासी मिर्जापुर की भी साजिश है। इस सूचना पर थाना कीटगंज में अपराध धारा 379 भा0दं0 वि0 3, रेलवे स्टोर ऐक्ट संबंधित थाना जी0 आर0 पी0, इलाहाबाद में दिनांक 27—8—74 को कायम हुआ। स्थानीय पुलिस ने मौक़े पर पहुंच कर उपरोक्त आई0 ओ0 डब्लू0 के मकान पर उपलब्ध रेलवे ट्रक से रेलवे की काफी सम्पत्ति बरामद की।

उक्त मामले में शासन को प्राप्त प्रार्थी श्री हरीराम पाण्डेय के प्रार्थना-पत्र पर अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच कराई गई। अपराध अनुसंधान विभाग ने अपनी जांच के दौरान उक्त मुकदमें के विवेचनकर्त्ता आदि को असावधानी बरतने का दोषी पाया तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की। उनकी संस्तुति के आधार पर कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्नगत अपराध 3 आर0 पी0 यू0 पी0 ऐक्ट का होने के कारण संबंधित मुकदमें में आर0 पी0 एफ0 ने विवचना के पश्चात् श्री सी0 पी0 भटनागर, आई0ओ0 डब्लू0, मुश्ताक अहमद, ड्राइवर एवं मुहम्मद हलीब, क्लीनर ट्रक उपरोक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

देवरिया जिले में विभिन्न अपराधों की घटना

22—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जनपद में 1 जनवरी, 1976 से 5 फरवरी, 1978 तक कितनी डकैतियां, चोरियां, हत्या, अपहरण, राहजनी, नकबजनी, बलवे आदि घटनायें घटित हुईं तथा सर्वाधिक अपराध किस पुलिस थाने के अन्तर्गत हुए ?

श्री राम नरेश यादव—

228 डकैतियां, 2,592 चोरियां, 161 हत्यायें, 39 अपहरण, 259 राहजनी, 1,562 नकबजनी तथा 799 बलवे की घटनाएं घटित हुईं और सर्वाधिक अपराध थाना कोतवाली के अन्तर्गत घटित हुए।

देवरिया जिले के थाना नेबुआ क्षेत्र के कतिपय ग्रामों को पडरौना थाने में सम्मिलित किये जाने की मांग

23- --श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जनपद के नेबुआ थाने के ग्राम चैती, मुसहरी, बबइया, माधो सिंह कोठरिया, बिशुनपुरा कलां आदि गांवों को निकटस्थ पडरौना थाने के अन्तर्गत सम्मिलित करने (परिसीमन) हेतु शासन को 1977–78 में कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम सिंह--

देवरिया जनपद के नेबुआ नौरंगिया थाने के ग्राम चैती, मुसहरी, दबइया, माधो सिंह कोठरिया, बिशुनपुर कलां आदि गांवों को निकटस्थ पडरौना थाने के अन्तर्गत सम्मिलित करने हेतु 1977–78 में कोई आवेदन-पत्र नहीं प्राप्त हुआ है। इसके पूर्व इस सम्बन्ध में आवदन-पत्र प्राप्त हुये थे जिनके आधार पर मामले में विचार किया जा रहा है।

भूतपूर्व सदस्य, श्री अवध नरायन प्रताप सिंह के निधन पर शोकोद्गार

***मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)---**

मान्यवर, इस सदन के भूतपूर्व सदस्य, स्वर्गीय श्री अवध नरायन प्रताप सिंह जी का निधन 18 अप्रैल, 1978 को बड़ी दुखद स्थिति में हुआ। वे 1934 की जून में ग्राम मझगवां, तहसील तरबगंज, जिला गोंडा में पैदा हुए थे। वे अपने माता-पिता के एक मात्र पुत्र थे। उन्होंने अपनी शिक्षा-दीक्षा गोंडा और लखनऊ में प्राप्त की। हाई स्कूल तक गोंडा और इसके पश्चात् लखनऊ में शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात् वे जनसेवा में रुचि लेने लगे थे और उसका परिणाम था कि वर्ष 1962 में वे सामान्य निर्वाचन के अवसर पर विधान सभा के चुनाव में इस सदन के सम्मानित सदस्य बने और वर्ष 1967 तक सदस्य रहे। दुर्भाग्यवश 18 अप्रैल, 1978 को घोड़े पर सवार होकर कुवानों नदी के दुलिहवा घाट को पार कर रहे थे, पुल कच्चा था और लकड़ी डालकर मिट्टी से पाट दिया गया था। अचानक घोड़े का पैर उसमे फंस गया। उसके परिणामस्वरूप घोड़ा कूदा और नदी में गिर पड़ा। घोड़ा तो बाद में किसी प्रकार नदी से निकल गया लेकिन वे हमेशा के लिए हमारे बीच से चले गए। सदन के अन्दर और बाहर भी उनके कार्यकलाप समाज के लिए, हमारे लिए और विशेषकर गोंडा जनपद के लोगों के लिए बहुत अनुकरणीय रहे हैं। उनकी मृत्यु से अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह चाहता हूं कि माननीय सदन की ओर से सहानुभूति एवं समवेदना उनके सन्तप्त परिवार को भेज दी जाय।

*श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

श्रीमन्, नेता सदन ने जो भावनाएं अभी व्यक्त की हैं, मैं अपने को और अपने दल को सभी माननीय सदस्यों को उनसे सम्बद्ध करता हूं। श्री अवध नरायन प्रताप सिंह इस सदन के वर्ष 1962 से 1967 तक सदस्य रहे और दुःख इस बात का है कि उनकी मृत्यु एक दुर्घटना में हुई जब कि वे एक कच्चे पुल को पार कर रहे थे तो उनके घोड़े का पैर लकड़ी में फंस गया और वह संवरहित नदी में गिर गया। यह बड़े ही दुख की बात है। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि मेरी ओर से और मेरे दल के सभी माननीय सदस्यों की ओर से उनके संतप्त परिवार तक हमारी समवेदना पहुंचा दें।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, बड़े दुख की बात है कि श्री अवध नरायन प्रताप सिंह का देहान्त बड़ी दुखद परिस्थिति में हुआ। उनकी अवस्था बहुत थोड़ी थी, मुश्किल से वे 44–45 वर्ष के थे

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और ऐसी हालत में मृत्यु हुई, एक दुर्घटना में जैसा कि गुलाब सेहरा जी ने बतलाया। उनका एक छोटा सा परिवार है। वे एक समाज सेवी थे और गोंडा जनपद के जनसंघ के अच्छे कार्यकर्ता थे जो कि 1962 से 1967 तक सदन में जाने-माने व्यक्ति थे और उनसे अधिकतर लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। मैं अपनी भावनाएं, अपने दल की ओर से नेता सदन और नेता कांग्रेस (इ०) की जो भावनाएं हैं, उनके साथ अपनी भावनाओं को समर्पित करता हूं और सम्बद्ध करता हूं।

*श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

श्रीमन्, श्री अवध नरायन प्रताप सिंह के बारे में जो विचार नेता सदन ने व्यक्त किये हैं, मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं। श्री अवध नरायन प्रताप सिंह गोंडा के एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे और 1962 से 1967 तक इस सदन में उन्होंने काफी अपने विचार व्यक्त किए और कार्यवाही में काफी भाग लिया।

मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे दल की तरफ से उनके शोक संतप्त परिवार को समवेदना भिजवा दें।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, माननीय अवध नरायन प्रताप सिंह के बारे में जो भावनाएं नेता सदन ने तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त की हैं, मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि उनके शोक-संतप्त परिवार तक हमारी समवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

स्वर्गीय श्री अवध नरायन प्रताप सिंह के निधन पर माननीय नेता सदन तथा विभिन्न दलों के नेताओं ने जो भावपूर्ण श्रद्धांजलि भेंट की है और अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं भी अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं। सन 1962 में जब श्री नरायन निर्वाचित होकर मेरे सम्पर्क में आए। वह बड़े ही सक्रिय, उत्साही और हंसमुख, मिलनसार प्रकृति के युवक थे और उनमें जनता की सेवा करने की बड़ी लगन थी। मृत्यु पर्यन्त गन्ना समिति, सहकारी समिति, ग्राम सभा के प्रधान सभी से उनका सम्बन्ध था और वह एक बड़ी दुखद दुर्घटना के शिकार हो गए और डूब करके उनकी मृत्यु हो गयी। इससे और भी अधिक दुख का विषय हो जाता है। मैं अपनी श्रद्धांजलि उनके प्रति भेंट करता हूं और आप से अनुरोध करूंगा कि दो मिनट मौन खड़े होकर उनके प्रति श्रद्धांजलि भेंट करें।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिए मौन खड़े हुए)।

व्यवस्था का प्रश्न

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

व्यवस्था का प्रश्न है ....

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था का प्रश्न या तो जब कोई विषय विचाराधीन हो उस पर होता है या दूसरा कार्य विन्यास, जो हमारे सामने कार्य है और उसमें भी उन नियमों के निर्वाचन के सम्बन्ध में या उसको लागू होने के बारे में होता है। इस समय व्यवस्था का प्रश्न उठाकर के कोई अन्य बातें नहीं की जा सकतीं।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मन्जूर अहमद—

मैं बहुत ही जरूरी सूचना जो इस देश और प्रदेश के लिये है वह आपके द्वारा देना चाहता हूं और आपके द्वारा देना जरूरी है। व्यवस्था आपको देनी है, आप दे देते हैं।

मान्यवर, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आज से करीब एक साल पहले नहीं, 10—11 महीने पहले गृह मंत्री ने यह कहा था कि उत्तर प्रदेश में उस प्रदेश की जनता कह रही थी कि जनता का विश्वास नहीं रहा तो श्रीमन्.....

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

श्री मन्जूर अहमद—

[× × × × ×]

श्री अध्यक्ष—

यह कार्य ाही का भाग नहीं होगा। आप लोग बैठें।

श्री आरिफ मोहम्मद खां के निलम्बन की अवधि कम करने का प्रस्ताव श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

नियम के मुताबिक..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग क्यों शोर करते हैं? कौन से नियम के अनुसार आप कह रहे हैं?

श्री देव बहादुर सिंह—

श्रीमन्, मैं नियम 299 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। इसका उपनियम (2) इस प्रकार है—"अध्यक्ष, निम्नलिखित दशाओं में किसी सदस्य को इंगित कर सकेंगे"। इसी के (ख) में यह प्राविधान है कि "इस प्रकार किसी सदस्य के निलम्बित किये जाने पर पहली बार निलम्बन की अवधि 3 उपवेशनों के लिये होगी, दूसरी बार 7 उपवेशनों के लिये और अनुवर्ती अवसरों पर, यदि सदन अन्यथा विनिश्चय न करे, सत्र की अवशिष्ट कालावधि के लिये होगी"।

कल माननीय आरिफ का निलम्बन इस नियम के विरुद्ध किया गया क्योंकि कल उनका निलम्बन पहली बार था और वह केवल 3 उपवेशनों के लिये ही हो सकता था लेकिन अवशिष्ट कालावधि के लिये कर दी गयी। इसमें स्पष्ट नियमों का उल्लंघन हुआ है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि यह हो सकता है या नहीं?

श्री अध्यक्ष—

आपने नियम 299 में जो आपत्ति उठायी है यह ठीक है कि उस नियम में यह लिखा हुआ है कि जब कोई सदस्य पहली बार निलम्बित होगा तो वह 3 दिन के लिये होगा, दूसरी बार 7 दिन के लिये और फिर सदन जैसा निश्चय करे।

लेकिन कल चूंकि माननीय नेता सदन ने एक निश्चित प्रस्ताव दिया कि उनको पूरे सत्र के लिये निलम्बित कर दिया जाय तो उस पर किसी माननीय सदस्य ने कोई आपत्ति नहीं उठायी (व्यवधान)। आपने केवल डिवीजन पर ही आपत्ति उठायी थी (व्यवधान)।

नोट:—[X X X] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन् (3) (क) के अन्तर्गत उस प्रस्ताव में कोई संशोधन किया ही नहीं जा सकता । (व्यवधान)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, आप गुस्ताखी माफ करें, बहुत से प्रस्तावों में तो संशोधन आप स्वयं भी कभी-कभी करा देते हैं । आप इसी के लिये पीठासीन हैं कि कोई कार्य हमारी नियमावली के विरुद्ध न हो । कल माननीय नेता सदन ने जो प्रस्ताव किया था उसको आप ठीक करा देते । मौके दर मौके आप प्रस्तावों में नियमावली के मुताबिक संशोधन कराते भी रहे हैं । इसलिये अगर किसी माननीय सदस्य ने संशोधन नहीं किया तो आप करा सकते थे । नियम 299 (3) (क) के अनुसार उसमें संशोधन नहीं हो सकता । वह इस प्रकार है "जैसे ही किसी सदस्य को इंगित किया जायगा, नेता सदन अथवा उनकी अनुपस्थिति कोई अन्य सदस्य इस आशय का प्रस्ताव करेंगे कि इंगित सदस्य को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय और ऐसे प्रस्ताव पर प्रश्न बिना किसी संशोधन या विवाद या स्थगन प्रक्रिया के सदन के समक्ष उपस्थित कर दिया जायेगा" ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें संशोधन नहीं, पर आपत्ति तो आप कर सकते थे । कल आपत्ति की जा सकती थी ।

(व्यवधान)

(श्री श्याम धर मिश्र के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये, श्याम धर जी ।

श्री ऊदल—

आप इस प्रक्रिया नियमावली के और इस सदन के और हम सब लोगों के, सबके संरक्षक हैं, अगर नेता सदन ने इस तरह की गलती कर दी कि प्रक्रिया नियमावली के जो नियम हैं उसके मुताबिक उन्होंने प्रस्ताव नहीं किया, तो श्रीमन्, आप उसको संशोधित कर सकते थे, वह गलती हो गयी । इस पर यह सदन सक्षम है और आप स्वयं सक्षम हैं, आप उसको बदल सकते हैं उसको संशोधित कर सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं ।

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर बहस नहीं । आप बैठ जाइये । मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(श्री श्याम धर मिश्र के पुनः खड़े होने पर)

आप बैठ जाइये । मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन बिना सुने हुए आप कह रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

जब कोई व्यवस्था का प्रश्न उठे तो व्यवस्था के प्रश्न पर जो सदस्य आपत्ति करेगा, उसकी बात सुनेंगे, अगर आवश्यक हो तो सदन दूसरे लोगों को भी सुन सकता है अब एक यह परिपाटी बना देना कि प्रत्येक प्रश्न पर पूरा विवाद हो जब मैं इस पर अपना निर्णय दे रहा हूं, यह कहां तक उचित होगा ?

(व्यवधान)

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

आप मेरी बात सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आप बिना इजाजत के नहीं बोलेंगे।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, हमारी बात तो आप सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

कल जब माननीय मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव पेश किया, उसमें उनको यह कहना चाहिए था कि मै श्री आरिफ को निलंबित करने का प्रस्ताव करता हूं। क्योंकि नियम में ऐसी व्यवस्था है कि अगर कोई सदस्य ऐसा कुछ पहली मर्तबा करता है तो उसको तीन दिन के लिए निलंबित किया जाता है, तो कल आपने पूरे सत्र के लिए निलम्बित करने का प्रस्ताव किया। तो ज्यादा उचित होगा कि आप ही उसको संशोधित करके तीन दिन तक सीमित कर दें, आज और कल के लिये, तो वह नियम के अनुसार होगा।

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, जो कल निर्णय हुआ, उसे संशोधित करने के लिये मेरा प्रस्ताव है कि वह शेष सत्र के लिये जो निलंबन किया गया है, वह तीन उपवेशन के लिए कर दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शांत रहिये कृपया।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

श्री डी० पी० बोरा—

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि साथी आरिफ जो एक दिन तक निलम्बित रहे हैं, उसे समाप्त किया जाय।

(व्यवधान)

श्री श्यामधर मिश्र—

मैं प्रस्ताव पर बोलना चाहता हूं, श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये । मैं अनुमति नहीं देता हूं । श्यामधर मिश्र जी, नियम में लिखा है, जब निलम्बन का प्रस्ताव होगा, उस पर कोई बहस या संशोधन नहीं होता है ।

(व्यवधान)

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, जब प्रस्ताव कल लाया गया था और आपने जब मत लिया, तब मैंने एतराज किया कि 'नहीं' की संख्या अधिक है, तो नियम के अनुसार उस पर वोटिंग कराना चाहिये था ।

श्री अध्यक्ष—

यह आपकी आपत्ति निराधार है ।

(व्यवधान)

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, नियम के अनुसार कल वोटिंग लेना चाहिए था, लेकिन श्रीमन् कल आपने वोटिंग नहीं ली ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इस पर व्यवस्था दी कि अगर कोई विभाजन की मांग की जायगी, तो उस पर अगर मैं समझूंगा कि यह अनावश्यक है और मुझे यकीन है कि बहुमत इधर है, इसलिये मैंने उसकी इजाजत नहीं दी ।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

कल जो प्रस्ताव मान्यवर, पारित हुआ है,जब यह मान लिया गया कि यह प्रस्ताव गलत है । तो प्रश्न यह उठता है कि क्या माननीय मुख्य मंत्री को अपने मूल प्रस्ताव को संशोधित करने का अधिकार है या नहीं ? यह व्यवस्था पहले आप देंगे मान्यवर, तब माननीय मुख्य मंत्री को अधिकार होगा प्रस्ताव ले आने का ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

राज मंगल पांडेय जी, अगर कोई सजा होती है, तो उसको वापस लेने का, कम करने का भी अधिकार है । कल का जो प्रस्ताव था, उसमें केवल संशोधन रखने की बात है ।

(व्यवधान)

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि मुख्य मंत्री को यह अधिकार नहीं है । यह अधिकार, जहां सार्वभौम सत्ता, वह आपको अधिकार है कि चाहे सबके लिए करें, चाहे आत्री माफ कर दें, लेकिन मुख्य मंत्री को अब कोई दूसरा प्रस्ताव लाने का अधिकार नहीं है । आपका तो अधिकार है ही, मान्यवर । आपको यह अधिकार है, आप वापस ले लें, यह अधिकार केवल आपको होगा, मुख्य मंत्री को मूल प्रस्ताव को संशोधित करने का अधिकार नहीं होगा । आपको अधिकार है, आप विदड्रा भी कर सकते हैं ।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, मेरा इसमें निवेदन है कि यह सदन ने प्रस्ताव किया, मुख्य मंत्री के प्रश्न रखने के बाद प्रस्ताव आया और वह पास हो गया, इसलिये इसमें संशोधन सदन ही कर सकता है। [× × ×]

श्री अध्यक्ष—

आपको मैं अनुमति नहीं देता हूं, आप इस पर आक्षेप कर रहे हैं।

श्री देवबहादुर सिंह ने कल की रूलिंग के बारे में जो कहा वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा। आप बैठें।

श्री श्याम धर मिश्र—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। व्यवस्था पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है। श्री राज मंगल पाण्डेय का प्रश्न मेरे सामने है। इसलिये आप बैठें।

प्रश्न यह है कि कल सदन में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि श्री आरिफ को पूरे सत्र के लिये निलम्बित किया जाय। माननीय राजमंगल पांडेय तर्क उपस्थित करते हैं कि उस प्रस्ताव में संशोधन करने का अधिकार नहीं हैं। दूसरी तरफ यह आपत्ति की जा रही है कि श्री आरिफ का निलम्बन केवल तीन दिन के लिये हो सकता है। माननीय नेता सदन ने उसे निरस्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। केवल संशोधन रखा है। यदि मैं उनके संशोधन को स्वीकार नहीं करता तो मूल प्रस्ताव रह जाता है और श्री आरिफ पूरे सत्र के लिये निलम्बित रहें, यह न्यायसंगत नहीं है। निलम्बन के प्रस्ताव को निरस्त करना सदन के अधिकार क्षेत्र में है तो उसे सजा कम करने का अधिकार भी स्वत: सदन को प्राप्त है और इस तरह का प्रस्ताव नेता सदन की सहमति के बिना उचित नहीं है।

(व्यवधान)

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

आप लोग बैठें। कृपया आप लोग सदन की कार्यवाही में व्यवधान न डालें। यदि आपने निश्चय कर लिया है कि आप अवज्ञा करेंगे और सदन न चले तो यह असंभव है। मैं प्रश्न यह रख रहा हूं कि पूरे सत्र की निलम्बन की अवधि घटाकर केवल तीन दिन कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(व्यवधान)

श्री श्याम धर मिश्र —

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा। जो बिना अनुमति के बोल रहे हैं वह कार्यवाही का अंग नहीं होगा।

श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)—

मैंने नियम 56 में दिया है...

श्री अध्यक्ष—

यह अभी नहीं आया है। आप बैठें।

उन्नाव जनपद के ग्राम सूबेदार खेड़ा निवासी श्री शंकर पुत्र फकीरे के यहां पड़ी डकैती तथा पुलिस की निष्क्रियता के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान के लाना

श्री हेमराज (जिला उन्नाव)—

माननीय, मैं आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व की निम्न सूचना की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। गत दिनांक 5–6 मई, 1978 की रात को मेरे निर्वाचन क्षेत्र हड्डा के ग्राम सूबेदारखेड़ा, मजरा कुसुम्भी, थाना अजगैन, जिला उन्नाव जो कि रेलवे स्टेशनसे मात्र सौ गज की दूरी पर है में श्रीशंकर,पुत्र फकीरे के यहां रात को भीषण डकैती पड़ी, जिसमें डकैतों ने गृह स्वामी के शरीर को गोलियों से छलनी किया। सभी घायल गम्भीर हालत में राजकीय चिकित्सालयों में भर्ती हैं। हमें जानकारी मिली है कि उक्त ग्राम में जब डकैती पड़ रही थी तो थाना अजगैन के एस0 आई0 श्री राधेश्याम सिंह अपने सिपाहियों सहित उसी ग्राम में मौजूद थे। डकैती पड़ती रही, गोलियां चलती रहीं, लोग चीखते पुकारते रहे पर पुलिस सौ गज के फासले पर ही पड़ी रही। उपरोक्त भीषण डकैती में उक्त एस0 आई0 श्री राधेश्याम सिंह का भी हाथ है। यह बात इससे भी सिद्ध होती है कि घटना के तुरन्त पश्चात् लगभग तीन बजे रात जब ग्रामीण थाना अजगैन रिपोर्ट लिखाने गये तो थानाध्यक्ष अजगैन ने सारी बातें सुनने के बाद भी रिपोर्ट नहीं लिखी। लोगों के काफी कहने सुनने के पश्चात् लगभग 4 घंटे बाद थाने में मनमाने ढंग से रिपोर्ट लिखी गयी जिसकी नकल तक भी रिपोर्ट लिखाने वालों को नहीं मिली है। पुलिस की उदासीनता के कारण क्षेत्रीय जनता में भय, आतंक व असुरक्षा का वातावरण व्याप्त है।

अति महत्वपूर्ण उक्त सूचना देकर सरकार से आशा करता हूं कि वह थाना अजगैन की पुलिस के विरुद्ध तुरन्त कठोर कार्यवाही करेगी तथा सम्बन्धित थानाध्यक्ष पुलिस का अन्यत्र स्थानान्तरण कराकर सारे ही मामले की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच करायेगी।

माता आनन्दमयी चिकित्सालय, वाराणसी के कर्मचारियों द्वारा अनशन के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री अदल (जिला वाराणसी)—

माननीय, मैं नियम 301 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं माता आनन्दमयी चिकित्सालय, वाराणसी को तारीख 26 अप्रैल, 78 को यकायक मुख्य फाटक

नोट:—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री उदल]

पर नोटिस लगाकर बन्द कर दिया गया है। यह अस्पताल माता आनन्दमयी चैरिटेबुल सोसाइटी द्वारा संचालित रहा है। इस अस्पताल को सरकार ने भूमि अधिग्रहण करके दिया था जिसमें गरीबों के मकान, जमीन तथा स्कूल को उजाड़ा गया और अस्पताल का भवन बनाया गया। उक्त अस्पताल को सरकारी अनुदान हजारों रुपया प्रति वर्ष दिया जाता रहा है। कहने के लिए तो यह अस्पताल खैराती है लेकिन प्राइवेट वार्ड में 15 रुपये फीस मरीजों से लिया जाता है। इसके अलावा भी चार्ज किया जाता है। फिर भी सैकड़ों मरीज रोजाना इस अस्पताल में इलाज हेतु आते है और बहुत बड़े क्षेत्र की जनता को इस अस्पताल से फायदा पहुंचता है। इस अस्पताल में 20 डाक्टर हैं और 70 कर्मचारी वर्षों से कार्य कर रहे हैं जिसमें अधिकतर कर्मचारियों को वेतन 100 रुपये से 150 रुपये ही है। इसकी प्राइवेट मैनेजमेंट कमेटी में स्वास्थ्य विभाग के दो अधिकारी भी हमेशा भाग लेते हैं।

तारीख 29 अप्रैल, 78 से ही इस अस्पताल के मुख्य द्वार पर क्रमिक अनशन अस्पताल खोले जाने हेतु किया जा रहा है। अस्पताल के बन्द हो जाने से क्षेत्रीय नागरिकों में व्यापक असंतोष है। अस्पताल एक आवश्यक सेवा है। क्षेत्रीय नागरिकों तथा अस्पताल के कर्मचरियों ने वाराणसी के जिलाधीश, अतिरिक्त जिलाधिकारी (नगर वाराणसी) को प्रार्थना-पत्र दिया है और श्रम विभाग को भी लिखा है। लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। पता तो यह चला है कि उक्त अस्पताल को बंद करने का फैसला जिलाधीश, वाराणसी के यहां किया गया। इस अस्पताल में दन्त विभाग, नेत्र विभाग, पैथालोजी, एक्सरे ई0 सी0 जी0 आपरेशन, स्त्री रोग, इन्डोर प्राइवेट वार्ड हैं। इसका फिक्स डिपाजिट 1,50,000, मरीजों द्वारा 1,50,000, प्रादेशिक तथा केन्द्रीय सरकार से 1,00,000, जनता द्वारा 1,50,000 है।

इस अस्पताल को जल्द से जल्द खोलवाने की कार्यवाही सरकार को करनी चाहिये। यदि मैनेजमेंट नहीं खोलने को तैयार है तो सरकार को तमाम जनता के हित में इस अस्पताल को ले लेना चाहिये। इस अस्पताल के मैनेजमेंट ने सभी कार्य अवैधानिक किये हैं। इसलिये आपकी आज्ञा से सरकार का ध्यान इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर आकर्षित करते हुये मांग करता हूं कि सरकार तुरन्त अस्पताल को खोलने हेतु प्रभावी कदम उठावे।

देवरिया जनपद में चोरी, डकैती तथा कत्ल की बढ़ती घटनाओं के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)---

मान्यवर, देवरिया जनपद में इधर आये दिन चोरी, डकैती, कत्ल, राहजनी तथा बैल खोलना आदि की भरमार हो गयी है। लगता ऐसा है कि पुलिस प्रशासन अपराधियों से मिलजुल कर धन कमाने की योजना में व्यस्त है। यहां तक कि रास्ते चलते लोगों की हत्यायें की जा रही हैं, जिससे जनजीवन भयग्रस्त हो गया है। अपने को असुरक्षित समझ कर लोग मारे भय से सूर्यास्त के बाद अपने घरों से निकलते ही नहीं अभी हाल में ग्राम मलहनी के प्रेम कुम्हार के शरीर की बोटियां बना बोरे में भरकर नाले में फेंक दिया गया किन्तु उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। कालाबन के 18 वर्षीय राम बचन यादव की हत्या करके पेड़ में लटका दिया गया और बिना उसकी शव परीक्षा या पंचनामा बनवाये लाश जलवा दी गयी। मठलार के प्रधान लिपिक जगर नाथ राव को सरे आम बम मार कर हत्या कर दी गयी। ग्राम करकोल के दो हरिजनों की खुल कर लूट की गयी। ग्राम हड़हा में रामकृष्ण के घर डकैतों ने खुली लूट की तथा गृह स्वामी के भाई गंगा की हत्या भी की। ग्राम बिरवा में डकैतों के सशस्त्र गिरोह ने राम प्रसाद मल्लाह के घर डाका डाला तथा उन्हें मौत के घाट उतारा और 19 घरों को एक साथ जिसमें मल्लाह, हरिजन थे, मनमानी लूटा। ग्राम कृतपुरा में जमुना मल्लाह के घर डकैती हुई तथा ग्राम सूर्यपुरा मरटोला में डकैतों ने हंगामी लूट की, दो की हत्या की, एक नागरिक को पकड़ कर ले गये। जो अभी

तक लापता है। ग्राम बड़हरा में बम की चोट से एक की मृत्यु हुई। दूसरे दिन ग्राम ककल्ली के पास दिन दहाड़े शव को जला दिया गया और सूचना के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। ग्वालियर की रेखा नामक 13 वर्षीय लड़की को 12 दिन तक थाने में रखा गया और उसके साथ अनैतिक काम किया गया। ग्राम कोलहवा में एक व्यक्ति की हत्या कर लाश कुयें में डाल दी गयी। ग्राम माली बारी के रमजान धोबी की झोपड़ी थानाध्यक्ष ने पैसा लेकर उजड़वा दिया, यहां तक कि अल्पसंख्यक वर्ग के ग्राम प्रधान मेहरोना यासीन मियां का लिन्टर मकान मिट्टी में मिला दिया। श्री गोपीनाथ मिश्र को एक प्रभावशाली व्यक्ति ने भीतर पकड़ कर अपने घर में बन्द किया। दूसरे दिन उनकी रहस्यमय मृत्यु हो गयी। उनके इकलौते पुत्र को उसकी कानोंकान तक खबर तक नहीं दी गयी बल्कि उनके सगे संबंधियों और शुभचिन्तकों की शव परीक्षा की मांग ठुकरा कर लाश फूंक दी गयी। इतना ही नहीं आये दिन इस प्रकार की जो भी घटनायें हैं, उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है। दूसरे रिपोर्ट करने वालों को डांट फटकार कर भगा दिया जाता है। देवरिया नगर में सायं 6 बजे लगभग एक लाख की खुली डकैती।

मान्यवर, देवरिया नगर के सीमेंट तथा गल्ले आदि के एक प्रमुख बिक्रेता हरी शंकर केडिया जब अपने दुकान में दिन की बिक्री का हिसाब कर रहे थे, 4/5 सशस्त्र डकैतों का गिरोह घातक हथियारों से लैस होकर बलात दुकान में घुस गये पिस्तौल की नोक पर तिजोरी खुलवाया और उसमें लगभग एक लाख रुपया लूट कर चम्पत हो गये। जाते समय मुख्य दरवाजा स्वयं बन्द कर दिये। दुख की बात तो यह है कि नगर में घटने वाली इस आतंककारी घटना की तफतीश दो दिन तक नहीं हो सकी और न ही कोई वरिष्ट अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचा। उपरोक्त घटनाओं के सम्बन्ध में जब भी कोई जन प्रतिनिधि सामाजिक कार्यकर्ता पुलिस कप्तान देवरिया से मिलते हैं तो कार्यवाही की बात तो दूर रही उस पर ध्यान भी नहीं देते बल्कि ऐसी व्यवस्था कर रखी हैं कि सम्पूर्ण जनपद में संगीन अपराध दर्ज ही न हो।

मान्यवर, देवरिया, जनपद के ग्राम सवांवरा, थाना बरहज में दहेज को लेकर एक ऐसी घटना घटी है जो समाज के लिये भयावह है। पता चला है कि उक्त ग्राम की 22 वर्षीय नरसिंह यादव की शादी गत दो वर्ष पूर्व हुई थी जिसमें उनके पिता के इच्छानुसार लड़की के बाप ने दहेज की पूर्ति नहीं की। जिससे उनके परिवार के लोग लड़की के घर वालों से रंज रखते हैं। इसी वर्ष उसका गौना हुआ ससुराल पहुंचते ही वह घर वालों के ताने का शिकार बनी तथा 25 अप्रैल को उसके पति तथा सुसुर ने जबरदस्ती उसका हाथ पैर तथा गर्दन बांध कर घर के घरन में टांग कर रस्सी खींच कर जल्लाद की तरह से उसे मार डाला तथा यथाशीघ्र लाश को शमशान घाट पहुंचा दिया। चिता सजा कर लाश फूंकने का तीन फेरा भी हो चका था किन्तु ग्राम प्रधान की सूचना पर वहां पुलिस पहुंची तथा लाश को अपने कब्जे में ले लिया दुःख तो इस बात का है कि लड़की की शव परीक्षा हुई तो अवश्य लेकिन भारी रकम ले कर पुलिस मुलजिमों को छोड़ दिया जिससे आस पास काफी चिन्ता व्यक्त की जा रही है।

अस्तु, आज माननीय सदन में आपकी आज्ञा से माननीय मुख्य मंत्री जी से देवरिया जनपद में बढ़ रहे अपराधों की रोक थाम तथा अकर्मण्य अनुपयोगी पुलिस कप्तान को तत्काल जनहित में हटाये जाने की मांग करता हूं।

जिला आगरा के अगुआपुरा में डाक्टर अम्बेदकर की प्रतिमा को तोड़े जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

श्रीमन्, अपकी आज्ञा से यह सूचित करना है कि तहसील किरावली, जिला आगरा के अन्तर्गत अगुआपुरा में एक प्रतिमा सीमेन्ट की डाक्टर अम्बेडकर की लगी हुई थी और वहीं के

[श्री गुलाब सेहरा]

स्थानीय लोगों ने बड़ी श्रद्धा की भावना से उसका निर्माण पिछले वर्ष करवाया था और उक्त चौराहा पर उसे स्थापित किया गया था लेकिन पिछले हफ्ते कुछ असामाजिक तत्वों ने उक्त प्रतिमा को रात्रि के समय क्षतिग्रस्त कर दिया है। उससे बाबा साहब के अनुयायियों को बड़ी ठेस लगी है।

मेरा शासन से आपके माध्यम से अनुरोध है कि जो असामाजिक तत्व आगरा जिले की शान्ति व्यवस्था को भंग करने में लगे हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें।

राज्य सड़क परिवहन निगम की गोरखपुर व बर्डघाट डिपो में सैकड़ों गाड़ियों के खराब पड़ी रहने से जनता को कठिनाई के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाना चहता हूं।

राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा गोरखपुर क्षेत्र में परिवहन सेवायें अत्यधिक खराब हो गई है गोरखपुर और बर्डघाट डिपो पर सैकड़ों गाड़ियां खराब होकर पड़ी हुई है और उनकी मरम्मत नहीं हो पाती है। इस समय जबकि शादी व्याह का अवसर है इन गाड़ियों के खराब होने का बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। जनता में आक्रोश पैदा हो रहा है।

उदाहरण के लिये बरहलगंज से गोला बाजार होकर कौड़ीराम तक की सेवा करीब-करीब बन्द सी हो गई है। इस प्रकार गोरखपुर बरहलगंज मार्ग पर दो बस स्टेशनों पर जिनके नाम जगदीशपुर त्रलुवान और मझगांवा हैं, जहां बसें रात को रुका करती थी अब बन्द कर दी गई हैं। इस सम्बन्ध में मैंने परिवहन मंत्री जी को एक पत्र मझगांवा के बस के बारे में लिखा किन्तु उसका कोई उत्तर नहीं मिला। जनता में इस बात की चर्चा है कि प्राइवेट बस वालों की बसें चलाने के लिये अपनी कार्य क्षमता खराब की जा रही हैं ताकि लोगों का विश्वास ही राजकीय सेवा से उठ जाय।

अत: मैं उपरोक्त विषय सदन के संज्ञान में ला कर यह आशा करता हूं कि तुरन्त इस मामले में कार्यवाही की जायगी।

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि पूरे प्रदेश में प्राइवेट बसें चलाई जा रही हैं। रोडवेज विभाग द्वारा ठेके पर लेकर.....

श्री अध्यक्ष—

आपने सूचना पढ़कर सुना दी और उसके जरिये ध्यान दिलवा दिया। अब नई परिपाटी आप न डालें। मैं परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करवा दूंगा।

देवरिया जनपद के चिकित्सालयों में कुत्ता काटने के इंजेक्शन के अभाव के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, देवरिया जनपद में कुत्ता काटने के बाद लगने वाली सुई का पूर्णतया अभाव है। पिछले 15 दिन से जिला चिकित्सालय पर एक भी सुई नहीं है जबकि प्रति दिन लगभग दो

सौ से भी अधिक व्यक्ति ऐसे आते है जिनको कुत्तों ने काटा हो। लेकिन सुई न उपलब्ध होने के कारण उन्हें निराश होकर वापस जाना पड़ता है। उनमें भय एवं आतंक की भावना का समावेश हो जाता है। मैंने इस सम्बन्ध में अधिकारियों से सम्पर्क किया तो उदासीनता ही नजर आई। इस अव्यवस्था को देखत हुए लोगों में भय,आतंक एवं आक्रोश का वातावरण व्याप्त हैं। ऐसी संभावना भी हो गयी है कि अनेक ऐसे व्यक्ति जिनको कुत्ते ने काट लिया है पागलपन की अवस्था में आ सकते हैं और उनकी मौत भी हो सकती है। सम्पूर्ण जनपद के नागरिकों में स्वास्थ्य विभाग को इस अव्यवस्था से क्षोभ हैं।

अत: सदन के माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि तत्काल कुत्ते की सुई की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाय जिससे कि कुत्तों के काटने से सम्भावित मौत को रोका जा सके। साथ ही साथ यह भी जांच कराई जाय कि सुई के अभाव के कारण कितनी मौतें हुई है तथा जिम्मेदार व्यक्ति को दंडित किया जाय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 42वां प्रतिवेदन†

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से आश्वासन समिति का 42वां प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं।

यह प्रतिवेदन मूलत: वर्ष 1976–77 की आश्वासन समिति द्वारा तैयार किया गया था। उस समिति के सभापति ने इस प्रतिवदन को सदन में प्रस्तुत करने हेतु इस पर हस्ताक्षर भी कर दिये थे किन्तु विधान सभा का विघटन हो जाने के परिणाम स्वरूप यह सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका था।

सामान्य निर्वाचन के उपरान्त दिनांक 3 नवम्बर, 1977 को पुन: इस समिति का गठन हुआ। दिनांक 18 अप्रैल, 1978 की बैठक में आश्वासन समिति के इस प्रतिवेदन को स्वीकार किया।

इस प्रतिवेदन के वर्ग 1 में वर्ष 1976 के उन आश्वासनों की सूची है जिन्हें समिति ने संस्तुति की कि इसकी पूर्ति हो गयी है अथवा जो उत्तर सम्बद्ध विभाग द्वारा दिये गये हैं वे संतोषजनक है और वह आगे उन पर विचार नहीं करना चाहती।

वर्ग 2 में वर्ष 1974 के उन आश्वासनों की सूची है जिनकी पूर्ति अभी तक नहीं की गयी है या जिनकी प्रगति से समिति संतुष्ट नहीं हैं और यह चाहती है कि विभाग उन पर आवश्यक कार्यवाही करक समिति को अवगत कराये। वर्ग–3 में वर्ष 1970 से वर्ष 1973 तक के उन आश्वासनों की सूची है जो आश्वासन समिति के 40वें तथा 41वें प्रतिवेदन के प्रकाशन के समय अपूर्ण थे तथा जिन्हें अब समिति द्वारा पूर्ण माना जा चुका है।

वर्ग–4 में वर्ष 1970 से वर्ष 1973 तक के उन आश्वासनों का समावेश हैं जो अभी तक अपूर्ण हैं।

वर्ग–2 तथा वर्ग–4 में अंकित आश्वासनों के कई-कई वर्ष बीत जाने पर भी विभाग द्वारा पूर्ति न किये जाने पर समिति ने क्षोभ प्रकट किया है। समिति आशा करती है कि सम्बन्धित विभाग अपूर्ण आश्वासनों की पूर्ति की दिशा में अविलम्ब कोई ठोस कदम उठायेंगे।

---

†छापा नहीं गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बढ़े हुए लगान से सम्बन्धित नियम 52 के अन्तर्गत होने वाली चर्चा का कार्य सूची में न सम्मिलित होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान आज के एजेन्डे की मद संख्या 15 की ओर ले जाना चाहता हूं जिसमें आचार्य नरेन्द्र देव कृषि प्राद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद की स्थापना के सम्बन्ध में एक घंटे की चर्चा रखी गई है। मान्यवर, लगान की बढ़ोतरी के सिलसिले में हमने आपकी सेवा में एक नियम 52 की सूचना दी थी जो स्वीकृत होकर इस सदन में दो दिन तक एजेन्डे में आयी लेकिन सम्बन्धित मंत्री द्वारा अनुपस्थित होने के कारण वह चर्चा का विषय न बन सका। मैं इस संबंध में आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि जो लम्बित विषय है जब तक उस पर चर्चा न हो जाय तब तक दूसरा विषय चर्चा के लिये रख देना कहां तक मुनासिब है? मैं इसलिये आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके जैसी मेरी सूचना है, हो सकता है वह गलत हो, मैं उसके बारे में नहीं कहता, लेकिन कल से यहां पर यह चर्चा हो रही है कि यह सदन 18 तारीख के बजाय 15 तरीख को ही एप्रोप्रियेशन बिल पास करके उठ जायगा। इसलिये में जानना चाहता हूं कि लगान की बढ़ोत्तरी के सिलसिले में इस सदन में जो चर्चा होने वाली है उसके लिये मौका नहीं मिल पायेगा। तो जो नोटिस आपको पहले दी गई है जो स्वीकृत भी हो चुकी है उस पर पहले चर्चा होगी या नहीं, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

जो निर्णय हुआ है वह कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश पर इस सदन का निर्णय हुआ है। पहले लगान के विषय में एक दिन रखा गया था और उस दिन वह लिया नहीं जा सका। फिर दूसरे दिन रखा गया और उस रोज राजस्व मंत्री के अनुरोध पर उसे मुल्तवी कर दिया गया। तो उसमें समय का जहां तक सवाल है, उससे व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता कि क्यों पहले इसे नहीं लिया गया। यह तो कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश पर सदन का फैसला है, इसलिये आज इसे ले लिया गया है। कार्य-मंत्रणा समिति फिर विचार करेगी कि आपके इस प्रश्न को विचारार्थ ले लिया जाय। जहां तक सदन के 15 तारीख को उठने का सवाल है, मुझे इसकी सूचना नहीं है। सदन ने जो अभी तक निर्णय किया है वह 18 तारीख तक का है। मैं यही मानता हूं कि सदन 18 तारीख तक चलेगा। इसलिये जो प्रश्न आपने उठाया है उसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

दैनिक हिन्दुस्तान के सम्पादक तथा पत्र के गोरखपुर स्थित संवाददाता के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब मैं विशेषाधिकार के प्रश्नों को ले रहा हूं। श्री सोहनवीर सिंह तोमर, सदस्य विधान सभा ने 12 अप्रैल, 1978 को दैनिक हिन्दुस्तान के सम्पादक तथा उक्त पत्र के गोरखपुर स्थित सम्वाददाता की विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी। माननीय सदस्य का यह कहना है कि 10-4-78 को दिल्ली से प्रकाशित दैनिक हिन्दुस्तान के पृष्ठ 6 पर समाचार पत्र के गोरखपुर स्थित सम्वाददाता द्वारा भेजा गया एक समाचार "विधायक को क्यों रोका" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था। यह समाचार गोरखपुर पुलिस ने दैनिक हिन्दुस्तान के गोरखपुर स्थित सम्वाददाता से मिलकर इसलिये छपवाया है कि विशेषाधिकार समिति श्री राम गोविन चौधरी से सम्बन्धित प्रश्न के सम्बन्ध में, जो उसे 6 अप्रैल, 1978 को सौंपा गया था, विद्वेषित हो जायें। इस सम्बन्ध में दनिक हिन्दुस्तान के संपादक तथा उक्त पत्र के गोरखपुर स्थित सम्वाददाता को स्थिति स्पष्ट करने के लिये लिखा गया। दैनिक हिन्दुस्तान के समाचार सम्पादक ने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपने स्पष्टीकरण में बताया है कि श्री राम गोविन्न चौधरी, सदस्य विधान सभा तथा श्री कैलाश नाथ पाण्डे, कान्सटेबिल, ट्रैफिक पुलिस द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई रिपोर्टों के आधार पर उपर्युक्त समाचार प्रकाशित किया गया था। समाचार सम्पादक ने उक्त रिपोर्टों की प्रतिलिपि भी मेरे अवलोकनार्थ भेजी। मैंने इसको देख लिया है। उसमें केवल एक विधायक लिखा है। समाचार सम्पादक का यह भी कहना है कि प्रकाशित समाचार में विधायक का नाम नहीं छपा है। अतः इससे विशेषाधिकारों की अवहेलना नहीं होती है।

बी0 जी0 रामचन्द्रन की पुस्तक 'दि ला आफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज इन इंडिया' के पृष्ठ 861 पर एक विशेषाधिकार के मामले का उल्लेख है जिसमें बी0 बी0 सी0 ने एक विशेषाधिकार के प्रश्न के संबंध में, जो सदन के विचाराधीन था, कुछ टीका-टिप्पणी की। यह मामला उसी आधार पर विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में उठाया गया जो कि न्यायालयों के सम्बन्ध में लागू होता है। अर्थात् यदि कोई मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो तो उस पर समाचार-पत्रों द्वारा टीका-टिप्पणी किया जाना न्यायालय का अवमान माना जाता है। यह मामला विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया जिसने यह मत प्रकट किया कि बी0 बी0 सी0 ने जो ब्राडकास्ट किया है उसमें अध्यक्ष या हाउस आफ कामन्स के निर्णय को प्रभावित करने, परिवर्तित या परिष्कृत करने की प्रवृत्ति नहीं दिखलायी पड़ती है। इसलिये कोई विशेषाधिकार का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

उक्त मामला इस प्रकार है कि मिस्टर सिडनी सिल्वर मैन ने यह शिकायत की थी कि उन्हें रेवेरेन्ड क्लार्क का एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि उन्होंने अपना एक पत्र मिस्टर रोजर्स एम0 पी0 के पास भेजा था जिसमें जर्मनी के पुनः शस्त्रीकरण का विरोध किया गया था। श्री रोजर्स ने इस पत्र को उनके उच्च अधिकारी को भेज दिया जिन्होंने उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देने के लिए कहा। मिस्टर सिल्वरमैन का कहना था कि रेवेरेंड क्लार्क का पत्र मिस्टर रोजर्स एम0 पी0 द्वारा रेवेरेन्ड क्लार्क के उच्च अधिकारी को भेजना विशेषाधिकार की अवहेलना थी क्योंकि इससे निर्वाचकों की उस आस्था पर आघात होता था जो वे अपने विधायकों में रखते थे। यह मामला 8 मार्च, 1951 को हाउस आफ कामन्स में उठाया गया था और 9 मार्च, 1951 को इस संबंध में बी0 बी0 सी0 ने एक ब्राडकास्ट किया। लाइट प्रोग्राम के इस ब्राडकास्ट में भूमिका के रूप में यह कहते हुए एक निर्वाचक द्वारा पुनः शस्त्रीकरण के विरोध में अपने एम0 पी0 को लिखा गया पत्र बिना उसकी अनुमति के उसके उच्च अधिकारी को भेजा गया, यह प्रश्न पूछा गया कि क्या गोष्ठी की यह राय है कि इसके द्वारा उन व्यक्तियों के सताये जाने का मार्ग प्रशस्त नहीं हो गया है जो अपने विधायकों को पत्र लिखते हैं। इस विषय पर हाउस आफ कामन्स में विशेषाधिकार का प्रश्न लम्बित होने के कारण इस प्रश्न पर चर्चा का विरोध किये जाने पर सत्र के सभापति ने यह मामला प्रोड्यूसर (उत्पादक) को निर्दिष्ट किया जिन्होंने यह व्यवस्था दी कि इस मामले में उस शाम की चर्चा करना नियमित होगा और एक मिस्टर लोंग लैण्ड ने इस प्रश्न के जबाव में यह कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसने अखबारों में हाउस आफ कामन्स की रात की घटनाओं को पढ़ा है वह यह नहीं समझेगा कि विशेषाधिकार समिति या अध्यक्ष का कोई महत्व है। मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि कोई व्यक्ति जो अपने विधायक को लिखता और समझता है कि उसके द्वारा लिखा गया पत्र पूर्णतया निजी है, मूर्ख है। दूसरी बात जो भी कहना चाहता हूं वह यह है कि सदस्यों में साधारणतया इतनी समझ है और उत्तरदायित्व की इतनी भावना है कि प्रश्न में जो भय व्यक्त किया गया है वह वास्तविक स्वरूप ग्रहण नहीं करेगा। इस प्रकार की टीका को भी हाउस आफ कामन्स की विशेषाधिकार समिति ने अध्यक्ष या हाउस आफ कामन्स के निर्णय को प्रभावित करने वाला नहीं माना और इसलिए यह संस्तुति की इसमें विशेषाधिकार की अवहलना या सदन के अवमान का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है और सदन ने समिति की संस्तुति के प्रकाश में मामले को समाप्त कर दिया।

[श्री अध्यक्ष]

प्रस्तुत मामले में तथ्यों का जिक्र किया गया है और समाचार पत्र की ओर से टीका-टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई प्रतीत होती है और न सदन की किसी कार्यवाही का ही उल्लेख है। विशेषाधिकार समिति तथ्यों की जांच स्वयं करेगी। इस समाचार में ऐसी कोई प्रवृत्ति प्रदर्शित नहीं होती जिससे विशेषाधिकार समिति अपने समक्ष लम्बित मामले पर विचार करने में प्रभावित हो फिर भी इस प्रकार का समाचार छापना जबकि मामला विशेषाधिकार समिति के समक्ष लम्बित हो, अनुचित है और समाचार पत्रों से ऐसे मामलों में अधिक सावधानी अपेक्षित है। इस मामले में प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं होता। अतः मैं इस प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

सर्वश्री नारायणदत्त तिवारी, मन्जूर अहमद व डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्री श्रीनारायण, सदस्य विधान सभा ने माननीय श्री नारायदत्त तिवारी, सदस्य विधान सभा के विरुद्ध तथा माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त एवं माननीय श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी, श्री कृष्णवीर सिंह कौशल, श्री मंजूर अहमद, सदस्यगण विधान सभा के विरूद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया है। सदन ने उसी समय माननीय श्री मधुकर दिघे, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव पर माननीय श्री मंजूर अहमद तथा श्री नारायणदत्त तिवारी के व्यवहार को सदन का अवमान मानते हुये उसकी भर्त्सना की। अतएव, इन दोनों माननीय सदस्यों के विरुद्ध अब विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। श्री कृष्णवीर सिंह कौशल ने मेरे प्रति यह कहा था, 'आप अन्याय कर रहे हैं' किन्तु मैं ऐसी बातों को अधिक महत्व न देने की दृष्टि से उनके विरुद्ध अब किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझता।

अतः मैं उक्त दोनों सूचनाओं को विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेला के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

सर्वश्री गुलाब सेहरा, ऊदल, रियासत हुसैन, श्यामधर मिश्र तथा देव बहादुर सिंह ने माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। उक्त माननीय सदस्यों का कहना है कि 2 मई, 1978 को माननीय मुख्य मंत्री ने कामरोको प्रस्ताव की चर्चा के दौरान जो वक्तव्य दिया था वह तथ्यों के विपरीत था और सदन को गुमराह करने वाला था। मैंने इसको माननीय मुख्य मंत्री जी के पास उनका स्पष्टीकरण मांगने के लिये भेज दिया है, ज्यादा उचित होगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपना स्पष्टीकरण दे दें तो मैं आपके पक्ष को उस वक्त सुनूंगा।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

इस वक्त हमारी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

इसमें केवल आपका नाम ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ही अनुमति दें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय को मंत्रि-परिषद् से हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष द्वारा अपेक्षित वक्तव्य कार्य सूची में न होने पर आपत्ति

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मैं नियम 301 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आज के अजेंडा में 7 से 10 तक विभिन्न मंत्रियों द्वारा वक्तव्यों को दिखाया गया है। कल सदन में माननीय राजमंगल पाण्डेय के व्यवस्था के प्रश्न पर आपने माननीय मुख्य मंत्री को निर्देश किया था कि माननीय सत्य प्रकाश मालवीय की बरखास्तगी के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री सदन में वक्तव्य देंगे। आज इस अजेंडे पर उसका कोई हवाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय रवीन्द्र सिंह जी, कल मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को निर्देश नहीं दिया था। मैंने माननीय राजमंगल पांडेय के प्रश्न पर कहा था कि मैं अपेक्षा करता हूं माननीय सत्य प्रकाश मालवीय को किन परिस्थितियों में बरखास्त किया गया उससे माननीय मुख्य मंत्री सदन को अवगत करायेंगे। मैंने कहा था, मैं अपेक्षा करता हूं। वक्तव्य कार्यक्रम में तब रखते हैं जब कि मंत्री लिख कर भेज देते हैं कि मैं उस वक्तव्य को देना चाहता हूं। इसलिए जहां तक आपका औचित्य का प्रश्न है वह नियम 301 के अन्तर्गत है, वह कार्यक्रम के बारे में है। कार्यक्रम में इसको नहीं रख सकते थे। इसलिये इसमें प्रश्न नहीं पैदा होता।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, आप इस सदन के अध्यक्ष हैं। मान्यवर, जिस पीठ पर आप बैठते हैं, यदि पीठ अपेक्षा रखती है तो, संसदीय प्रणाली और परम्परा है कि वह एक तरह से व्यवस्था हो जाया करती है। ऐसा नहीं है कि आपकी अपेक्षा हो और उस अपेक्षा केविरुद्ध कोई काय हो। जो आप अपेक्षा रखते ह वह अप्रत्यक्ष रूप से आपकी व्यवस्था है। आपने कल स्पष्ट किया था कि माननीय मुख्य मंत्री जी सदन के अन्दर आज या कल वक्तव्य दगे और सत्य प्रकाश मालवीय भी वक्तव्य देंगे। आप स्पष्ट रूप से व्यवस्था दे दें कि मुख्य मंत्री कब वक्तव्य देंगे और सत्य प्रकाश मालवीय जी कब वक्तव्य देंगें ?

* श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)--

आप ने कहा कि इच्छा या अपेक्षा मेरी समझ में नहीं आया लेकिन अगर दोनों में से कुछ भी आपने कहा तो जो संसदीय प्रक्रिया नियमावली है उसक अनुसार अध्यक्ष की इच्छा का कोई प्रश्न नहीं उठता ह। प्रश्न केवल यही उठता है कि अध्यक्ष ने क्या आज्ञा दी है। अध्यक्ष जबान से निकली हुई बात किसी मंत्री या किसी सदस्य के लिये आदेश होती है। मैं चाहूगा कि मुख्य मंत्री जी से आपने इच्छा व्यक्त की है, या अपेक्षा की है या आपने आदश दिया है। म यह व्यवस्था चाहता हूं। कि आप का आदेश है, इच्छा है या अपक्षा करत ह

श्री अध्यक्ष--

जो प्रश्न राज मंगल जी ने उठाया है तो जैसा मैंने कहा, " मैं अपेक्षा करता हूं कि वह सदन को अवश्य इस सम्बन्ध में अवगत करायेंगे कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया "। वह निदश नहीं दिया, मैंने तो अपेक्षा की है। लेकिन श्री रवीन्द्र सिंह ने जो आपत्ति की है व तो आज के कार्यक्रम में सम्मिलित न करने की है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

नहीं, मान्यवर ।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

कार्यक्रम में हो या न हो । हमसे केवल इतना ताल्लुक है कि जो आप अपेक्षा करते हैं वह इस सदन के लिये मान्य है या नहीं मुख्य मंत्री हो या सदन का कोई सदस्य हो । यह अलग बात है कि उनकी मजबूरी हो, लेकिन जब आप अपेक्षा करते हैं तो उन्हें वक्तव्य देना है । वह आपसे निवदन कर सकत हैं कि हमारी कठिनाई है, आज हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन बयान तो दना ही है । कब देगें इसकी जानकारी तो हाउस को हो जानी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

जो श्री राज मंगल पाण्डेय जी ने कहा और जो मैंने कहा वह सदन की सम्पत्ति है, लेकिन इस समय उस कार्यक्रम तक नहीं पहुंचे हैं तो उचित होगा कि जो कार्यक्रम है उसको समाप्त कर लें जो मंत्री वक्तव्य दे रहे हैं वह दे दें । तब यह प्रश्न आयेगा ।

अधिष्ठाता मंडल में श्री त्रिलोक चन्द, सदस्य विधान सभा के नाम निर्देशन की घोषणा

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना मैं आपको देना चाहता हू कि श्री शिव मंगल सिंह, सदस्य, विधान सभा, जो वर्ष 1978–79 के लिये नाम निर्देशित अधिष्ठाता मंडल के सदस्य नाम निर्दिष्ट किये गये थे, कि मंत्रिमंडल के सदस्य नियुक्त हो जाने के कारण रिक्त स्थान पर श्री त्रिलोक चन्द, सदस्य, विधान सभा, बुलन्दशहर को उक्त अधिष्ठाता मंडल का सदस्य नाम निर्दिष्ट किया गया है ।

दिनांक 18 अप्रैल, 1978 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में संशोधन हेतु नियोजन राज्य मंत्री का शोधन वक्तव्य

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 18 अप्रैल, 1978 को सर्वश्री बांके लाल, जगदीश मिश्र, सुखपाल पान्डेय, रवीन्द्र नाथ तिवारी, गौरी शंकर एडवोकेट, रामपति, शिवानन्द नौटियाल, व श्रीमती रामरति देवी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 2 के संबंध में श्री सुखपाल पाण्डेय ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो दोनों पक्ष से रिपोर्ट लिखायी गयी है पहली रिपोर्ट में कितने लोग गिरफ्तार करने के बाद थाने पर जमानत ली गयी और कितने लोगों को कोर्ट से जमानत हुई ।

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि मान्यवर, इसमें पहली रिपोर्ट में 10 आदमी नामजद थे जिसमें से दो गिरफ्तार हुए, अदालत से जमानत उनकी हुई, बाकी 8 आदमी अभी भागे हुए हैं ।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला । सही उत्तर इस प्रकार है ।

मान्यवर, इसमें पहली रिपोर्ट में 10 आदमी नामजद थे जिसमें से दो गिरफ्तार हुये, थाने से जमानत उनकी हुई, बाकी 8 आदमियों ने अदालत में आत्मसमर्पण किया ।

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है ।

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिये देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 117 पर)

दिनांक 25 अप्रैल, 1978 को श्री कल्पनाथ सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उत्तर में संशोधन हेतु नियोजन राज्य मंत्री का शोधन वक्तव्य

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय दिनांक 25 अप्रैल, 1978 को श्री कल्पनाथ सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 4 के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष ने पूछा था चोंट पहले दिन आयी। उस समय सदन में उत्तर दिया गया था पहले दिन नहीं अगले दिन आयी। उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है 'चोट दोनों दिन आयी'।

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिये देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 118 पर)

वाराणसी की पुलिस द्वारा श्री रमा शंकर सिंह उर्फ़ लल्लू सिंह को उनके घर से बाहर ले जाकर गोली मारने की घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह मंत्री (श्री राम सिंह)—

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 21-4-78 के सायंकाल उप निरीक्षक, श्री दल सिंगार पान्डे थाना चौक को हेड कान्स्टेबिल चन्द्रवली यादव द्वारा यह सूचना मिली कि नगर के कुछ कुख्यात बदमाश मोहल्ला नीलकंठ (वाराणसी) में स्थिति एक मंदिर में सशस्त्र एकत्र हैं और कोई गंभीर घटना करने वाले हैं। इस सूचना पर उप निरीक्षक, श्री पान्डे, हेड कान्स्टेबिल चन्द्रवली यादव व कान्सटेबिल जवाहर सिंह तथा दया शंकर सहित उक्त मंदिर के पास पहुंचे और भोला नामक व्यक्ति को हेड कान्स्टेबिल ने पकड़ा तथा असलहा के लिये उसकी तलाशी लेने लगा तो भीतर बैठे उसके अन्य साथी बाहर निकल आये तथा ललकारा और एक ने फायर किया जिससे कान्स्टेबिल जवाहरसिंह घायल हुआ और दो अभियुक्तों ने हेड कान्स्टेबिल चन्द्रवली यादव के हाथ पकड़ लिये और भोला ने हेड कान्स्टेबिल चन्द्रवली यादव को गोली मारी जिसके फलस्वरूप हेड कान्स्टेबिल घायल होकर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गयी अन्य बदमाशों ने उप निरीक्षक श्री पान्डे के सर पर छड़ से मारा तथा कान्स्टेबिल दल सिंगार प्रसाद को भी लात घूसों से मारा। इस सूचना पर थाना चौक पर एक मुकदमा सात नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 147-148-149-302-307-333-224 323-225 भारतीय दंड विधान तथा 7 क्रिमनल ला एमेन्मेन्ट ऐक्ट के अधीन कायम किया गया।

दिनांक 22 अप्रैल, 78 को सायंकाल 9 बजे थाना चौक में उक्त घटना के अभियुक्तों की गिरफ्तारी आदि के संबंध में शहर के कतिपय थानाध्यक्षों की बैठक हो रही थी तो थाना चौक पर विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली कि उक्त अपराध से संबंधित अभियुक्त वाराणसी शहर को छोड़कर गंगा नदी पार करके वाराणसी से बाहर भागने वाले हैं। इस सूचना पर सर्किल आफिसर प्रथम व तृतीय तथा इन्स्पेक्टर चौक व कोतवाली, थानाध्यक्ष आदमपुरा, जैतपुरा व राम नगर मय पुलिस फोर्स व पी0 ए0 सी0 तथा गवाहान के प्राप्त सूचना के अनुसार मौके पर गये और नाकाबन्दी की। वहां रात को 6-7 आदमी बात करते हुये आते दिखलाई दिये। जब वे लोग पुलिस के घेरे में आ गये तो पुलिसजनों ने उन्हें आगे बढ़ने से मना किया। इस पर उन लोगों ने गोलियां चलानी प्रारंभ कर दी। अतः पुलिस को भी रक्षार्थ गोली चलानी पड़ी। फलस्वरूप बदमाशों में भगदड़ मच गई एक बदमाश भागते हुये गिर पड़ा तथा शेष भागने में सफल हो गये। गिरे हुए बदमाश, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, की शिनाख्त पर यह ज्ञात हुआ कि उसका नाम रमाशंकर सिंह उर्फ लल्लू सिंह है।

[श्री रामसिंह]

मृतक की लाश के पास से एक रिवाल्वर व कुछ चले हुये तथा कुछ जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। बदमाश जिधर से भागे थे थोड़ी दूर पर उधर एक अन्य देशी तमंचा तथा बैग (फोलियो) जिसमें 1390 रुपया व एक पत्र था, बरामद हुआ। इस घटना की सूचना थाना राम नगर के थानाध्यक्ष द्वारा थाना राम नगर पर दिये जाने के उपरान्त एक मुकदमा धारा 147–148 149–307 भारतीय दंड विधान तथा 25 आर्म्स ऐक्ट के अधीन मृतक लल्लू सिंह व 5-6 अज्ञात लोगों के विरुद्ध कायम किया गया है, जिसकी विवेचना हो रही है।

मृतक श्री रमाशंकर सिंह उर्फ लल्लू सिंह का अपराधिक जीवन वर्ष 1957 से प्रारम्भ हुआ वह हिस्ट्रीशीटर था। इनको गुन्डा ऐक्ट के अधीन वर्ष 1971 में 6 माह के लिये जिले से निष्कासन के आदेश दिये गये थे।

उक्त मुठभेड़ में हुई श्री रमाशंकर सिंह उर्फ लल्लू सिंह की मृत्यु की मैजिस्टीरियल जांच के आदेश जिलाधिकारी, वाराणसी ने 24–4–78 को दिये हैं। यह कहना सही नहीं है कि उक्त घटना से वाराणसी शहर में असन्तोष व्याप्त है या स्थिति तनावपूर्ण एवं विस्फोटक है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)––
व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष —
किस नियम के अनुसार।

श्री देव बहादुर सिंह––
जो कार्य सूची है, इसी पर। कार्य सूची पर जो मद 9 में लिखा है कि देव बहादुर सिंह द्वारा दी गयी सूचना पर गृह मंत्री का वक्तव्य, तो जो सूचना मैंने दी थी निश्चित बात है कि उसी पर गृह मंत्री का बयान होना चाहिये था। हमारी सूचना यह है कि लल्लू सिंह को घर से बुलाकर पुलिस ने गोली मार दिया। तो उसका कोई जिक्र वक्तव्य में नहीं है। जो सूचना थी, उसी पर वक्तव्य होना चाहिये था। मामला बड़ा गम्भीर है इसलिये मैंने सूचना दी थी और अपेक्षा की थी कि इसमें 51 में 52 में हम कुछ पूछ लें। क्योंकि जो एक आतंक का और आशंका का वातावरण है उस को किस तरह से ठीक करें। लेकिन जो वक्तव्य है उससे उसका निवारण नहीं हो रहा है। इसलिये प्रार्थना करूंगा कि आप इस पर नियम 52 में किसी दिन वक्तव्य दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष––
जितना समय आपने लिया, अगर आप मुझको नियम 52 में लिख कर देते तो विचार करता। इस प्रकार से सदन में नियम 51 या 52 पेश करने का तरीका सही नहीं है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री।

गोरखपुर मंडल में चेचक के भीषण प्रकोप के सम्बन्ध में वक्तव्य

स्वास्थ्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)––

अध्यक्ष महोदय, चेचक की रोकथाम का कार्यक्रम प्रदेश में वर्ष 1962 से प्रारम्भ हुआ। उस समय रोकथाम की कार्यवाही टीका लगाने तक ही सीमित थी। पुरानी परिपाटी चेचक रोग को नियंत्रित रखने में किसी सीमा तक प्रभावी अवश्य थी परन्तु वह परिपाटी रोग का पूर्णरूप से उन्मूलन नहीं कर पाती थी यह अनुभव किया गया कि शतप्रतिशत लोगों को चेचक का टीका लगाना सम्भव नहीं है और यदि 2–4 प्रतिशत व्यक्ति भी टीके लगने से बच जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों से चेचक के बीमारी चलती रह सकती है। पुरानी परिपाटी में एक दोष यह भी था कि लोग चेचक की बीमारी के रोगियों की सूचना नहीं देते थे और सूचना के अभाव में ऐसे

केसेज दबे रह कर भीतर ही भीतर सुलगते रहते थे और अनुकूल परिस्थिति में रोग का प्रसार उग्र रूप धारण कर लेता था। यह विषय काफी समय तक राज्य सरकार, भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की चिन्ता का कारण बना रहा। इस समस्या के निराकरण का अन्य देशों में जो प्रयोगिक उपचार ढूंढा गया और सफल पाया गया उसी आधार पर इस देश/राज्य मेंभी चेचक उन्मूलन सम्बन्धी नई पद्धति अपनाई गयी,जिसके अधीन समस्त रोगियों को ढूंढ निकाल कर प्रत्येक रोगी के क्षेत्र में आसपास के 50-60 घरों के सभी व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर टीके लगाकर उस बीमार व्यक्ति के चारों ओर उन प्रतिरक्षित व्यक्तियों की एक दीवार सी खड़ी कर दी जाती थी जिससे बीमारी का प्रसार अवरूद्ध किया जाने लगा। नयी पद्धति के अधीन ऐसे व्यक्तियों को टीका लगाने के बाद उस क्षेत्र के बचे हुए व्यक्तियों को टीका लगाने का प्रयास किया जाने लगा। यह नवीन पद्धति इस प्रदेश में वर्ष 1973 से प्रयोग में लायी गयी और यह प्रयोग विश्व स्वास्थ्य संगठन केन्द्र शासन के स्वस्थ्य विशेषज्ञों की देख रेख में तथा उनके सहयोग से चलाया गया।

अक्तूबर, 1973 से पूर्व प्रदेश में लगभग 3600 कार्यकर्ता चेचक की बीमारी के नियंत्रण हेतु कार्यंतर थे। नई पद्धति के कार्यान्वियन के लिये लगभग 1000 अतिरिक्त कार्यकर्ता नियुक्त किये गये। इसके अतिरिक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन की 15 स्पेशल टीमें तथा 10 प्रदेशीय टीमें इस कार्य की देखभाल के लिये स्वीकृत की गयी। प्रत्येक टीम का कार्यभार एक डाक्टर को दिया गया और इस प्रकार 25 अतिरिक्त डाक्टर विशेष रूप से इसी योजना के लिये लगाये। प्रत्येक टीम में डाक्टर के अतिरिक्त एक पैरा मेडिकल असिस्टेंट / ऐन्टी ऐपिडैमिक अधिकारी रखा गया। टीम के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक गाड़ी की व्यवस्था की। टीम का क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया। इस टीम का काम चेचक के रोगियों की खोज करना, उनकी देखरेख करना तथा यह सुनिश्चित करना था कि चेचक का कोई केस छूटने न पाए। इसके अतिरिक्त यह टीम क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का यथासम्भव पथ प्रदर्शन भी करती थी।

माननीय सदस्यों ने सदन में सूचना दी है कि गोरखपुर मण्डल में चेचक (छोटी माता) का भीषण प्रकोप है जिससे लगभग 200 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। माननीय सदस्यों ने यह भी सूचना दी है कि देवरिया जनपद के विभिन्न स्थलों में लगभग 100 बच्चे इस रोग के शिकार को चुके हैं तथा इस रोग के प्रसार की गति तीव्र है।

चेचक रोग (बड़ी माता) का इस राज्य से ही नहीं अपितु देश से उन्मूलन हो चुका है। राज्य में चेचक का अंतिम केस दिनांक 8 मार्च, 1975 को हुआ था। अपने देश का चेचक से ग्रसित अंतिम केस 24 मई, 1975 का है। शासन का प्राप्त सूचनानुसार पूरे संसार में चेचक का अंतिम केस दिनांक 26 अक्टूबर, 1977 का है। माननीय सदस्यों से सूचना प्राप्त होने पर इस मामले में जांच कराई गई और यह पाया गया कि जनपद देवरिया अथवा गोरखपुर मण्डल में चेचक का कोई केस नहीं है। राज्य में छोटी माता (चिकिन पाक्स) तथा खसरे के केसेज अवश्य हैं। माननीय सदस्यों द्वारा दी गई सूचना में देवरिया जनपद के 17 ब्लाकों में रोग की स्थिति (जांच के उपरान्त) दिनांक 1 जनवरी, 1978 से दिनांक 30 अप्रैल, 1978 तक निम्नवत् सामने आई है :

चिकन पाक्स (छोटी माता)

ब्लाक का नाम	ग्रसित	मृत
1—सलेमपुर	27	0
2—बनकटा	10	0
3—भाटपार रानी	51	0
4—भटनी	99	0
5—भागलपुर	58	0

[श्री कल्याण सिंह]

1	2	3	4
6	बरहज	53	0
7	भलौनी	122	0
8	देवरिया	34	0
9	रुद्रपुर	34	0
10	गौरी बाजार	118	0
11	बैतालपुर	140	0
12	रामपुर करखना	10	0
13	देसाई देवरिया	1	0
14	हाटा	105	0
15	फाजिल नगर	128	0
16	लार	59	0
17	कमया	84	0
	योग ..	1,133	0

यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य में टीके लगाने का कार्य पूर्ववत् जारी है। जनपद देवरिया के 17 ब्लाकों, गोरखपुर मण्डल तथा सम्पूर्ण राज्य में 1 जनवरी, 1978 से 30 अप्रैल, 1978 तक लगाये गये टीकों की संख्या निम्नवत् है :

	प्राथमिक टीके (प्राइमरी वैक्सीनेशन)	पुनर्मेद टीके (री वैक्सीनेशन)	योग
1	2	3	4
(क) जनपद देवरिया के 17 ब्लाकों में।	30949	42251	73,200
(ख) गोरखपुर मण्डल में में।	1,94,151	2,98,025	4,92,176
(ग) सम्पूर्ण राज्य में	12,00,219	23,47,324	35,47,543

इसके अतिरिक्त समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जा चुका है कि सम्बन्धित कर्मचारी अपने-अपने क्षेत्रों का भ्रमण करें तथा चिकिन पाक्स आदि से उत्पन्न होने वाली काम्पलीकेशन्स की रोकथाम की कार्यवाही तत्काल करें। मुख्य चिकित्साधिकारी, देवरिया ने भी विशेष कर चिकित्साधिकारियों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, पैरामेडिकल स्टाफ तथा उप मुख्य चिकित्साधिकारियों को निदेशित कर दिया है कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों में दानेदार बुखार के रोगियों की खोज करें तथा उससे सम्भावित कम्पलीकेशन्स की रोकथाम तथा उपचार हेतु जनता को शिक्षित करें।

यद्यपि चिकिन पाक्स (छोटी माता) के प्रकोप की स्थिति में सुधार की अपेक्षा की जा सकती तथापि उपरोक्त आंकड़ों से इतना तो स्पष्ट ही है कि गोरखपुर मण्डल में देवरिया के ग्रस्तगत

ब्लाकों में चिकिन पाक्स से कोई मृत्यु नहीं हुई। इस प्रकार यह माना जा सकता है कि स्थिति नियंत्रण में है।

श्री हरि केवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जहां मंत्री जी ने देवरिया जिले के 17 विकास खंडों की तालिका प्रस्तुत किया है....

श्री अध्यक्ष—

हरि केवल जी, जो मैंने निर्देश दिया था, केवल वक्तव्य के लिये दिया था, उस पर कोई टिप्पणी करना कोई प्रश्न करना तो नहीं हो सकता, वरना केवल वक्तव्य का मतलब नहीं है। इसको आप नियम 51 बनाना चाहेंगे।

श्री हरि केवल प्रसाद—

मान्यवर, आपका आदेश मुझे शिरोधार्य है। मान्यवर, जिन अधिकारियों ने यह सूचना माननीय मंत्री जी को दी है, मैं चाहता हूं माननीय मंत्रीजी इस पर जांच करा लें या मैं उनको लिख कर दे दूं, उन घरों का, उन गावों की जांच करा लें, जिनके घरों में तीन-तीन आदमी मरे हैं।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, आपने बतला दिया माननीय मंत्री जी इस पर गौर करेंगे।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 1977 को वापस लेने का प्रस्ताव

श्रम मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित तथा इस सदन में लम्बित उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 1977, जिसे वापस लेने की अनुमति देने के लिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की सहमति प्राप्त हो गयी है, को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित तथा इस सदन में लम्बित उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 1977, जिसे वपस लेने की अनुमति देने के लिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की सहमति प्राप्त हो गयी है, को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज दो कार्य स्थगन प्रस्ताव मेरे पास आये हैं। एक श्री सोहनवीर सिंह तोमर का है, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरठ में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ की स्थापना के लिये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अदालतों व कालेजों में 9 मई, 1978 से पूर्ण हड़ताल। तो इसमें माननीय तोमर जब यह न्याय विभाग का बजट पेश था, उस समय इस प्रश्न को लिया गया था, तो माननीय हरी सिंह जी ने मेरठ में खण्ड न्याय पीठ स्थापित करने की मांग की थी और माननीय न्याय मंत्री ने आश्वस्त किया था कि उन्हों ने अपने संस्तुति केन्द्र को भेज दी है और उनको कोई आपत्ति नहीं है। तो इसको दृष्टि मे रखते हुए यह जो आपने प्रश्न रखा है यह कैसे ग्राह्य हो सकता है ?

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, उसमें तो सिरोधार्य आपकी आज्ञा है परन्तु इसमें एक नया प्रश्न वहां पर उपस्थित हो गया है। जहां तक खण्ड पीठ की स्थापना की बात है इसकी चर्चा सदन में कई बार हो चुकी है। कामरोको प्रस्ताव पर कोई चर्चा उठाने का मेरा लक्ष्य नहीं है। आज सारे पश्चिमी जिलों में हड़ताल है। कचेहरी कालेज दूकानें सब बंद हैं। मैं इस शासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं हमारी आदत हो गयी है कि समय से किसी बिगड़ती हुई स्थिति की ओर शासन का ध्यान आकर्षित नहीं होता। मान्यवर, जोशी जी ने संकेत किया था उसके बाद मैंने संकेत किया था कि रूप नगर विश्वविद्यालय को बंद कर दिया जाय, फिर से वहां झगड़ा हो जायगा, फिर से झगड़ा हुआ। मान्यवर, विश्वविद्यालय को बन्द करना पड़ा। मान्यवर, क्षेत्र में जब ऐसी स्थिति पैदा होती है, तो लोग मांग करते हैं कि आप क्यों नहीं विधायक पद से इस्तीफा देते हैं? मान्यवर, वहां पर एक अशोभनीय वातावरणों की स्थिति पैदा हो रही है, अलगाव की भावना बढ़ रही है। मान्यवर, इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। मान्यवर, पश्चिम के आंचल के लोगों में यह भावना बढ़ती चली जायगी कि हमें सही मांगों को सरकार के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। आज उनकी भावना यह होती चली जा रही है कि हम इस प्र देश से अलग क्यों न रहें। मेरा लक्ष्य यह है कि मैं आपके द्वारा शासन का ध्यान इस ओर दिलाऊं। कैबिनेट ने भी इस सम्बन्ध में एक संस्तुति की है। और वह संस्तुति 6 महीने की कोशिश गिड़गिड़ाने के बाद की है। मान्यवर, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि आज शासन इस बात को समझे कि हमें गम्भीरता पूर्वक शासन को यह समझनी है कि इस प्रदेश में एक आंचल ऐसा है जो यह महसूस करता है कि हमें न्याय नहीं मिलने वाला है। इसलिये मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस पर विचार किया जाय।

*श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)--

मान्यवर, जहांतक काम रोको प्रस्ताव की बात है, उसे माननीय तोमर जी ने पेश किया है, मैं इ सके पक्ष में नहीं हूं। लेकिन मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि वहां पर रोजाना यह भावना उभड़ती जा रही है, जैसा कि अभी आगरा में हुआ उसकी भी समय से सूचना दी गयी। हमारा कर्त्तव्य है कि यदि कोई ऐसी घटना की सम्भावना हो, तो समय से उसकी सूचना सदन को दें। आज इस कामरोको प्रस्ताव को लेने का यह उद्देश्य है कि पश्चिमी जिलों में घोर असंतोष व्याप्त है, यहां तक कि वहां की मिल और कारखाने बंद हो गये हैं। शासन को स्वयं ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने आप हाउस में एक स्टेटमेंट देना चाहिये कि वहां की हालत क्या है वरना वहां पर भी उसी प्रकार से घटना हो सकती है, जैसी कि पंतनगर में हुई। तो इस मामले को लेकर वहां पर एक आक्रोष पैदा हो गया है। तो इस आक्रोष को ध्यान में रखते हुए शीघ्र उसको स्वीकार करें, वरना वहां की स्थिति और उग्र रूप धारण कर सकती है। मान्यवर, आज ही कोई न कोई स्टेटमेंट दिला सकते हैं।

(श्री श्याम धर मिश्र के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष --

मैं आप से अनुरोध करूंगा कि अगर इस पर अनूमति देंगे, तो बहुत समय लगेगा।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मैं तो केवल ग्राह्यता के बारे में कहना चाहता हूं, मान्यवर।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आप बतलाइये ।

श्री श्याम धर मिश्र—

मैं साधारण रूप से काम रोको प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हूं। यह साधारण तौर से प्रस्ताव नहीं आना चाहिये । लेकिन आप देखें कि लगभग एक साल से तो यह सरकार है, इसी सदन में कई बार यह प्रश्न आया, परन्तु इसमें तरह तरह के विवाद खड़े हो जाते हैं। अगर कोई प्रश्न लोक महत्व का है, अविलम्बनीय है तो यह इसमें पूर्व, पश्चिम या पहाड़ी प्रदेश का कोई सवाल नहीं है । मैं यह कहता हूं कि मेरठ में होना चाहिये । यह मांग तो जरूरी है, इसकी पूर्ति होनी चाहिये और इस पर बहस होना चाहिये ।

*श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, अब तक की सदन की परम्परा यही रही है कि विरोध पक्ष के लोग ही ऐडजर्न मोशन लाते रहे हैं, अब एक नई परम्परा कारण जो भी हो, उधर के पक्ष वाले जो लोग हैं, इस सरकार में हम लोग भी हैं, उनकी कार्य-कुशलता के बारे में जो भी विचार हो, हम इस सदन में नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज हो रही है कि ट्रेजरी बेन्चेज से आज एडजर्नमेन्ट मोशन लाये जा रहे हैं और एक नहीं कई लाये जा रहे हैं। अबतक अपोजीशन के माध्यम से एडजर्नमेंन्ट मोशन लाये जाते थे तब सरकार की आंख नहीं खुलती थी। अब ट्रेजरी बेन्चेज से एडजर्नमेन्ट मोशन लाये जा रहे हैं कि कई घटनाओं की सूचना इस सरकार को दी गयी और उसके बावजूद कार्यवाही नहीं हुयी, जिसके फलस्वरूप पंत नगर और आगरा में कांड हो गये । इसलिये आपके द्वारा सूचना और व्यवस्था यह चाहूंगा कि कितने और एडजर्नमेंन्ट मोशन ट्रेजरी बेन्चेजकी तरफ से आयेंगे और जब मुख्य मंत्री इस बात का निर्णय करेंगे और सदन को आश्वस्त करेंगे कि हमऐसी कार्यवाही करेंगे ताकि इन घटनाओं की पनरावृत्ति न हो ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय राज मंगल पाडेय इतने सिद्ध हस्त और पुराने सदस्य है कि ज्यादा अच्छा होता कि जिस पार्टी के वह सदस्य है उसी में यह प्रश्न उपस्थिति करते । हमारे सामने जो काम रोको प्रस्ताव आयेगा तो उसमें हम यह नही देखते कि काम रोको प्रस्ताव किस पक्षसे आया है । उसमें तो मैं सदस्यों के नाम देखता हूं । मैं जरूर देखता हूं कि इस देश की जो परिपाटी है उसमें कामरोको प्रस्ताव एक प्रकार का सेंसर मोशन होता है । वह किसी भी पक्ष से आ सकता है, लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्यों को पेश नहीं करना चाहिये । यह बड़ी गलत परिपाटी है जिसकी ओर मैं नेता सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वह अपने दल के लोगोंको थोड़ा इसके संबंध में प्रशिक्षित करें । वह दोनों काम करना चाहते हैं । सत्ता पक्ष में भी रहना चाहते हैं और विरोध पक्ष का भी काम करना चाहते हैं ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मान्यवर, मैं कोई ऐसा काम सदन में नहीं करना चहता जो संसदीय परम्परा के विरुद्ध हो । मैं लंदन गया था । ब्रिटिश पार्लियामेन्ट की प्रोसीडिंग देखा है । मेज पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस हमारी पद्धति का बेसिस है । वहां रोजाना काम रोको प्रस्ताव लाये जाते है । इस संबंध में, ब्रिटिश ला के संबंध में, मैं बता दूं कि मुझे मुख्य मंत्री के आदेश की आवश्यकता नहीं है । मुझे कोई आश्वास्त करदे कि ट्रेजरी बेन्चेज के लोग काम रोको प्रस्ताव नहीं ला सकते, मुझसे ज्ञान जिनकी ज्यादा है उनसे मैं ज्ञान हासिल करना चाहता हूं, काम रोको प्रस्ताव,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सोहनवीर सिह तोमर]

कोई सेंसर मोशन नहीं है। ब्रिटेन में लेबर रूलिंग पार्टी के लोग रोजाना काम रोको प्रस्ताव लाते हैं। इसलिये मैं इस चीज का विरोधी हूं कि कभी भी कामरोको प्रस्ताव नहीं लायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

इंग्लैंड के लोगों का अनुभव उनको बाध्य हो सकता है, लेकिन हम उनसे बाध्य नहीं हैं। हमारे देश की परम्परा है कि सत्तापक्ष के लोग काम रोको प्रस्ताव नहीं रख सकते। हमारा भी इस सदन से कम से कम 32 साल से संबंध है, मैंने नहीं देखा कि सत्ता पक्ष की ओर से, मैं भी संसदीय कार्य मंत्री रहा हूं, इस प्रकार के प्रस्ताव आते हों और यह आप लोगो को मिलकर तय करना है।

श्री श्याम धर मिश्र—

आप घोषित कर चुके हैं कि आप जनता पार्टी के है। इसलिये आप जनता पार्टी की मीटिंग में इस प्रस्ताव को रखें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने जनता पार्टी से त्याग-पत्र नहीं दिया है। माननीय नेता सदन यहां मौजूद हैं, मैंने किसी दल की बैठक में भाग नहीं लिया। मैं अपना मत देना चाहता हूं कि चूंकि उस समय मैंने परिस्थितियां बतायी थीं कि भारतवर्ष में अभी ऐसी परिस्थितियां नहीं हुई हैं कि अध्यक्ष किसी दल का सदस्य न हो क्योंकि आजतक ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ। कर्नाटक में देख ही लिया जो बेचारी सदस्या अध्यक्षा थी उनको नहीं बदला गया। न तो कांग्रेस आई ने और न कम्युनिस्टों ने।

श्री हरी सिह (जिला मेरठ)—

मुझे एक बात यह कहनी है कि आप भी गांधीवादी हैं और श्रीमान् जो भी गांधीवादी हैं। आज तक ऐसा नेता सदन जो इतना ईमानदार और सत्यनिष्ठा रखने वाला हो, नहीं मिला। ऐसे नेता सदन रामनरेश यादव जी हैं . . . .।

श्री अध्यक्ष——

आप बैठें। आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री मान सिह आजाद (जिला लखनऊ)—

माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा में कहना चाहूंगा कि माननीय रामनरेश जी हमारे नेता ह इसमें कोई शक नहीं। जहां सवाल देश और प्रदेश का है आज अशांति मची है। हम जनतांत्रिक पद्धति से आये हैं। मैं इनको नेता मानता हूं। लेकिन हम अपनी बात यहां हाउस में न कहें तो कहां कहें। यह अधिकार हमारा है। मै स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हूं। आज तक हरिजनों या मुसलमानों के लिये क्या कार्य किया जिससे कि शांति हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

श्री सोहनवीर सिह तोमर ने जो प्रस्ताव रखा है उनकी मंशा पूरी हो गयी। इस प्रश्न की अहमियत न्याय मंत्रीजी ने स्वीकार किया और माननीय मुख्य मंत्री जी के भी संज्ञान में आ गयी। इस तरह के प्रस्ताव ग्राह्य नहीं होते क्योंकि हड़ताल आदि पर शकधर और कौल की पुस्तक में निर्णय हैं कि उनको नियमानुसार डील किया जा सकता है। उन पर काम रोको प्रस्ताव ग्राह्य नहीं हो सकता। इसलिये यह अग्राह्य है।

दूसरी कार्य-स्थगन की सूचना श्री दीप नरायन जी की है जो दिनांक 5 मई, 1978 को सायंकाल पांच बजे गोंडा जिले के मनकापुर बाजार में श्री रामकृष्ण द्विवेदी, सदस्य, विधान परिषद्

को गुंडों द्वारा बुरी तरह पीटे जाने के सम्बन्ध में है । यह नियम है कि अगर कोई प्रश्न पहले से विचाराधीन हो तो उसको स्वीकार नहीं किया जाता है । मैंने कल इसको नियम 51 के अन्तर्गत स्वीकार कर लिया है और माननीय गृह मंत्री जी ने इस पर 11 तारीख को वक्तव्य देने के लिये आश्वस्त किया है । इसलिये इसको अस्वीकार किया है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय को मंत्रि-परिषद् से हटाये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

इसके पहले कि आप आइटम 13 पर चलें मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं । इस माननीय सदन के द्वारा हम लोगों को कुछ अधिकार प्राप्त हैं । जो मंत्रि परिषद् है उसकी ज्वाइन्ट रेसपोन्सीबिलिटी है और संविधान में यह स्पष्ट है कि मंत्रि परिषद् इस माननीय सदन को जवाबदेह है । जब कोई असाधारण घटना इस सम्बन्ध में घटे तो इस माननीय सदन के सदस्यों को अधिकार हो जाता है कि उसके बारे में जानकारी हो । नियम 276 जो रखा गया है उसमें है कि अगर मंत्रि परिषद् से कोई मंत्री इस्तीफा दे तो उसको मौका दिया जाय कि अपनी राय से अपने बयान से माननीय सदन को अवगत करा दे, परन्तु कहीं भी, मान्यवर, हमारी प्रक्रिया नियमावली में डिस्मिस होने का प्रावीजन नहीं है । अब जब कोई मंत्री डिस्मिस किया जाता है तो वह तो उससे ज्यादा गम्भीर और असाधारण घटना हो जाती है, उसकी तुलना में जिसमें कि कोई मंत्री अपनी इच्छा से इस्तीफा देता है । तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि वे क्या हालात थे? मान्यवर, इसके लिये इस माननीय सदन का अधिकार हो जाता है कि वे कौन से असाधारण वाकयात हुये कि जिनके आधार पर किसी माननीय मंत्री को डिस्मिस किया गया ? श्रीमन्, यह भी कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि जिस मंत्री को डिस्मिस किया गया हो, माननीय सदस्यों को उसके बारे में अच्छी राय हो ।

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर नहीं । कल भी इस पर बहुत देर तक बहस हो चुकी है ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, इसमें बहस की बात नहीं है । मैं कह रहा था कि हो सकता है कि उस माननीय मंत्री के बारे में इस माननीय सदन की बहुत अच्छी राय हो । जो प्रोसीडिंग कल की देखी है, उसमें आपकी वर्डिन्ग है और आपने कहा था कि नेता सदन अवश्य इसके ऊपर ध्यान दें। आपने अवश्य कहा था । तो वह एक डाइरेक्टिव हो जाता है नेता सदन के लिये कि वह इस संबंध में अवश्य कोई न कोई बयान दें कि क्या असाधारण घटना घटी ।

श्री अध्यक्ष—

जहां तक माननीय सत्य प्रकाश मालवीय जी का प्रश्न है वह मुझसे परसों मिले थे । उन्होंने कहा था कि वह अपना वक्तव्य देंगे । मेरे पास उनका कोई वक्तव्य तो आया नहीं । जैसा कि मैंने कल भी कहा था, अगर आयेगा तो विचार करेंगे । कल मैंने कहा था और उन परिस्थितियों में कहा था जो माननीय सदस्यों के दिमागों में अन्दोलित कर रहा है कि क्यों उनको हटाया गया । त्यागपत्र क्यों नहीं लिया गया ? यह प्रश्न था। कल मैंने कहा था कि यह अवश्य ऐसा प्रश्न है जो अखबारों में भी और बहुत से नेताओं के दिमागों में भी ह ।तो उस पर उनको क्यों हटाया गया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह असाधारण घटना हुयी । तो मैंने इसलिये कहा था कि मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि वह इस संबंध में कि क्यों उनको असाधारण कदम उठाना पड़ा, इस बात को सदन के संज्ञान में लायें । मैंने कल मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध किया था । मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं । यहां इस संबंध में....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, अनुरोध क्यों ? वह आपका डाइरेक्टिव है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, कल ही आपने इस बात को नेता सदन या मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में ला दिया था । आज भी उस बात को उनके संज्ञान में ला रहे हैं । मान्यवर, मैं कुछ ऐसा समझ रहा हूं कि शायद मुख्य मंत्रीजी को सुनायी नहीं पड़ता है आपकी बात या इस माननीय सदन की बात सुनायी नहीं पड़ती है या जिस चीज को जानने के लिये शीर्षस्थ नेतागण भी चिन्तित हैं और प्रेस भी चिन्तित है, उनकी भी बात उनको सुनायी नहीं पड़ती है, तो आखिर इसका निपटारा कैसे होगा ? मान्यवर, मुख्य मंत्रीजी बैठे हुये हैं । कुछ बोल नहीं रहे हैं । गूंगे और बहरे, दोनों हो गये हैं--ऐसा लगता है । मान्यवर, यह कैसे मालूम होगा कि यह कुछ कहेंगे । उसका भी आप निपटारा कर दें ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय मुख्य मंत्री जी, आप इसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे ?

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)---

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 208 के अनुसार यह सदन सक्षम है कि इस सदन की कार्यवाही किस प्रकार चलायें, इसके बारे में नियम बनाये । नियमावली बनाये । मैं, मान्यवर, जानना चाहूंगा कि चाहे विरोधी दल में बैठे हुये सम्मानित सदस्य बता दें अथवा आपकी व्यवस्था हो जाय कि इस नियमावली के किस नियम के अन्तर्गत किसी भी मंत्री को वक्तव्य देने के लिये बाध्य किया जा सकता है ?

*श्री शत्रुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्रीजी की जो स्थिति है उस पर सहानुभूति ही व्यक्त करता हूं क्योंकि कल ही आपने ही नहीं अपेक्षा की, इस सदन ने ही अपेक्षा नहीं की बल्कि जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सूबे के अध्यक्ष ने भी अपेक्षा की कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को बतायें कि आखिर सत्य प्रकाश मालवीय जी को क्यों हटाया गया । अभी तक इसकी जानकारी न सूबे को हुई और न सदन के अन्दर हो पायी है। कल यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया कार्य-स्थगन के जरिये । चूंकि विपक्ष के द्वारा उठाया गया था इसलिये हम लोगों ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, आपने कल की कार्यवाही घटाकर बताया कि आप अपेक्षा करते हैं कि मुख्य मंत्री जी को इस पर बयान देना चाहिये और मान्यवर, आप ने यह भी कल व्यवस्था की कि श्री सत्य प्रकाश मालवीय अगर बयान देना चाहेंगे तो मैं उन को भी बयान देने की इजाजत माननीय सदन के अन्दर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष---

यह नहीं कहा । मैंने तो कहा कि विचार करूंगा । आप कार्यवाही देख लें । उनकी प्रार्थना हो तो अवश्य विचार करूंगा, यह कहा ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश---

जहां तक मै संसदीय परम्पराओं को समझ पाया हूं, आप अपेक्षा रखते है तो सारा सदन अपेक्षा रखता हैं । आप किसी बात की अपेक्षा रखते है तो पूरा सदन इस बात की अपेक्षा रखता है । कल जब आप ने व्यवस्था दी की आप अपेक्षा रखते है तो माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात पर बयान देना चाहिये कि उन्होंने श्री सत्य प्रकाश मालवीय को क्यों हटाया । मान्यवर, यह सदन की अपेक्षा भी है और आपकी अपेक्षा अप्रत्यक्ष रुप से एक व्यवस्था बन जाती

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है। आप की अपेक्षा के विरोध में न हम वाक आउट कर सकते हैं, न बयान कर सकते है न कोई ऐसा कार्य कर सकते है। तो अगर आप की अपेक्षा के विरोध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने तय कर लिया है कि वह बयान नहीं देंगे तो इस बात की जानकारी सदन के अन्दर हो जानी चाहिये कि क्या अपेक्षा के विरोध में माननीय मुख्य मंत्री जी अपना बयान नहीं देंगे। जहां तक मेरी जानकारी है आप ने कल यह भी व्यवस्था दी थी कि आज या कल के अन्दर जब वह चाहें बयान दे दें। तो मै चाहूंगा कि आप एक तारीख तय कर दें। या तो आज दिलवादें या कल दिलवा दें जब चाहे तब बयान दे दें, यह तो उनकी मर्जी पर है।

जो केशरी नाथ त्रिपाठी जी ने, जो एक विद्वान मंत्री है, यह प्रश्न रखा है कि किस नियम के तहत किसी मंत्री को बाध्य किया जा सकता है कि वह बयान दे। मै आप के जरिये विद्वान मंत्री जी से इतना ही कहना चाहता हूं कि वहां पर प्रश्न नियम का नहीं उठता है बल्कि एक व्यवस्था का प्रश्न हैं जिस में "अपक्षा" शामिल है जो माननीय अध्यक्ष ने कल की। कल केशरी नाथ त्रिपाठी जी ने भी कहा था कि आप इस संबंध में दोनों व्यक्तियों को कक्ष में बुला लें। यह कक्ष का सवाल नहीं है। मेरी निजी राय है कि श्री सत्य प्रकाश मालवीय को अलोकतांत्रिक तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से और संसदीय परम्पराओं पर कुठाराघात करते हुये हटाया गया। इस बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी को स्पष्ट बयान देना चाहिये।

(श्री श्याम धर मिश्र के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

कल इस पर डेढ़ घंटे विवाद हो चुका हैं। आप एक बात सुन तो लीजिए। माननीय केशरी नाथ त्रिपाठी जी ने (व्यवधान) आप लोग शांत रहें (व्यवधान) एक प्रश्न संवैधानिक मेरे सामने उपस्थित किया.... उस पर आपकी बात सुनूगां (व्यवधान) कोई व्यवस्था नहीं दे रहा हूं (व्यवधान) आप इतने अधीर क्यों होते है? श्री त्रिपाठी ने यह मेरे सामने प्रश्न उपस्थित किया है कि क्या संविधान के आर्टीकल 208 में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार जो नियमावली हमारी है उसके द्वारा अध्यक्ष इस पीठ से किसी मंत्री को कोई बक्तव्य देने के लिये बाध्य कर सकते है या नहीं कर सकते हैं। यह उनका प्रश्न था। तो मैंने जरूर अपेक्षा की। तो अब आप इस संबंध में मुझे बतलायें कि क्या बाध्य कर सकते हैं?

श्री श्यामधर मिश्र---

श्रीमन्, मैं कवल इसी संबंध में बात करूंगा।

त्रिपाठी जी ने बड़ा उचित प्रश्न उठाया। वह एक चीज भूल गये। शायद नियमावली उन्होंने पूरी नहीं पढ़ी। नियम 313 देख लीजिये जिसमें अवशिष्ट शक्तियां आपको प्राप्त हैं। वह इस प्रकार "ऐसे समस्त प्रश्नों" का जिनकी इन नियमों में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गयी है और इन नियमों के सविस्तार कार्यान्वित करने से संबद्ध समस्त प्रश्नों का ऐसे ढंग से विनियमन किया जायगा, जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निदेश करें।" तो इसके माने यह हुए कि जो प्रश्न इसमें नहीं हैं और उसके सम्बन्ध में आपकी अपेक्षा हमारे लिये निदेश होगी। आपन कल अपेक्षा की और अपेक्षा के साथ "अवश्य" शब्द लगा दिया उसको हम निदेश मानते हैं और जब निदेश मानते है तो वह धारा 313 क अन्तर्गत आता है, जो नियमावली के अन्तर्गत हैं संवैधानिक हैं और नियम के अनुकूल है। इसके अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री का वक्तव्य आना ही चाहिये। उन पर यह नहीं छोड़ा जा सकता कि वह वक्तव्य दें या न दें।

*श्री राजमंगल पाण्डेय---

माननीय अध्यक्ष महोदय, केशरी नाथ जी ने जो कुछ कहा उससे काफी हद तक मैं सहमत हूं। केवल प्रश्न एक है कि नियमों के अन्दर जहां तक कि पद त्याग का प्रश्न है वह तो है, लेकिन पद

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राज मंगल पाण्डेय]—

मुक्त का सवाल नियमों में नहीं है। अब प्रश्न एक है कि जहां पर रूल साइलेंट है वहां पर कौन-सी प्रक्रिया अपनायी जायगी ? यह हम मान कर चलते है कि नियमों के बनाने वालों ने कल्पना नहीं की थी कि प्रदेश में ऐसा भी कोई मुख्य मंत्री आयेगा जो किसी मंत्री से बिना पद त्याग कराये उसे सीधे राइट आउट डिसमिस कर देगा। अगर सोचा होता तो इसकी भी व्यवस्था जरूर नियमों में होती। लेकिन जब यह व्यवस्था नहीं हैं तो प्रश्न उठता है आखिर हो क्या और यह किससे गवर्न होगी ? जहां कोई चीज कानून में नहीं दी गयी है तो दो चीजें हैं। अगर इस प्रक्रिया के अलावा कोई दूसरा कानून है तो जनरल क्लाजेज ऐक्ट से गवर्न होता। लेकिन चूंकि जनरल क्लाजेज ऐक्ट इस प्रक्रिया से गवर्न नहीं होते तो सार्वभौम सत्ता इस सदन की है। अगर यह सारा सदन चिन्तित है प्रदेश की जनता चिन्तित है आखिर कौन कारण हैं जिनकी वजह से एक वरिष्ठतम सहयोगी को मुख्य मंत्री जी ने हटा दिया ? मै नहीं कहता कि उनका हटाना गलत था या उनको हटाने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन कारणों पर प्रकाश डालना आवश्यक है जिससे इस प्रदेश की जनता तथा विधान मंडल जान ले। मैं कोई छोटी बात नहीं कहता लेकिन बहुत से मंत्री आशंकित हैं किस वजह से मुख्यमंत्री जी ने उनको हटाया। क्या उनकी नीतियों से जो पार्टी की नहीं है, उनकी व्यक्तिगत नीति है, उससे वह सहमत नहीं थे ? अगर कोई उनकी व्यक्तिगत नीति से अपने को संबद्ध न कर सके तो उसे यह आशंका बनी रहेगी कि कल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसलिये उनके हक में जनता पार्टी, ट्रेजरी बेंचेज पर जो बैठे हैं तथा 10 करोड़ की जनता के हित में मुख्य मंत्री जी से कम से कम यह तो अपेक्षा की ही जा सकती है कि उनके पास पर्याप्त कारण होंगे किसी मंत्री को हटाने के लिये। हमें उस पर विवाद नहीं करना है लेकिन अगर कोई कारण नहीं है या आतंकित करके शक्ति का प्रदर्शन करके उन लोगों पर जो उनकी नीतियों पर विश्वास नहीं करते हैं उनकी कार्य प्रणाली में विश्वास नहीं करते, उनकी योग्यता तथा कर्मठता में विश्वास नहीं करते तो उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हमने जिन लोगों को डिसमिस किया है उनके पर्याप्त कारण थे। यह उनके हक में है, सदन के हक में है और जनता के हक में है कि बयान दें।

मान्यवर, नियमों का हवाला दिया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि नियमों को बदलने की ताकत भी इस विधान मंडल दल को है। इसी पर राय हो जाय कि क्या नियम नहीं है। दोनों तरफ के लोग बैठे हुए हैं और वे चाहते हैं कि चर्चा हो। इसी नियम के बारे में जनता की राय जान ली जाय। यह कोई पार्टी की बात नहीं है। मुख्य मंत्री जी से कोई हमारा असंतोष नहीं है और न हम कोई कार्यप्रणाली की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन सदन जानना चाहता है और यह उन्हीं के हित में है, उनकी प्रतिष्ठा के हित में है, जनता और इस सदन की प्रतिष्ठा के हित में है। इसलिये मैं आशा करूंगा, अनुरोध करूंगा कि कम से कम सबके हित में एक स्टेटमेंट उनके स्वत: देना चाहिये, आप डाइरेक्शन न भी दें तब भी उन्हें अपने हित में देना चाहिए ताकि जो आशंकित हैं, आतंकित हैं..... (व्यवधान)। इसलिए नियम 313 दिया गया है कि जहां नियम नहीं है वहां पर सारा अधिकार आपको है। आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। आपने अपने अधिकार का प्रयोग किया, लेकिन दुख है कि आपने उसमें "अपेक्षा" शब्द का इस्तेमाल किया। मैं आज भी कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष जो कि सदन के सर्वोपरि हैं उसका अपेक्षा करना ही उसका आदेश है। अध्यक्ष का आदेश सदन का आदेश है। इस आदेश का पालन होना चाहिये, मुख्य मंत्री को बयान देना चाहिये और प्रदेश की जनता को उन कारणों से अवगत करना चाहिये जिनकी वजह से इतनी बड़ी चीज हो गयी।

*डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला कानपुर)—

मान्यवर, नियम 314 भी आप देख लें। मेरा कहना है कि त्रिपाठी जी बड़े योग्य हैं। अध्यक्ष ने विनिश्चय किया कि वे बयान देंगे और विचार करेंगे कि मालवीय जी को भी मौका दिया जाय। आपने अध्यक्ष की अपेक्षा की अवहेलना की....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

नियम 314 का कौन सा उप नियम आप बता रहे हैं ?

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

313 के बाद 314 देखें ।

श्री अध्यक्ष—

314 में कौन सा अधिकार है ?

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

अध्यक्ष ने एक विनिश्चय किया और उनकी अपेक्षा को उपेक्षा की गई ।

श्री अध्यक्ष—

314 में तो कार्यक्रम को सापेक्षता का वर्णन है कि कौन सा कार्यक्रम कैसे रखा जायेगा ।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

314 में यह है कि आपने एक विनिश्चय किया और अपेक्षा की । उस अपेक्षा की उपेक्षा की गई ।

श्री अध्यक्ष—

उसमें है कि अध्यक्ष के विनिश्चय पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती ।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश—"

आपने कल निश्चय किया और मुख्य मंत्री से अपेक्षा की कि वे बयान दें । तो आपकी इच्छा की उपेक्षा हुई । यह पूरे प्रदेश के जन मानस की अपेक्षाओं की उपेक्षा हुई । 314 के अन्तर्गत मैं त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा कि वे आपकी विनिश्चय की उपेक्षा न करें और आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से कहूंगा कि वे समय निश्चित कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं इस पर कोई विवाद की अनुमति नहीं दूंगा । मेरे सामने प्रश्न यह है कि त्रिपाठी जी ने एक प्रश्न उपस्थित किया कि क्या मैं इस पीठ से मंत्रिगण को वक्तव्य देने के लिये बाध्य कर सकता हूं । कल जो मैंने शब्द "अपेक्षा" प्रयोग किया तो ऐसा नहीं है कि वह मैंने असावधानी से इस्तेमाल किया हो । संविधान के आर्टिकिल 208 के अन्तर्गत नियमावलियों को मैंने अपने संज्ञान में रखते हुये "अपेक्षा" शब्द का इस्तेमाल किया । आशा भी की । मैंने जब अपेक्षा शब्द इस्तेमाल किया जैसा माननीय राजमंगल पाण्डेय जी ने कहा कि नियम जब बनें उसमें कभी इस बात की परिकल्पना नहीं की गयी कि कोई व्यक्ति इस प्रकार बरखास्त भी किया जायगा । (मेजे थपथपाई गईं) जहां तक मुझे याद है इस प्रदेश के संसदीय इतिहास में कोई व्यक्ति बरखास्त नहीं किया गया (मेंजे थपथपाई गईं) कृपया गंभीरता से सुने । जब मैं मंत्री था मेरे ही सामने दो घटनायें हुई । एक श्री अलगू राय शास्त्री की और एक श्री चतुर्भुज शर्मा की । जब मुख्य मत्री जी ने उनसे त्याग-पत्र मांगा और जब उन्होंने त्यागपत्र देने में आपत्ति की तो राज्यपाल से उन्होंने उनको बरखास्त करने के लिये कहा । इसी बीच में अन्य लोगों ने मिल करके श्री अलगूराय शास्त्री और चतुर्भुज शर्मा जी को समझाया कि त्याग पत्र मांगने का मुख्य मंत्री को अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति मुख्य मंत्री की संस्तुति पर करते हैं और इसलिये यह भी मुख्य मंत्री का अधिकार है कि वह जब चाहे किसी भी सदस्य से अपने मंत्रि-परिषद् से उनका त्याग-पत्र ले लें । लेकिन यह हमारे प्रदेश में मालवीय जी की

[श्री अध्यक्ष]

बरखास्तगी अद्वितीय है, असाधारण घटना है। इसलिये मैं समझता हूं कि और यह प्रश्न कोई गोपनीय नहीं रह गया। इसकी चर्चा अखबारों में है इस पर अध्यक्ष, जनता पार्टी ने टिप्पणी की, इस पर प्रदेश के जनता पार्टी के अध्यक्ष ने भी अपनी टिप्पणी की। वक्तव्य क्या हो क्या न हो यह प्रश्न नहीं है किन्तु अगर किसी व्यक्ति को बरखास्त करते हैं तो यह साधारण न्याय की मांग होती है कि वह व्यक्ति इस बात की आशा कर सकता है कि आखिर यह दंड उसको क्यों दिया गया ? मंत्री का बनाना मुख्य मंत्री के विवेक पर है लेकिन नियम है कि जब किसी को मन्त्रिपरिषद् में आमंत्रित करते हैं तो उसकी स्वीकृति लेते हैं, यह तो ठीक ऐसा प्रश्न है कि विवाह स्वेच्छा से होता है लेकिन जब तलाक का प्रश्न आता है तो कोर्ट को कारण देने की आवश्यकता होती है। उनका अविश्वास हो सकता है। मुख्यमंत्री जी का अधिकार है अगर वह त्यागपत्र मांग लेते तो कोई प्रश्न जानने का उपस्थित नहीं होता। (व्यवधान) ठीक है तलाक में कारण देने होते हैं और यह प्राकृतिक न्याय है। मालवीय जी ने स्वयं मुझसे कहा कि जनता में इससे मेरे बारे में भ्रांतियां हो सकती हैं। मेरे आचरण और मेरी सत्यनिष्ठा के बारे में भ्रांतियां हो सकती हैं। जिस रीति से यह हुआ इससे ऐसा हो सकता है ऐसे कार्य भी होते हैं जब राज्य की सुरक्षा को खतरा होगा कोई बड़ी घटना हो जिसमें ऐसा किया जा सकता है। अगर डिसमिसल होता है तो मैं किसी नियम के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी को बाध्य नहीं कर सकता वक्तव्य देने के लिये, लेकिन सलाह अवश्य दे सकता हूं कि उनको इस सदन को अवश्य ही उन कारणों से अवगत कराना चाहिये जिन पर उनको यह असाधारण कदम उठाना पड़ा। मेरी केवल यही सलाह है। इसलिये मैंने केवल अपेक्षा शब्द का इस्तेमाल किया था। मैं बाध्य नहीं कर सकता। इसे मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेक पर छोड़ता हूं।

(व्यवधान)

श्री राजमंगल पाण्डेय---

फिर एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री ऊदल---

श्रीमन्, आपने कल भी अपेक्षा की थी, आज भी अपेक्षा की, पहले भी अपेक्षा की थी। अभी आपने सलाह भी दी। संसदीय मान्यताओं की बात भी आपन कह दी। माननीय मालवीय जी के बारे में जैसा कि उन्होंने आपसे जिक्र किया था उसकी भी चर्चा कर दी कि उन्होंने कहा कि उनके बारे में जनता में किसी तरह का भ्रम हो सकता है। उसक बावजूद माननीय मुख्य मंत्री, सदन के नेता जिसके बारे में आप उनको बाध्य नहीं कर सकते, उस पर वह चुप बैठे हैं। यह नहीं बता रहे हैं कि आज वक्तव्य देंगे या कल देंगे या परसों देंगे या नहीं देंगे। फिर मैं उसी बात को दौहरा रहा हूं। लगता ऐसा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को सुनायी नहीं दे रहा है। फिर में कह रहा हूं कि उनके कान बहरे हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष---

ऐसा है गांधी ने कहा था--मत सुनो, मत देखो, मत कहो। कभी-कभी ऐसा भी होना चाहियें।

श्री ऊदल---

आपके निर्देश की अवहेलना हो रही है।

अध्यक्ष---

अवहेलना नहीं हो रही है।

श्री ऊदल---

अवहेलना हो रही है और इस माननीय सदन का अपमान माननीय मुख्य मंत्री जी कर रहे हैं। इसके विरोध में मैं श्रीमन्, सदन का त्याग कर रहा हूं।

(श्री ऊदल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

*मुख्य मंत्री (श्री रामनरेश यादव)---

मान्यवर, जिस प्रकार से इस प्रश्न को उठाया जा रहा है और विशेष रूप से हमा कुछ सम्मानित सदस्यों जो विरोधी पक्ष की भूमिका अदा कर रहे है उन्हें अच्छी तरह से सारी बातों की जानकारी है। संविधान के अन्तर्गत जो प्राविधान है ,उसमें स्पष्ट है कि राज्यपाल के प्लेलजर पर ही, संतोष पर ही कोई मंत्री बना रह सकता है। इसलिये उस संदर्भ में ही पद मुक्त किया गया। जब मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को जब आपसे मै अविश्वास का भाव रहता हो, तो उस समय उसे मंत्रिमंडल में रहने का कोई औचित्य नहीं। इसी आधार पर राज्यपाल महोदय ने पदमुक्त किया है।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

अब इस पर बहस नहीं हो सकती।

श्री रियासत हुसैन---

माननीय मुख्य मंत्री जी न कोई संतोषजनक उत्तर उस सारे प्रश्न का जो कल से चल रहा है नहीं दिया और माननीय सदन की सारी इच्छाओं को देखते हुये उम्मीद करते थे कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे, उस सम्बन्ध में उन्होंने जो कुछ कहा है वह असंतोषजनक है और इस लिए हम सदन का त्याग करते हैं।

(श्री रियासत हुसेन अपने साथियों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राजमंगल पांण्डेय---

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(श्री राममंगल पांडेय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री देव बहादुर सिंह---

मै जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि राज्यपाल महोदय ने पद मुक्त किया माननीय मालवीय जी को। माननीय राज्यपाल को उन्होंने परामर्श दिया था या नहीं और अगर परामर्श दिया था मुक्त करने के लिये तो क्या शिकायत थी ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय मुख्य मंत्री को परामर्श देने का अधिकार है। आप उनको बाध्य नहीं कर सकते यह बताने के लिये कि आपने क्या परामर्श दिया।

श्री देव बहादुर सिंह---

बाध्य तो नहीं कर सकते। त्रिपाठी जी के दो काम हैं। एक तो मंत्रि परिषद् में हैं और दूसरे मुख्यमंत्री जी के वकील हैं। जब कोई आवश्यकता होती है वह कोई रूलिंग कोट करते हैं। आज भी किया और कल भी किया। या तो मुख्य मंत्री जी से अकेले में परामर्श करें। 15 मिनट के लिये हम लोग सदन का त्याग करते है।

(श्री देव बहादुर सिंह अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर,बहुत ही स्पष्ट और थोड़े शब्दों में सारे सदन को और प्रदेश की जनता को जो कुछ कहना था उसे मुख्य मंत्री जी ने कह दिया। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि मतभेद तो रहता ही है। उन्होंने कहा कि अविश्वास है। आपस में विश्वास नहीं हैं। जब अविश्वास है तो मुख्य मंत्री को यह अधिकार है कि वह सलाह दे और राज्यपाल महोदय को यह अधिकार है कि वह किसी मंत्री को हटा सकते है और इस बयान के बाद किसी भी माननीय सदस्य को यहां से इस सदन से त्याग करना केवल संसदीय परम्परा की जानकारी की कमी ही नहीं बल्कि उनका यह व्यवहार अनुचित है। संविधान की जो धारायें है उनमें जो अधिकार दिये गये हैं, उसका विरोध एवं उल्लंघन करने का उनका इरादा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शान्त रहिए। राजमंगल पान्डेय को बुलाया है।

श्री राज मंगल पाण्डेय-

मान्यवर, व्यवस्था में यह चाहता हूं कि जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है जिसमें उन्होंने नियमों की बात कही है.....

(व्यवधान--सत्ता पक्ष की ओर से)

आप लोगों के ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है।

(व्यवधान व शोर)

आप मजबूर करिए बयान दिलवायें। मंत्री किसी का निजी नौकर नहीं हैं। इस सदन को नहीं चलने देंगे। (शोर)

श्री श्याम धर मिश्र--

इन लोगों को निकालिए।

श्री अध्यक्ष---

यह विवाद समाप्त हुआ। आप लोग शांति रखिए। उन्होंने कह दिया कि मेरा विश्वास नहीं हैं।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

कोई मंत्री किसी के निजी नौकर नहीं हैं।

श्री राम नरेश यादव--

मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह सदन का कार्य ठीक से चल सके, इस बात को ध्यान में रखकर शान्ति बनाये रखें।

श्री अध्यक्ष--

इस पर अब कोई विवाद नहीं होगा। आप बैठिए। अब यह विषय समाप्त हुआ।

श्री उदल--

क्या आप मुख्य मंत्री के निर्देश पर चलेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

चूंकि ये बिना अनुमति के बोल रहे हैं अतः यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

1978-79 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 9-- भूमि और भवन कर, अनुदान संख्या 34--मल निकासी व्यवस्था तथा जल सम्पूर्ति, अनुदान संख्या 67--सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान, अनुदान संख्या 70--स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण, अनुदान संख्या 75--सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92--ऋण और अग्रिम स्वायत शासन तथा अनुदान संख्या 93--ऋण और अग्रिम-सहायता एवं पुनर्वासन

श्री राज मंगल पाण्डेय--

ऐसा मालूम होता है कि आक्षेप किया गया है। कोई मंत्री, मुख्य मंत्री का निजी नौकर नहीं है। जब चाहा हटा दिया (शोर) इसलिए मजबूर होकर हम लोग सदन का त्याग कर रहे है ।

(श्री राज मंगल पाण्डेय, जनता पार्टी के कुछ सदस्य, कांग्रेस (ई) के सदस्य नारे लगाते हुए सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

मान्यवर, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी एक कारण नहीं बता सकते हैं। इस वजह से मैं भी सदन का त्याग करता हूं।

(श्री श्यामदत्त पालीवाल सदन त्याग कर चले गये ।)

1978-79 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 9-भूमि और भवन कर, अनुदान संख्या 34-मलनिकासी व्यवस्था तथा जल सम्पूर्ति, अनुदान संख्या, 36-नगर विकास, अनुदान संख्या 67-सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान, अनुदान संख्या 70-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण, अनुदान संख्या 75-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92--ऋण और अग्रिम-स्वायत्त शासन तथा अनुदान संख्या 93--ऋण और अग्रिम-सहायता एवं पुनर्वासन

***स्वायत्त शासन मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)--**

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 9-भूमि और भवन-कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 34--मल निकासी व्यवस्था तथा जल-सम्पूर्ति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,46,45,600 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाला वर्ष में अनुदान संख्या 36--नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 35,81,300 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

नोट:-- [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।]

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गणेश दत्त बाजपेयी]—

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 67—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,95,52,400 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,34,91,600 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 75—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होन वाल परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक की धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,01,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाल वर्ष में अनुदान संख्या 92—ऋण और अग्रिम—स्वायत्त शासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा धनराशि के अतिरिक्त 12,81,33,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, अन्ततः फिर मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 93—ऋण और अग्रिम—सहायता एवं पुर्नवासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 39,17,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, इस संबंध में मैं माननीय सदन के आगे 5 मिनट के अन्दर कुछ घोषणाएं करूंगा, फिर उसके बाद जहां तक आवास-विकास का संबंध हैं मेरे माननीय मित्र भगौती सिंह और जल-संपूर्ति का जहां तक ताल्लुक हैं, अग्रवाल साहब . . . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप ही उसका उत्तर देंगे । बीच में कोई चाहे तो वह लोग अन्य सदस्यों के समान बहस में भाग ले सकते हैं। लेकिन उत्तर आपको ही देना होगा।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

ठीक है, राइट आफ रिप्लाई मैं ही एक्सरसाइज करूंगा ।

स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से मैं माननीय सदन के समक्ष यह स्पष्ट निवेदन कर देना चाहता हूं कि 5-6 बातें उसमें है। पहली यह है कि पूरे प्रदेश के कवाल टाउन्स में कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, आगरा और लखनऊ में—एक साल के अन्दर प्रत्येक मकान में फ्लश लेट्रिन लग जायगा । जो ड्राई लेट्रीन हैं—शुष्क वाले पाखाने—उनके बजाय इन पांचों शहरों में प्रत्येक घर में हम फ्लश लेट्रीन का प्रबन्ध करेंगे ।

दूसरी बात यह है कि कोई भी हमारा मेहतर भाई, हमारी बहिन, हमारी मां–जो मंगी है, वह किसी दूसरे का नाइट स्वाइल सर पर या हाथ पर लेकर नहीं चलेंगे और जितनी ये 614 हमारी लोकल बाडीज हैं, सब जगह हम एक साल के अन्दर उनको व्हील बेरोज प्रोवाइड करेंगे ताकि कोई मैले को उठाकर न चले ।

तीसरी घोषणा मुझे यह करनी है कि हमारी जो 383 टाउन एरियाज हैं और 49 नोटीफाइड एरियाज हैं इन सभी में हम सरपेश ड्रेनेज अर्थात् ईंट वाली नालियों की व्यवस्था इसी छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत करेंगे ।

चौथी घोषणा मुझे यह करनी है कि हम बड़ी उदारता के साथ गांवों को नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया जैसी भी परिस्थिति होगी उसके अनुसार उसको घोषित करेंगे ।

पांचवीं घोषणा मुझे यह करनी है कि केवल 3 साल के अन्दर हम 614 लोकल बाडीज में अर्थात् सभी जगह पेयजल की व्यवस्था पूरी करा देंगे ।

इसके अलावा मुझे कुछ निवेदन लोकल बाडीज के 90 हजार कर्मचारियों के बारे में भी करनी है । अब इनकैशमेन्ट आफ लीव अर्थात नकदीकरण की सुविधा भी उनको अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति मिला करेगी । हम यह इसी साल से देंगे, लेकिन धनाभाव के कारण पहले साल में हम 25 प्रतिशत से अधिक लोगों को यह सुविधा प्रदान नहीं कर सकेंगे ।

अभी तक ग्रुप इश्योरेन्स की स्कीम दूसरे राज्य के कर्मचारियों के लिये तो थी किन्तु इन कर्मचारियों के लिये सभी के लिये नहीं थी । 90 हजार में से केवल 54 हजार पर ही लागू थी । अब यह सुविधा लोकल बाडीज के प्रत्येक कर्मचारी को दी जायेगी ।

दूसरे विभाग के कर्मचारियों के मुकाबले में स्वायत्त शासन विभाग के कर्मचारियों के पे-स्केल्स कुछ कम हैं । उनको समान करने की बात पर शासन सक्रिय रूप से विचार कर रहा है ।

पहाड़ों की जो 18 लोकल बाडीज है उनके कर्मचारियों एवं अधिकारियों को बार्डर एलाउन्स भी हम दे चुके हैं । इसी तरह से मान्यवर, जो इनकी 2 श्रेणी हैं––एक सेन्ट्रलाईज्ड एम्पलाईज दूसरी नानसेन्ट्रलाईज्ड एम्प्लाईज, उनके बारे में भी बताना चाहता हूं कि अब नान-सेन्ट्रलाईज्ड एम्प्लाईज को पेन्शन की सुविधा देने पर हम विचार कर रहे हैं तथा सेन्ट्रलाईज कर्मचारियों को जो दवा-दारू की सुविधायें प्राप्त हैं उनको भी इन्हें देने पर विचार कर रहे हैं और हम ऐसा मानते हैं यह सुविधायें इन लोगों को मिलनी चाहिये । अपने कर्मचारियों के बारे में बस मुझे इतना ही कहना है । इतना कहने के बाद मैं यह आशा करता हूं कि स्वायत्त शासन के कर्मचारी अब अधिक कर्त्तव्यनिष्ठा से अपना कार्य करेंगे । मान्यवर, इसके बाद मैं माननीय सदस्यों से जो बहुमूल्य सम्मति होगी उसको सुनना चाहूंगा और फिर जो मुझे कहना होगा वह अंत में कहूंगा ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)––

मान्यवर, यह सदन इस समय केवल 90 व्यक्तियों के बल पर चल रहा है और संसदीय परम्पराओं को तोड़ कर अलोकतांत्रिक और असम्वैधानिक तरीके से एक वरिष्ठ मंत्री को मुख्य मंत्री ने बरखास्त किया, इसलिये नैतिक आधार भी इनको बैठने का नहीं है । आज जो

[श्री गुलाब सेहरा]

रिजल्ट आये हैं उसमें एक पश्चिम यू0 पी0 का, एक मध्य यू0 पी0 का और एक पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। तो जब यह अलोकतांत्रिक कार्य हो रहा है तो मैं समझता हूं कि इसमें कटौती का प्रस्ताव देना भी लोकतंत्र के पक्ष में नहीं होगा।

(श्री गुलाब सेहरा सदन से उठकर चले गये।)

*स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश)--

मान्यवर, स्वायत्त शासन विभाग में अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य जल सम्पूर्ति का है और केन्द्रीय सरकार ने पिछले वर्ष इसको सबसे अधिक महत्व प्रदान किया है और इसलिये उत्तर प्रदेश में 1976-77 में इस कार्य की तरफ विशेष ध्यान देकर जल निगम की स्थापना किया था। स्थापना से लेकर पिछले वर्ष तक इस संबंध में काफी कार्य किया गया है। पिछले वर्ष बताया गया था कि 1479 गांव में पेयजल की व्यवस्था कराने का लक्ष्य अपने सामने रखा था। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह 1479 गांव में पेयजल का संकल्प लिया था तो उसमें पिछले वर्ष काफी काम पूरा किया जा चुका है और आशा है कि यह लक्ष्य अतिशीघ्र पूरा हो जायगा। इसके अतिरिक्त जो चालू वर्ष 1978-79 है इसमें पेयजल योजना का विस्तार करने के लिये 1540 गांवों का लक्ष्य रखा है और इसको इस वर्ष पूरा करने के लिये 9.15 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी और फिर इन गांवों में कार्य शुरू करेंगे। भारत सरकार ने पेयजल योजना के और अधिक विस्तार के लिये और शीघ्र पूरा करने के लिये एक कार्यक्रम चलाया जिसका नाम 'त्वरित कार्यक्रम' रखा गया कि शीघ्रातिशीघ्र ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था करें। इसके लिये उन्होंने शतप्रतिशत अनुदान दिया। किसी (इस समय 2 बजकर 36 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरेन्द्रपति यादव पीठासीन हुए।) भी ग्राम सभा को जिसमें यह कार्यक्रम लागू होगा वहां किसी प्रकार की ऋण की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि शासन की तरफ से सम्पूर्ण धनराशि दी जायेगी और वहां की पेयजल योजना बनाकर लोगों को पानी दिया जायेगा। भारत सरकार ने इसमें पिछले वर्ष में 40 करोड़ रुपये का प्राविधान किया था। हमारे उत्तर प्रदेश को 3.528 करोड़ रुपया ही उपलब्ध कराया, हमारा यद्यपि विस्तार तो अधिक है इसलिये हमें अधिक धन की आवश्यकता थी, लेकिन इतना ही मिल पाया। मान्यवर, हमने 2600 गांवों को त्वरित कार्यक्रम में लेकर इस बात का प्रयत्न किया है कि शीघ्र ही उसमें पेयजल की व्यवस्था करा दें। इस प्रकार इन गांवों के लिये त्वरित कार्यक्रम स्वीकृत किया और कार्यक्रम को पूरा करने के लिये हमको 34.82 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से आप देखें कि पेयजल योजना के विस्तार के लिये अभी तक शहरों में और कस्बों में यह योजना सीमित थी लेकिन अब पिछले वर्ष से गांव-गांव में वाटर पाइप लाइन की सप्लाई के लिये सरकार संकल्पबद्ध है और दिनों दिन इसका विस्तार होता जा रहा है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कीम तैयार करा रहे हैं और जो चालू वर्ष है इसमें भारत सरकार से अधिक धन प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की जो पेयजल योजनायें हैं उनमें भारत सरकार और प्रदेश सरकार ही नहीं डच सरकार भी हमारी सहायता के लिये आयी है। पिछले वर्ष उन्होंने एक कार्यक्रम दिया था जिसकी रूपरेखा तैयार हो रही है इलाहाबाद, वाराणसी और रायबरेली के लिए 9·65 करोड़ की पेयजल योजना के लिये सहायता देने का वायदा किया है। इस वर्ष के अन्तर्गत यह धन प्राप्त हो जायगा।

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा हमारा ध्यान नगर में पेयजल की योजनाओं की ओर भी गया है। यहां जल की आवश्यकता इसलिये भी है कि केवल पीने के लिए ही पानी नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहिये वरन् ऐसी लैट्रिन्स लग गयी हैं जिनमें पानी की आवश्यकता होती है। जब हमने कार्य भार संभाला तब 200 निकायों में सुविधा थी। पिछले वर्ष हमने 20 जगह और यह सुविधा उपलब्ध करा दी। इनके नाम भी मैं जानकारी के लिये बताना चाहूंगा। ये स्थान हैं––सहारनपुर में रामपुर मनिहारन, बरेली में आंवला, बदायूं में बिलसी, कानपुर में झींझक और अकबरपुर, जौनपुर में मछलीशहर और मड़ियांव, गाजीपुर में जामनियां, बलिया में रसड़ा, गोरखपुर में गुंडेराबाजार, वाराणसी में खमरिया और खरखोदा, मेरठ में निवाड़ी, मुजफ्फरनगर में सिसाली और शाहपुर, अलीगढ़ में हरदुआगंज, उन्नाव में औरास, काशीपुर भगवन्तनगर और नवाबगंज। इस प्रकार से प्रदेश के 20 ऐसे स्थानों पर जहां पेयजल की व्यवस्था नहीं थी पिछले वर्ष में यह व्यवस्था पूरी की। इस वर्ष 78–79 में भी व्यवस्था कर रहे हैं और 6 नगर अपने हाथ में लिये हैं। 8 ऐसे नगर लिये हैं जहां जनसंख्या बढ़ गयी है और पुनर्गठन की आवश्यकता है। ये स्थान हैं तिलहर, खैराबाद, महमूदाबाद, सहारनपुर ब्लाक बिजनौर, खूपुरा नगर बुलन्दशहर, केमरी जहां पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का इस वर्ष प्रयास है। इन कार्यों को पूरा करने के लिये 10294 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। इसके अतिरिक्त लगभग 5.40 करोड़ रुपये जीवन बीमा निगम से प्राप्त करने का प्रयास किया जायगा। इस प्रकार ग्रामीणों की ओर ही नहीं छोटे नगरों की ओर जिनकी आबादी 50-60 हजार के बीच में है, वहां भी प्रयास कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त 60 करोड़ रुपये मूल्य की आई0 डी0 ए0 योजनाओं के अन्तर्गत 5 महानगरियों की बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पेयजल योजनाओं को सुदृढ़ बनाये जाने का प्रयास किया जा रहा है। इन महानगरियों की समस्या बहुत ज्यादा है। वहां पर आबादी बढ़ गयी है और विस्तार भी शहरों का बहुत हो गया है। इसलिए नई लाइनों का डालना, नये कुयें बनाना, नये रिजरवायर बनाना ये काम जल निगम की ओर से किये जा रहे है और इन पर काफी धन व्यय किया जा रहा है।

इसके अलावा बुन्देलखंड, कुमायूं तथा गढ़वाल ये तीन क्षेत्र जल की दृष्टि से अभावग्रस्त माने जाते हैं। इन क्षेत्रों के लिये भी हम इसी वर्ल्ड बैंक कार्यक्रम के अन्तर्गत काम करा रहे हैं। हमने इस वर्ष 12 ऐसी योजनायें तैयार की हैं जिनकी अनुमानित लागत 37.72 करोड़ रुपये होगी। यह रुपया स्वीकृत भी कर दिया है और इन योजनाओं पर कार्य शुरू हो रहा है और आशा है कि 1980 तक सारा धन व्यय हो जायगा और ये सारी की सारी योजनायें पूरी हो जायेंगी।

श्री अधिष्ठाता––

मंत्री जी कितना समय और लेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश––

दस मिनट और लूंगा। मान्यवर, इसके अलावा हमने इसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान से प्रदेश की परियोजनाओं के लिये और अधिक धन प्राप्त करने के लिये एक योजना का प्रारूप तैयार किया है जिसकी लागत लगभग 160 करोड़ रुपये होगी। उसका ब्योरा मैं इस समय नहीं दे रहा हूं। मैं समझता हूं कि 160 करोड़ रुपये की जो योजना हम लोग तैयार कर रहे हैं उससे ग्रामीण क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में काफी कुछ जल सम्पूर्ति की सुविधा प्राप्त होगी।

[श्री सत्य प्रकाश]

इसके अलावा एक समस्या हमारे सामने जरूर है कि हम जल सम्पूर्ति का विस्तार बराबर करते जाते हैं, लेकिन इसके रख-रखाव का भी मामला हमारे सामने है। आशा है कि जो कुछ भी रख-रखाव की व्यवस्था है जहां हम योजना बना रहे है वहां के बन्धुगण उसको ठीक से देखेंगे। यदि वहां के लोग ठीक से नहीं देखेंगे तो यह भी प्राविधान किया जा रहा है कि इस रख-रखाव की व्यवस्था भी जल निगम द्वारा की जानी चाहिये।

पेयजल के संबंध में हम ने 57 योजनायें पूरी कर ली हैं और 26 योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं और आशा है कि इस वर्ष तक ये पूरी हो जायेंगी।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य बाहर जाने की इच्छा रखते हों तो कोरम का भी ध्यान रखें। यदि बाहर जाना स्थगित कर दें, तो उचित होगा।

श्री सत्य प्रकाश---

मान्यवर, मैं आप के माध्यम से सदन को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जल प्रदूषण की ओर भी हमारा ध्यान है। इस बात का हम प्रयत्न कर रहे हैं कि सीवेज लाइन द्वारा जो पानी नदी में मिल जाता है उसे रोका जाय और बजाय नदी में जाने के उस पानी को खेतों की ओर मोड़ा जाय। औद्योगिक कारखानों के द्वारा भी जो पेयजल बहाया जाता है उसके रोकथाम के लिये भी बड़े पैमाने पर प्रयास किये जाते हैं। नोटिस दी जाती है और यदि तब भी नहीं माने तो प्रोसिक्यूट भी किया जाता है। इसी प्रकार कृषि भूमि से जो जल प्रदूषण होता है उसके रोकथाम के लिये भी प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारा विभाग जल प्रदूषण की रोक थाम के लिये काफी प्रयास कर रहा है।

एक नया प्रयास हमारा यह भी है कि शहरों में जो कूड़ा इकट्ठा होता है, बेकार चला जाता है या इधर-उधर गड्ढों में डाल दिया जाता है इस कूड़े से खाद बनायी जाय। मैं भारत के बड़े शहरों में गया यह देखने के लिए कि कूड़े से खाद कैसे बनाई जाती है। हमारे पांच बड़े शहरों में इस योजना को लागू कर दिया गया है। कानपुर में इस दिशा में काफी काम हो गया है और नगरों में भी यह आरम्भ कर दी जायगी। कूड़े से खाद बनाने के बड़े-बड़े प्लान्ट्स काम करना शुरू कर देंगे और तब हमारे खेतों की जो पैदावार है उसमें काफी वृद्धि हो जायगी। इसके अलावा हम मुरादनगर से दिल्ली तक जल योजना का निर्माण कर रहे हैं। यह लगभग 24 किलोमीटर लम्बी है। इसमें से 9 किलोमीटर पूरे कर लिये हैं और आशा है इसे और तेज किया जायगा। यह जल निगम का महत्वपूर्ण कार्य है।

इसके अलावा नोडिया में सीवर की व्यवस्था करके हम ने विशेष कीर्तिमान स्थापित किया है।

रोड ग्रान्ट नवम्बर में दे दी थी और नवम्बर से लेकर मार्च तक उसको पूरा करने का पूरा अवसर था। सड़कों के अलावा नालियों के बनाने के लिये और पुलियों के बनाने के लिये आदेश जारी कर दिये हैं जो पहले नहीं थे। इस प्रकार से नगरों की सर्वांगीण उन्नति हो, सड़कें अच्छी हों, सीवर अच्छे हों। पानी की व्यवस्था अच्छी हो, इन सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिये हमने समुचित प्रयास किये हैं और आगे आने वाले वर्षों में भी प्रयत्नशील है और अधिक से अधिक रोड्स के लिये धन व्यय करने के लिये तत्पर हैं। मुझे आशा है कि जो हमारे नागरिक जीवन का स्वरूप है, उसमें काफी सुधार होगा और जो नागरिकों की आशा है कि उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधायें मिल सिके, वह आशा तो जरूर पूरी होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)––

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कई बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया है । लेकिन मैं कुछ ऐसी बातें माननीय मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं जिनकी तरफ उनका ध्यान नहीं गया है । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पेय जल के बारे में बड़ी लम्बी योजना की चर्चा की । मैं निवेदन करूंगा कि जो शहरों के बराबर लगे हुये गांव हैं, उन गांवों में एक भी गांव अगर गिना दें फिरोजाबाद नगरपालिका में जहां कि नल की टोटियां हों या हैन्ड पाइप हो । मान्यवर, मैं दसियों गांव गिना सकता हूं जो नगरपालिका की सीमा के अन्तर्गत हैं लेकिन जहां पीने के पानी का कोई प्रबन्ध नहीं है । आपने इतना लम्बा-चौड़ा वक्तव्य दे दिया । करोड़ों रुपयों का बजट प्रस्तुत कर दिया लेकिन सही मायनों में पानी की जो आवश्यकता है, पीने के पानी को देने की आपकी मन्शा नहीं है । आपने कहा कि 50 हजार की आबादी तक वाले नगरों में भी पेय-जल की योजना लेना चाहते हैं । लेकिन फिरोजाबाद की आबादी ढाई लाख है लेकिन उसका जिक्र तक नहीं किया गया । लोग वहां पानी के लिये तरस रहे हैं ।

देहातों के बारे में बताना चाहता हूं कि आगरा महानगर से इटावा तक जितना यमुना नदी का इलाका है, वहां खारा पानी है । यमुना से पीने का पानी लाते है । लेकिन वह गांव आपकी पेयजल योजना के अन्तर्गत नहीं है । कई बार मैंने इसके लिये जिला परिषद् का ध्यान आकर्षित किया है । आपको भी पत्र लिखे । लकिन कुछ नहीं हुआ । आपकी स्कीम तो उन अधिकारियों की सूचना पर आधारित है जो सड़क से 1/2 मील जाकर योजना बना लेते हैं और सारी योजना का रूप एक जगह केन्द्रित हो जाता है । मान्यवर, मेरे अपने क्षेत्र में योजना बनायी गयी जहां कि पानी का संकट नहीं है । जिन गांवों में संकट है, वहां के लिये आपने योजना नहीं बनायी । इसलिये आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको रागद्वेष की भावना को छोड़कर, राजनैतिक विद्वेष की भावना को छोड़कर चलना चाहिये और जो पुरानी बनी हुयी योजनायें हैं, आपके आने के पहले की जो योजनायें हैं, उन योजनाओं को पूरी कराये और ऐसे गांवों नें पानी पहुंचायें जहां कि पानी नहीं है । मान्यवर, मेरे क्षेत्र मे चार न्याय पंचायतें हैं जैसे चंदवार न्याय पंचायत और सेंगई दो कली कदमौली न्याय पंचायत आदि, वहां पीने के पानी का घोर संकट हैं । इसलिये निवेदन है कि आप मेरे क्षेत्र की इन न्याय पंचायतों को पेय जल योजना के अन्तर्गत हो ।

इसके बाद आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने अभी नदियों के प्रदूषण के बारे में कहा । कहा कि उसके लिये कदम उठा रहे हैं । मान्यवर, आगरा में ताजमहल के नीचे कितना पानी इकट्ठा रहता है कितनी गन्दगी वहां रहती हैं । बाहर से पर्यटक आते हैं लेकिन नाव की यात्रा से भी वहां नहीं जा पाते–इतनी दुर्गन्ध आती हैं । उसके बाद 20 गांव ऐसे हैं जहां कि जानवर तक पानी नहीं पीने जाते हैं । और आप कह रहे हैं कि आप प्रदूषण को रोक रहे हैं । मान्यवर, यमुना नदी में प्रदूषण की इतनी बुरी हालत हैं कि आगरा से फिरोजाबाद तक का पानी गंदा है । आगरा में यमुना नदी में चार बड़े गन्दे नाले गिरत हैं । इन चार बड़े नालों का पानी जो सीवेज पंपिग स्टेशन तक ले जाया जाता है खेतों की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाय तो खेती

[श्री रघुबर दयाल वर्मा]

को बड़ा लाभ होगा लेकिन होता यह है कि महल गांव के पास यमुना नदी में उस पानी को छोड़ दिया जाता है और वह पानी व्यर्थ चला जाता है। अगर आप उन नालों को बढ़ा कर खेतों में उस पानी को पहुंचा दें तो खेती को बड़ा लाभ होगा। इसी तरह फिरोजाबाद में देश का कोई नागरिक पैर रखेगा तो अपने नाक कान सब बन्द कर लेगा। इतनी दुर्गन्ध और गंदगी वहां रहती है कि कोई भला आदमी वहां रहना पसन्द नहीं करेगा। बनारसीदास चतुर्वेदी जो साहित्यकार हैं रोज चर्चा करते हैं कि बहुत गंदगी है, तीन चार दिन तक मैला नहीं उठता है। 29 जून, 77 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नगरपालिका फिरोजाबाद की एक बैठक बुलाई गयी और वहां की सारी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया लेकिन वे समस्यायें ज्यों की त्यों हैं। कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया क्योंकि सारा कूड़ा गड्ढों में डाल दिया जाता है जब कि आप कूड़े से खाद बनाने की बात करते हैं। इंस्पेक्टरों के पैसे बांधे हुए हैं जिससे यह सारी गड़बड़ी वहां है। गंदगी दूर करने का विशेष अभियान फिरोजाबाद में चलाइये।

इसी तरह फिरोजाबाद में कर्मचारियों का 6 लाख रुपया प्राविडेंट फंड का अभी तक जमा नहीं हुआ है, उसे जमा कराया जाय। इसी तरह सफाई मजदूरों को आप दो वर्दी देते हैं एक जाड़े की एक गर्मी की। उनको आपको साल भर में 6 वर्दी देनी चाहिये। उनकी यूनियनों के अधिकारियों के लिये नगरपालिका के कमरों में बैठने की व्यवस्था भी करनी होगी। कर्मचारियों के बीमा फंड तथा उनकी अन्य सुविधाओं की ओर भी मंत्री महोदय को विशेष ध्यान देना होगा। इसी तरह इन कर्मचारियों के लिये कैंटीन की व्यवस्था नहीं है जहां वे चाय पी सकें। अगर आप उनसे अधिक से अधिक काम लेना चाहते हैं तो इन बातों की ओर आपको विशेष ध्यान देना होगा। आप श्रमिक बस्तियों का निर्माण करना चाहते थे। फिरोजाबाद में कई सालों से स्कीम पड़ी है उनके लिये आवास गृह बनाने के लिये लेकिन उस स्कीम का अभी तक इम्पलिमेंटेशन नहीं हुआ। इस विभाग के चेयरमैन फिरोजाबाद गये थे और उन्होंने स्थल का निरीक्षण भी किया था।

(व्यवधान)

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आवास गृहों की जो स्कीम चलाई गई है उसमें आप तुरन्त ऐसे कदम उठायें जिससे अच्छे हालात पैदा हो सकें। आज पानी की जो हालत है टोटियां चलती रहती हैं, नालियां टूटी रहती हैं तो इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि उसके लिये आप एक उड़नदस्ता रखिये जो सही जगहों पर ठीक समय में जाकर इन नालियों और टोटियों की खराबियों को ठीक कर सके। इससे नागरिक इधर-उधर भटकते रहते हैं। तो इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि नगरपालिका का सफाई का कार्य द्रुत गति से करने के लिये आवश्यक है कि हम कर्मचारियों की ओर विशेष ध्यान दें। तभी इन नगरों की सफाई रह सकती है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, स्वायत्त शासन मंत्री जी ने जो बजट रखा है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मान्यवर, हमारे स्थानीय निकाय जनतंत्र की आधार शिला हैं। जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का ऐलान किया था कि हम सत्ता और अर्थ का विकेन्द्री करण करेंगे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो स्थानीय निकाय हैं जो हमारी मूलभूत इकाइयां हैं जिनके चुनाव के बारे में निश्चित समय पर और निश्चित तिथियों में कई दफे सदन में भी घोषणायें हुई हैं, उनके ऊपर अमल नहीं किया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो हमारी जनतांत्रिक पद्धति है उसको मजबूत करने के लिये हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था और संविधान की मर्यादा को ठीक तरह से चलाने के लिये यह बहुत जरूरी है कि जो

हमारे स्थानीय निकाय और महापालिकायें हैं, टाउन एरियाज हैं उनको मजबूत बनाया जाय। इस सिलसिले में मैंने पिछली बार भी मांग की थी और कई दफे इस सम्बन्ध में सवाल भी किये थे कि हमारे जो 18 वर्ष के नवयुवक हैं लड़के, उनको भी मताधिकार होना चाहिये। उनको इन स्थानीय निकायों और नगर पालिकाओं में मत देने का अधिकार दिया जाय तो बेहतर होगा।

अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि हम पेयजल के बारे में नई योजनायें बना रहे हैं। आज हमारे प्रदेश और देश में सबसे बड़ी समस्यायें पेयजल की है। आज प्रदेश और देश के करोड़ों लोगों को पीने के लिये शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। नहरों और तालाबों के गन्दे पानी से गुजारा कर रहे हैं। यह बड़ी खुशी की बात है कि केन्द्रीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार को मदद देने का आश्वासन दिया है। विश्व बैंक भी मदद कर रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां नगरपालिका क्षेत्रों में टाउन एरिया क्षेत्रों में पेय-जल की समस्या पर वे गम्भीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं, वही देहाती क्षेत्रों में, जहां कि मीलों दूर जाकर आज 30 साल की आजादी के बाद भी पेयजल की समस्या बनी हुई है, उनके विकास के लिये योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

मान्यवर, आज हमारे नगर क्षेत्रों की आवास समस्या जटिल हो गई है। आबादी दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है और शहरों में लोगों को रहने के लिये मकान नहीं है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज भी लाखों लोग जाड़ों में सड़कों के किनारे पड़े रहते हैं। उनके ऊपर कोई छत नहीं है, बैठने का स्थान नहीं। यह सबसे बड़ी समस्या है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि सस्ते दामों पर मकानों की व्यवस्था की जानी चाहिये। सन् 1966 में पूर्ववर्ती सरकार ने एक योजना आवास विकास परिषद् के तहत मकानों के सिलसिले में बनाई थी जिसके कार्यक्रमों में सस्ते दामों में आवास की व्यवस्था करने के लिये निर्धारित कार्यक्रम बनाया गया था। नगर आवास विकास परिषद् की जो प्रगति है वह संतोषजनक नहीं है। हमारे फैजाबाद में भी आवास विकास परिषद् की योजना लागू है। वहां पर कुछ मकान बने हैं। कुछ लोगों ने आवश्यक धनराशि भी जमा की। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन लोगों को अन्त में अपनी जमा धनराशि को वापस लेना पड़ा। वहां पर कुछ मकान खड़े भी किये गये लेकिन उनको लेने वाला कोई नहीं है। वह इतने मंहगे हैं कि कोई उनको लेना नहीं चाहता उनकी हालत यह है कि वह गिरने की स्थिति में आ गये हैं। आवास विकास की जो योजनायें हैं आवास बनाने के लिये, उसके बारे में तफसील से जांच करने की आवश्यकता है। इन संभावनाओं को देखना है कि किन-किन नगरों में जमीन अध्याप्त कर अपने अधिकार में ले सकत हैं। जो लोग फुटपाथ पर पड़े हुए हैं जिनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है उनक रहने की व्यवस्था कर सकें इस बात को के देखने की जरूरत है।

मान्यवर, इस संदर्भ में मैं निवदन करना चाहता हूं कि आज हमारे शहरों के लिए एक नई नीति लागू करने की जरूरत है। शहरों के विकास के लिए, नगरपालिकाओं क विकास के लिए, वहां अध्यव्यवसाय को बढ़ाने के लिये यह जरूरी हो गया है कि सामाजिक बीमे की योजना लागू की जाय। इसके तहत जो धनराशि जमा होगी जैसा कि मंत्री जी ने कहा बीमा

[श्री श्रीराम द्विवेदी]

कम्पनियों से ऋण लेना पड़ता है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सामाजिक बीमे के अन्तर्गत हमारी नगरपालिका क्षेत्रों में, टाऊन एरिया क्षेत्रों में जो धनराशि जमा होगी उससे हर नगरपालिका स्तर पर स्टेडियम बनाये जायं, लोगों क पढ़ने के लिए पुस्तकालयों का निर्माण किया जा सकेगा।

आज हमारे शहरों में शवदाह की बड़ी परेशानी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे शहरों में विद्युत् शवदाह लगाये जायं क्योंकि इससे जल प्रदूषण की समस्या हल होगी। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने कहा है आज हमारी पवित्र गंगा और यमुना नदियों में जिनमें हम स्नान करते हैं, जल प्रदूषण हो रहा है जो एक गम्भीर समस्या है। इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। मैं जिस इलाके से आता हूं बीकापुर तहसील की 5 लाख की आबादी है। वहां पर कोई टाउन एरिया नहीं हैं। मैं बड़े अदब से स्वायत्त शासन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बीकापुर तहसील और उसके आगे शाहगंज और हैदरगंज में बाजार लगते हैं। उनके बारे में सवाल भी किया था और उसका जवाब भी संतोषजनक आया है कि परीक्षण किया जा रहा है। मगर मैं एक तथ्य माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बीकापुर को टाउन एरिया घोषित किया गया था लेकिन उसका कार्यान्वियन नहीं हुआ। मैं इन शब्दों के साथ मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

आवास राज्य मंत्री (श्री भगौती सिंह)—

मान्यवर, वैसे तो आवास एवं नगर विकास की ओर से "1978–79 के कार्य पूर्ति का दिग्दर्शन" वितरित कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि इससे माननीय सदस्यों को पूरी जानकारी हो जायेगी। संक्षेप में मैं यह कहना चाहता हूं कि आवास जीवन की मूलभूत समस्या है। उत्तर प्रदेश जो कि एक बहुत बड़ा प्रदेश है और आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है। उसमें आवास की समस्या भी गंभीर है। इस समस्या का निराकरण करने के लिये आवास विकास परिषद् की स्थापना करके, विकास प्राधिकरण की स्थापना करके नगर एवं ग्राम्य नियोजन द्वारा इस समस्या का निराकरण किया जा रहा है। मान्यवर, औद्योगिक श्रमिकों के लिए एक आवास की योजना है जिसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा और निजी उद्योगपतियों द्वारा आवास का निर्माण किया जाता है। इसमें जो पांच सौ से कम की आमदनी वाले श्रमिक होते है उनके लिए प्राविधान है जिसमें उद्योगपतियों को और सार्वजनिक निर्माण विभाग को शासन की ओर से सहायता दे कर भवनों का निर्माण कराया जाता है। दूसरी योजना है जिसमें समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, जिसके सामने आवास की गम्भीर समस्या है, आज उसको सर छिपाने के लिए भी कहीं जगह नहीं मिल रही है, सबसे ज्यादा इसमें इस ओर ध्यान दिया गया है, उनको सस्ते से सस्ते और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मकान सुलभ किये जा सकें। इसमें मान्यवर, साढ़े तीन सौ रुपये प्रतिमास से कम आय वालों को मकान के लिए प्राविधान किया गया है। मान्यवर, 1977–78 में इस योजना के अन्तर्गत 10 लाख रुपया दिये गये थे। 1978–79 में 22 लाख का प्राविधान रखा गया है। इस बार यह व्यवस्था रखी गई है कि निजी लोगों को कर्ज के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करके मकान बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। मान्यवर, इसी प्रकार अल्प आय वर्ग आवास योजना जिसमें 351 रुपये से लेकर 600 रुपये प्रति मास आय वाले व्यक्तियों के लिए प्राविधान रखा गया है। ये भवन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, स्थानीय निकायों एवं विकास प्राधिकरणों आदि के माध्यम से निर्मित किये जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत 1977–78 में 31.02 लाख रुपये व्यय किये गये तथा 1978–79 में 43 लाख का प्राविधान किया गया है।

मान्यवर, हमने यह प्राविधान किया है कि 1978–79 में मकान बनाने लिए व्यक्तिगत लोगों को हम कर्जा दें ताकि आवास समस्या का निराकरण करने में आसानी हो और मध्यम आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत 7201 रु0 से लेकर 18000 रु0 तक वार्षिक आय वाले व्यक्तियों का प्राविधान है, उसमें 1977–78 में 59.43 लाख व्यय किये गये। 1978–79 में इस योजना के लिये 231 लाख रु0 का प्राविधान किया गया है।

आवास योजना के लिये हमें भूमि अध्याप्त करने की जरूरत होती है। अतः भूमि अध्याप्ति एवं विकास योजना के अन्तर्गत स्थानीय निकायों को ऋण प्रदान किया जाता है। 1977–78 में इसमें 110 लाख रु0 व्यय किये गये थे। 1978–79 में इसमें 145 लाख रु0 का परिव्यय प्रस्तावित है।

विकास प्राधिकरण एवं आवास एवं विकास परिषद् को वित्तीय सहायता देने के लिए सीड कैपिटल का प्राविधान है, इस उद्देश्य से उन्हें सीड कैपिटल के रूप में वित्तीय सहायता दे कर इस योजना को तेजी से चलाया जा सके। 1976–77 में आवास एवं विकास परिषद् को 1.50 करोड़ तथा विकास प्राधिकरण लखनऊ को 2.50 करोड़ अर्थात् कुल 4 करोड़ प्रदान किये गये थे। राज्य सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स ने इन विकास प्राधिकरणों को कुल 37.50 करोड़ की सीड कैपिटल दिये जाने की संस्तुति की है। अतः इस कार्य हेतु वर्ष 1978–79 में 41.67 लाख का परिव्यय प्रस्तावित है।

मान्यवर, सभी क्षेत्रों में मलिन बस्ती की एक समस्या है। गरीब लोग इधर-उधर बस जाते हैं और ऐसी बस्तियां नरक के समान हो जाती हैं। उनमें सुधार करने और साफ सुथरे मोहल्ले बनाने का इस योजना का लक्ष्य है। वर्ष 1977–78 में इस योजना के अन्तर्गत 20.02 लाख रुपये व्यय किये गये हैं तथा वर्ष 1978–79 में इस योजना के अन्तर्गत 20.00 लाख रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है। नगर विकास के लिये जो नगर विकास योजना है उसकी तहत स्थानीय निकायों को दुकानों, वाणिज्य केन्द्रों, सामुदायिक केन्द्रों, कार्यालय भवनों, रंग शालाओं एवं इसी प्रकार की अन्य योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1978–79 में 13.00 लाख ऋण एवं रु0 1.00 लाख अनुदान अर्थात् कुल 14 लाख का प्राविधान रखा गया था जिसके समक्ष 13.10 लाख रुपये व्यय किये गये। वर्ष 78–79 में इस योजना हेतु 9.00 लाख रुपये का प्राविधान रखा गया है जिसमें से 1 लाख रुपया अनुदान है।

मान्यवर एक संभागीय नियोजन योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि तीव्र गति से विकसित हो रहे नगरीय केन्द्रों का भावी विकास सुनियोजित ढंग से हो। अभी तक इस योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा प्रदेश के पांचों महानगर सहित कुल 18 नगरों की महा योजनायें तथा 6 क्षेत्रीय योजनायें तैयार की जा चुकी हैं। इस कार्य के क्रम के अन्तर्गत 77–78 में 32 लाख रुपये का परिव्यय था जिसके समक्ष 22.50 लाख रुपये व्यय किये गये। वर्ष 78–79 में भी इस कार्यक्रम हेतु 32 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित है।

मान्यवर, मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में स्थित मलिन बस्तियों में आवश्यक सार्वजनिक सुविधायें जैसे गलियों में खड़ंजा,

[श्री भगौती सिंह]

नाली, सीवर, बिजली स्टैन्डपोस्ट, सार्वजनिक शौचालय आदि प्रदान की जाती है । 77–78 में 40 लाख रुपया इस योजना पर व्यय किये गये हैं जिससे 50,000 व्यक्ति लाभान्वित हुये हैं। वर्ष 78–79 में इस प्रयोजन के लिये 45 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है और इससे लगभग 45,000 व्यक्ति लाभान्वित होंगे। एक संगठित नगर विकास योजना है, यह बड़ी महत्वपूर्ण है इस योजना के अन्तर्गत 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में भूमि अध्याप्ति एवं विकास योजना तथा सम्बन्धित कार्यों के लिये सीड कैपिटल के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन कार्यों हेतु केन्द्र सरकार से राज्य योजना के अतिरिक्त विशेष वित्तीय सहायता प्राप्त होती है । अभी तक राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के पांचों महानगरों एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मेरठ के विकास की योजनायें जिनकी कुल अनुमानित लागत 529 करोड़ रुपये हैं। इसे केन्द्रीय सरकार को प्रेषित किया जा चुका है ।

मान्यवर, महत्व की बात आवास एवं नगर विकास योजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करना है। अभी तक आवास एवं नगर विकास योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश को अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है। शासन ने कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी एवं इलाहाबाद शहरों को आवासीय एवं नगर विकास योजनाओं की आउट लाइन्स विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने हेतु तैयार करके भारत सरकार को जनवरी, 1978 में भेजी है । उक्त योजनाओं के लिए 511.08 करोड़ रुपये व्यय होने की संभावना है। इस योजना हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त होने पर इन नगरों की आवासीय समस्या का काफी हद तक समाधान हो जायेगा । इस सहायता से कानपुर नगर में 5 लाख मकान दुर्बल वर्ग के लिये बनेंगे जिससे मलिन बस्तियों को खतम करने में सहायता मिलेगी। जहां तक सहायता एवं पुनर्वासन का सम्बन्ध है इस विभाग द्वारा तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों, बर्मा तथा यूगान्डा स प्रत्यावर्तित भारतीय नागरिकों के पुनर्वासन का कार्य किया जाता है । गत वित्तीय वर्ष से तिब्बती शरणार्थियों के लिये आवासीय सुविधा की व्यवस्था किए जाने का कार्य भी इस विभाग को सौंप दिया गया है । पुनर्वासन योजनायें शत प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त धन तथा उनकी स्वीकृति से संचालित की जाती हैं। राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में कोई व्यय भार वहन नहीं करना पड़ता है ।

इस समय पीलीभीत, गोंडा, कानपुर, खीरी जिलों में 810 विस्थापित परिवारों को कृषि में पुनर्वासित किये जाने का कार्य चल रहा है। इस सम्बन्ध में विस्थापितों को भूमि की जुताई आदि निर्माण कार्यों के लिए ऋण दिया जाता है । उनके क्वार्टरों के निर्माण हेतु 2,100 रुपये ऋण के रूप में तथा 700 रुपये अनुदान के रूप में स्वीकृत किया जाता है। सिंचाई के लिए भी जिस प्रकार की सिंचाई की आवश्यकता होती है उसी के अनुरुप व्यय किया जाता है। बैल, बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र, कीटनाशक दवाइयां, सहकारी समिति के अंश क्रय किये जाने तथा निराई आदि पर व्यय की अधिकतम सीमा 2,835 रुपये से लेकर 3,785 रुपये तक है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप अपनी बात को संक्षेप में कहें ।

श्री भगौती सिंह—

मान्यवर, वही मैं कर रहा हूं ।

बर्मा से प्रत्यावर्तित भारतीय नागरिकों को लघु व्यवसाय में पुनर्वासन किए जाने हेतु 5,000 तक व्यवसायिक ऋण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें आवास एवं दुकानों के

निर्माण के लिए ऋण दिए जाने की योजना स्वीकार की गयी है । उक्त योजना के अनुसार शहरी प्रक्षेत्र में मकान एवं दुकान के निर्माण हेतु 7,000 रुपया तथा ग्रामीण क्षेत्र में 2,500 रुपया ऋण दिया जाता है ।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ द्वारा 40 नगरों में 103 योजनायें विज्ञापित की गयी हैं जिनके अन्तर्गत 11784 एकड़ भूमि अध्याप्त करके विकसित की जायगी । वर्ष 1977–78 में परिषद् द्वारा लगभग 315 एकड़ भूमि पर कब्जा प्राप्त किया गया तथा 233.5 एकड़ भूमि पर विकास कार्य पूर्ण किये गये । इसके अतिरिक्त लगभग 1568 एकड़ भूमि पर विकास कार्यों को आगे बढ़ाया गया । वर्ष 1977–78 में मार्च के अन्त तक कुल 3,635 एकड़ भूमि अध्याप्त करके 2836 एकड़ भूमि पर विकास कार्य आरम्भ किये गये जिसमें से 1268.50 एकड़ भूमि पूर्णरूप से विकसित की जा चुकी है ।

जहां तक भवन निर्माण कार्यक्रम का सम्बन्ध है वर्ष 1977–78 में 2393 (284 मध्यम आय वर्ग, 454 अल्प आय वर्ग, 1655 दुर्बल आय वर्ग) भवनों पर निर्माण कार्य पूर्ण किया गया । इसके अतिरिक्त 1600 भू-खंडों पर भी विकास कार्य पूर्ण किया गया । वर्ष 1977–78 की धन उपलब्धियों को सम्मिलित करते हुए परिषद् द्वारा मार्च 1978 तक कुल 16851 (3195 मध्यम आर्य वर्ग, 4119 अल्प आय वर्ग, 9537 दुर्बल आय वर्ग भवन) भवनों पर निर्माण कार्य आरम्भ किए जा चुके हैं ।

हमारी जो आगामी वार्षिक योजना है वर्ष 1978–79 में भूमि अध्याप्ति पर 266.96 लाख रुपये तथा भूमि विकास कार्यों पर 308.05 लाख रुपये व्यय करने का प्राविधान रखा गया है ।

भवन निर्माण कार्यों पर 668.143 लाख रुपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव है । वर्ष 1978–79 में लगभग 1300 एकड़ भूमि अध्याप्त करने तथा 400 एकड़ भूमि पर विकास कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है । इसके अतिरिक्त 6720 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है ।

अन्त में निवेदन करना चाहता हूं कि आवास की समस्याओं के निराकरण के लिए शासन की ओर से एक कार्यकारी दल गठित किया गया था जिसकी सिफारिशें हिन्दी-अंग्रेजी में प्रकाशित हो चुकी हैं । सिफारिशें कार्य रूप में आने पर इस क्षेत्र में क्रान्तिकारी काम होगा ।

अन्त में मैं आपको धन्यवाद देते हुए सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने-अपने मूल्यवान सुझाव देने की कृपा करें ।

(श्री हर प्रताप सिंह का नाम पुकारे जान पर)

एक सदस्य––

जब इस पर कटौती का प्रस्ताव पेश नहीं हुआ तो बहस की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए इसको पास करा दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

नियम अपना रास्ता लेगा और समय लेगा, अपना स्थान लेगा ।

श्री हर प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और इस वक्त जो मंत्री जी ने बजट रखा है वह बड़ी सूझ-बूझ का है । 5 महानगरों में उन्होंने कहा कि हम सब जगह कमाने वाली टट्टी हटा करके फ्लश लगा देंगे--यह बहुत प्रशंसनीय बातें हैं । माननीय, अध्यक्ष महोदय, पेयजल के बारे में कहना है कि प्रतापपुर, इलाहाबाद में पड़ता है वहां एक टंकी पेयजल की लगने को थी और 4 साल हो गये, अभी तक वह खटाई में पड़ी है । आरा गांव में जो सबसे बड़ी बस्ती थी वह वहां के अभियन्ता लोग चाहते हैं कि वह दूसरी जगह ले जायं जहां पर छोटी आबादी है, वहां पर चाहते थे । नन्दौल और ईमलिया कुनार एक गांव है वहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं है । कई दफा कहा और मंत्री जी को सुझाव दिया । उन्होंने कहा था कि हम करेंगे , लेकिन वहां पर अभी तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी । हमारे यहां फूलपुर जो टाउन एरिया है वह बहुत पुराना है, वहां की ऐसी दुर्दशा है, अस्पतालों की हालत खराब है स्कूलों की भी वही हालत है । इतना गन्दा है कि बरसात में एक तरफ से दूसरी तरफ जाया नहीं जा सकता और इतना पानी जमा रहता है कि मच्छरों का घर सा बन गया है, क्योंकि गंदे पानी की निकासी का कोई जरिया नहीं है ।

इलाहाबाद में मैं रहता हूं । एक सहारा बाग से नाला गया है बलुआ घाट तक, बहुत बड़ा नाला है । पूरी सड़क पर नाला जगह जगह टूटा हुआ है और रात्रि में साइकिल वाले और पैदल चलने वाले रोज दो-चार गिरते हैं । हमने कई बार कहा हमारे दरवाजे से होकर नाला जाता है, लेकिन उस पर आज तक कोई समाग्रत नहीं हो रही है । पहले दो चार जगह टूटा था, अब बीसियों जगह और टूट गया और टूट करके गड्ढे हो गये हैं । आदमी गिर जाते हैं, फंस जाते हैं और रात में तकलीफ होती है । मैं चाहता हूं कि उस पर विशेष ध्यान दिया जाय । यह आवश्यकता की बात है । इन्हीं बातों को कह करके मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय.....

श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

श्रीमन्, मेरा एक सुझाव है । इस पर कोई कटमोशन तो है नहीं, तो आप इसे पास करा दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता --

माननीय सदस्य इसको और अच्छी तरह से जान जायेंगे । समय निर्धारित है कि कब तक इसको पास होना चाहिये और नियम नियम है । चूंकि विरोधी दल नहीं है, इसके माने यह नहीं है कि शीघ्रता से पास करा दें । यह उचित नहीं होगा ।

श्री बदन सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज इस सदन में जो स्वायत्त शासन मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इस बजट का अनुदान पास कराने के लिये कुछ घोषणाएं की हैं । 5 बड़े-बड़े महानगरों में प्रत्येक मकान में फ्लश की लैट्रीन की व्यवस्था करना, कोई भी मेहतर भाई और बहिन अपने सिर पर पाखाना न ले जायगा और वह टाउन-एरिया और नोटीफाइड एरिया बनाने में उदारता से काम लेंगे । तथा उन्होंने इस प्रकार की भी घोषणा की कि तमाम नगरों के अतिरिक्त गांवों की पेय जल की

समस्या को सुलझाने के लिये 20 जिलों का उन्होंने नाम लिया है और 1479 की जगह 1540 गांवों की संख्या रक्खी, इन सब बातों का स्वागत करता हूं और इसके लिये माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

अब मैं अपने क्षेत्र की कुछ कठिनाइयों के बारे में माननीय जल संपूर्ति मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। मैं तो सोचा करता था कि कांग्रेसी मंत्री ही अपनी बात कहकर भूल जाते हैं लेकिन मैने देखा कि माननीय जल संपूर्ति मंत्री जी भी अपने दिये गये आश्वासन को भूल गये। जब वे आगरा जनपद में पधारे थे तो मैंने अपने क्षेत्र के बारे में बहुत सी कठिनाइयों का जिक्र किया था और उन्होंने उनके विषय में आश्वासन भी दिया था किन्तु मुझे खेद है कि अपने आज के वक्तव्य में उन्होंने उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। मैं आशा करता हूं कि जब वे बहस का अपना उत्तर देंगे तब मेरी बातों का भी जवाब देंगे।

मान्यवर, फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में पेयजल की समस्या बड़ी विकट है। वास्तव में वहां पीने के पानी का कोई भी प्रबन्ध नहीं है। उन कुंओं को छोड़कर जो वे तालाबों और नहरों के सहारे बने हुए हैं शेष सभी कुओं का पानी खारी है। हमारे यहां जो नदी बहती है उसका नाम भी खारी नदी है। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि वे तहसील किरावली व खैरागढ़ को संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित करेंगे और वहां पेयजल की समस्या को शीघ्र हल करेंगे लेकिन उसकी कोई उन्होंने कोई चर्चा आज नहीं की। इन दोनों तहसीलों के अतिरिक्त आगरा जनपद में आगरा तहसील भी एक ऐसी तहसील है जहां पीने का पानी खारी ह। मैं माननीय जल संपूर्ति मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस तहसील को भी संकटग्रस्त घोषित करें और वहां भी पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करायें। तहसील आगरा में अकौता ग्राम में कुछ पाईप बिछाये भी गये भेजे थे किन्तु धीरे-धीरे वे पाईप कुछ तो चोरी चले गये और शेष सब वापिस मंगा लिये गये और वहां पानी की व्यवस्था आज तक नहीं हो पायी। हालांकि यह क्षेत्र मेरा नहीं है, फिर भी चूंकि मैं वहां की कठिनाइयों से भली-भांति परिचित हूं इसलिये आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की पेयजल समस्या को भी शीघ्र हल किया जाय।

तहसील किरावली में जिन न्याय पंचायतों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है वे गांव हैं खेड़िया, गगोरा, दूरा, पुरासमना (किरावली) तथा मन्डी मिरजाखां। यह सब गांव ऐसे हैं जहां पानी का विकट संकट है इसलिये मैं चाहता हूं कि इनको पहले प्राथमिकता दी जाय। माननीय मंत्रीजी ने बतलाया कि वे उदारता-पूर्वक नोटिफाइड और टाउन एरिया भी बनायेंगे निवेदन मेरा है कि किरावली जो स्वयं कई बड़े-बड़े गांव से मिलकर बनती है, जहां तहसील हेडक्वार्टर ह, रेलवे स्टेशन है, स्टेट बक आफ इन्डिया है, भूमि विकास बैंक है और इन्टरमीडियेट कालेज भी है तथा बाजार भी बहुत बड़ा है, उसे शीघ्र टाउन एरिया घोषित करें और टाउन एरियाज को मिलने वाली सभी सुविधायें प्रदान करें।

मान्यवर, मंत्री जी ने यहां पर आवासीय सुविधाओं की चर्चा की। मैं समझता हूं कि आवासीय सुविधायें शहरों तक ही सीमित हैं। ऐसे स्थान जहां नगरपालिकायें या टाउन एरिया हैं वहां पर आवासीय सुविधाओं के लिये कोई चर्चा नहीं की गयी। टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया में विशेष यह समस्या है कि महानगरपालिकाओं में इस प्रकार की व्यवस्था है कि कर्ज देकर आवासीय सुविधायें प्रदान की जा सकती हैं। लेकिन विशेष रूप से हमारे क्षेत्र फतेहपुर सीकरी जो पर्यटन का स्थान है वहां आवासीय

[श्री बदन सिंह–]

सुविधायें नगर को प्रदान नहीं है, इसलिये निवेदन है कि फतेहपुर सीकरी और अछनेरा के विकास के लिये वहां आवासीय सु विधायें प्रदान की जायं। फतेहपुर सीकरी को पर्यटन का एक आकर्षक केन्द्र बनाना चाहिये लेकिन यह नगर बहुत गंदा रहता है। वहां सीवर लाईन की व्यवस्था नहीं है इसलिये मैं आशा करूंगा कि मंत्री जी वहां सीवर लाइन की व्यवस्था करायेंगे।

मान्यवर, अछनेरा में साढ़े 13 लाख रुपये दिये गये जबकि फतेहपुर सीकरी उससे तीन गुना बड़ा है लेकिन वहां पेयजल के लिये साढ़े नौ लाख रुपये ही दिये गये जोकि कम है। वहां पानी पहुंचाने में बड़ी कठिनाई है। इसलिये फतेहपुर सीकरी के लिये जो धनराशि दी जाती है वह कम है उसे अधिक देना चाहिये। मान्यवर, इस नगर के गंदे पानी को निकालने की व्यवस्था की जानी चाहिये। जल प्रदूषण के लिये शहरों में व्यवस्था की जा रही है कि गंदे पानी को नदियों में नहीं जाने देंगे और खेतों में उसका उपयोग करेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था छोटे-छोटे नगरों में ज्यादा अच्छी तरह से की जा सकती है। फतेहपर सीकरी और अछनेरा नगरों से मिले हुये स्थानों पर जो लोग खेती करते हैं तो वहां नगर के गंदे पानी को पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे आस-पास के किसानों की खेती का उसको लाभ मिल सके।

मान्यवर, फतेहपुर सीकरी में शिक्षा के लिए एक ही विद्यालय है जिसमें 3-4 कमरे हैं और छात्र तथा छात्राओं की संख्या उसको देखते हुये अधिक है। इसलिये निवेदन है कि छात्राओं के लिये अलग स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिये। अछनेरा में कन्याओं के पढ़ने के लिये अलग से व्यवस्था नहीं है। एक इण्टर कालेज है जिसमें छात्र तथा छात्रायें दोनों पढ़ती हैं। इसलिये निवेदन है कि लड़कियों के लिये हाई स्कूल तक एक अलग से विद्यालय खोलने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

मान्यवर, अन्त में मैं मंत्री जी से कहूंगा कि सफाई की दृष्टि से, पढ़ाई की दृष्टि से, आवासीय दृष्टि से जब इन नगरों के लिये व्यवस्था की जायेगी तो मैं समझूंगा कि छोटे-छोटे नगरों और गांवों की तरफ आपका ध्यान गया है। इसके साथ ही मैं बजट का समर्थन करता हूं और आशा करूंगा कि अपने उत्तर में मुझे कुछ आश्वासन हमारे क्षेत्र के बारे में देंगे।

श्री अधिष्ठाता––

अभी माननीय सदस्यों का कहना था कि बजट को, चूंकि विरोधी दल नहीं है, इसलिये पास करायें। वैसे निर्धारित समय है और जब मैं देखूंगा कि माननीय सदस्य बोलने के लिये अग्रसर नहीं हो रहे हैं तब मैं मंत्री जी को बुला लूंगा। लेकिन जब तक सदस्य खड़े हो रहे हैं तब तक निर्धारित समय तक मैं उनको बोलने के लिये समय दूंगा।

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, स्वायत्त शासन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान 36 करोड़ 53 लाख 50 हजार एक सौ रुपये की धनराशि का मैं समर्थन करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि जिनके माध्यम से इतनी बड़ी धनराशि भूमि और भवन कर, मल निकासी एवं जल संपूर्ति नगर विकास, सार्वजनिक निर्माण, स्थानीय निकाय एवं सामाजिक सुरक्षा और जन कल्याण के कार्य में लगने वाला है, अगर इस लगने वाले साधन से व्यक्ति अशुद्ध रहे, मिलावटी रहे, भ्रष्ट रहे तो क्या यह लक्ष्य जिसको लेकर हम चल रहे हैं, पूर्ण हो सकेगा। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। 8 अक्तूबर, 1977 को इसी सदन में मैंने प्रश्न उठाया था कि 76–77 में चुंगी की चोरी हुई है। लगभग 2 करोड़ का गबन हुआ है। इसका उत्तर प्राप्त हुआ कि जानकारी हो रही है। लेकिन अक्तूबर से आज तक कितने महीने हो गये जानकारी प्राप्त नहीं हुई।

समाचार पत्रों में पढ़ा है कि प्रशासक महोदय ने अक्तूबर से लेकर 31 मार्च तक 1 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई आमदनी दिखाई है। यह आमदनी कहां से बढ़ी ? अगर यह आमदनी इसलिए बढ़ी कि उस समय जो चोरी होती थी उस पर निगरानी की गयी तो फिर उस समय के चोर अधिकारी आज भी कुर्सी पर मौजूद हैं तो क्यों मौजूद हैं। जवाब नहीं दिया जाता। मैंने नगर प्रशासक से पूछा पत्र द्वारा, लेकिन उत्तर नहीं मिला। इतना ही नहीं यहां तक हुआ कि प्रशासक महोदय भारत छोड़कर विदेश गये कुछ जानने के लिए। कानपुर में उनके नगर प्रशासक के पद पर उप प्रशासक, चुंगी अधिकारी को चार्ज दिया गया। पूरा जमघट जो गड़बड़ी करता था वह कर रहा है। कुछ उदाहरण और प्रस्तुत करता हूं।

कानपुर लिम्ब फैक्टरी जिसके ऊपर 1 लाख 42 हजार की चुंगी वसूल की गयी उसने सरकार से प्रार्थना की कि यह चुंगी माफ की जाय। सरकार ने विचार किया और माफ करने का आदेश दिया। लेकिन जब वहां देखा गया तो वह रुपया खाते में ही जमा नहीं हुआ और आज भी वह अधिकारी वहां मौजूद है। माननीय मंत्री महोदय इस तरफ ध्यान दें। मैं चाहता हूं उनके खिलाफ सख्त ऐक्शन लें जिससे कि प्रशासन आतंकित हो जाय और शुद्ध हो जाय। आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा कि रिक्शे में लाद कर रसीद बुकें जा रही थीं। कर्मचारी को मूर्छा आ गयी और वह रसीद बुक गायब हो गयीं। वह क्या था ? वह गुप्त धन था जो इन अधिकारियों की जेब में जाता है। जो चुंगी कार्यालय में 91 हजार रुपये की डकैती हुई, एक अधिकारी पकड़ा गया और दूसरे अधिकारी की रक्षा की जा रही है। मंत्री जी सारी फाइल मंगाकर जांच करें। दिनांक 15–7–77 को उप प्रशासक महोदय ने पत्र के माध्यम से यह दिखलाने की कोशिश की कि मैं कितना सुन्दर काम कर रहा हूं, मुझे पुरस्कार मिलना चाहिये। 1 अप्रैल, 76 से जून, 76 तक 53 लाख की आमदनी हुई जबकि इस पीरियड में 1977 में 78 लाख की आमदनी हुई। उन्होंने इस ढंग से दिखलाया कि 25 लाख की आमदनी बढ़ गयी। इसलिए पुरस्कार दिया जाय। लेकिन उन्होंने भ्रम पैदा करने के लिये किया क्या ? 1 सितम्बर, 76 को शिड्यूल चेन्ज होता है और कर की दर पौने तीन गुना बढ़ जाती है। अगर उस अनुपात से कर वसूल किया होता तो 1 करोड़ 45 लाख, 75 हजार रुपया होता। इस तरह से 67 लाख 75 हजार का घाटा दिखलाया है। इस प्रकार यह भ्रष्ट अधिकारी जनता को, सरकार को और प्रशासन को धोखा देता है, तो इस पर विचार करें। अभी चुनाव में जनता ने उत्तर दे दिया है। सन 1977 में चुनाव में क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है ? सन् 77 में जनता ने 30 साल की हुकूमत को उखाड़ फेंका और आज हम क्या देख रहे हैं। अतः निवेदन है कि मुख्य मंत्री महोदय, मंत्री महोदय और हम सारे विधायकगण आज चिन्तन करें। एकांत में सोचें कि जनता का क्या आदेश है। वी शुड थिंक अवरसेल्वज, हम आत्म चिन्तन करें। हम चिन्तन करके देखें कि किधर जा रहे हैं। जनता क्या कहती है, जन आदेश क्या हैं और हमारे कदम कहां जा रहे हैं ?

मान्यवर, कानपुर की नहर का एक समय सीमित कर दें कि इस वर्ष के अन्दर नहर पट जायेगी। उससे ट्रांसपोर्ट बस के लिये अच्छा साधन हो जायेगा। हमारे मंत्री महोदय तो लखनऊ से कानपुर मोटर से चले जाते हैं। लेकिन हम तो रोडवेज बस से जाते हैं। कानपुर रेलवे स्टेशन के चौराहे से किदवई नगर तक दो पुल जाते हैं। उनमें इनक्रोचमेंट है, लकड़ी की टाल है, कूड़े का ढेर है। लेकिन उसको हटाया नहीं जाता। इसके कारण 10–12 मिनट

[श्री रेवती रमण रस्तोगी]

बस रुकी रहती है। क्या इसके लिये भी बड़ी प्लानिंग की जरूरत है? हां, जरूरत इस बात की है कि हमारे अधिकारी शुद्ध हों। हमारे अधिकारी शुद्ध होंगे तो हमारी योजनायें शुद्ध होंगी। अगर योजनायें शुद्ध होंगी तो जनता जनार्दन पुनः आपको अवसर देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नारायण, नारायण!

*श्रीमती सूर्यमुखी शर्मा (जिला झांसी)—

मान्यवर, मैं स्थानीय निकाय के अनुदान की मांग का समर्थन करती हूं तथा साथ ही साथ वर्तमान शासन को, पांचों नगर महापालिकाओं तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को शहरी भत्ता एवं हाउस रेंट देने के लिये धन्यवाद दे रही हूं।

चूंकि मैं पिछले वर्ष में स्थानीय निकायों से अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में संबंधित रही हूं, अतएव शासन के समक्ष कुछ ठोस सुझाव रखना चाहती हूं।

मान्यवर, मेरे विचार से उत्तर प्रदेश की समस्त स्थानीय निकायों को यह अधिकार प्रदान कर दिए जायं कि वह वर्तमान करों की दरों में अपने स्तर पर ही 50 प्रतिशत दरों में वृद्धि कर सकें तथा उसके ऊपर यदि स्थानीय निकाय वृद्धि करना चाहती है तो शासन की स्वीकृति प्राप्त करें। इससे स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तथा जिस प्रकार शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष कर लगाए जाते हैं उसी प्रकार स्थानीय निकाय भी कर लगावें ताकि उसी वर्ष में वह अपना बजट संतुलित कर सकें।

मान्यवर, वर्तमान में नगर महापालिकाओं एवं नगर पालिकाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर समान कार्य के लिये समान वेतन की प्रथा लागू नहीं की गयी है जिससे इस समुदाय के कर्मचारियों का मनोबल गिर रहा है और समय-समय पर प्रदर्शन एवं हड़ताल करते रहे हैं। अतः मेरा शासन को यह सुझाव है कि वह इस अव्यवस्था को तुरन्त समाप्त करें।

मान्यवर, विगत वर्षों में शासन द्वारा श्रीवास्तव कमेटी गठित की गयी थी जिस पर लाखों रुपया व्यय हुआ था। किन्तु उस पर अभी तक कोई विचार नहीं हुआ। अतः मेरा अनुरोध है कि उक्त श्रीवास्तव कमेटी पर शासन तुरन्त कार्यवाही करे। स्थानीय निकाय कर्मचारी वैसे ही कम वेतन पाते हैं और यदि उनकी मृत्यु कायकाल में हो जाती है तो वह अर्जित फण्ड की रकम अथवा सामूहिक जीवन बीमा की रकम के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलता है। इस महंगाई भत्ता तथा कम वेतन पाने के कारण सफाई कमचारी तो अपने सेवा काल में ही अपने फण्ड आदि का रुपया अपने दैनिक कार्यों हेतु निकाल लेते हैं जिससे किन्हीं कारणवश देहावसान हो जाने पर उनके परिवार वालों को तो कुछ भी नहीं मिलता। इस हेतु मेरा यह सुझाव है कि इन अल्प वेतन भोगी कमचारियों को परिवार के कल्याण हेतु प्रदेशीय स्तर पर एक स्थानीय निकाय कर्मचारी वेलफेयर फण्ड की स्थापना की जाय और प्रत्येक कर्मचारी से इस हेतु आंशिक रु0 1 प्रतिमास की कटौती की जावे और यदि दुर्भाग्यवश किसी कर्मचारी की उस के सेवा काल में ही निधन हो जाता है अथवा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में अपंग या सेवा करने योग्य नहीं रह जाता है तो उसके परिवार को कम से कम रु0 5,000 की धनराशि तुरन्त दे दी जावे।

शासन से मैं यह भी अनुरोध करना चाहती हूं कि प्रत्येक स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के वेतन से काटा हुआ प्राविडेण्ट फण्ड का धन उसी माह की 8 तारीख तक उनके बैंक के खाते में उनके नाम पर जमा किया जावे ताकि मृत्यु अथवा रिटायरमेन्ट के समय उसके दुखी परिवार को तुरन्त भुगतान किया जा सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अन्त में शासन को मैं यह भी अवगत करा देना अपना कर्तव्य समझती हूं कि जो बात मैंने समान कार्य के लिए समान वेतन वाली कही है उसमें वास्तविकता तो है कि स्थानीय निकायों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या अधिक है और उन का वेतनमान लगभग शासकीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समकक्ष ही है तथा लगभग 10–15 प्रतिशत कर्मचारी ही ऐसे बचते हैं जोकि उक्त श्रेणी में आते हैं यानी 9 लाख कर्मचारियों में से यह सुविधा केवल 94 हजार की नहीं है जिस पर केवल 80 लाख रुपया ही व्यय होना है। उपरोक्त धनराशि में से शासन को केवल 22 प्रतिशत ही देना है। मुझे आशा है कि शासन मेरे उक्त सुझाव से सहमत होते हुए शासनादेश शीघ्र पारित करने का कष्ट करेगा।

*श्री गंगा सहाय यादव (जिला मैनपुरी)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सब से पहले मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। साथ ही यह कहना उचित समझता हूं कि मेरे क्षेत्र में पेय जल की बहुत कमी है। मेरा जिला मैनपुरी में शिकोहाबाद में पेय जल की व्यवस्था इसलिये भी कम है क्योंकि बीहड़ इलाका है, जमुना जी के किनारे-किनारे नदी नाले आते हैं। वहां पर पीने के पानी की बहुत कमी है। यदि सरकार से हो सके तो दो चार कुंओं की व्यवस्था वहां कराये तो भारी उपकार होगा और जनहित में होगा। इसके अलावा गांवों को जाने के लिए कई नाले ऐसे पड़ते हैं कि जिन के कारण लोगों को 6–7 घण्टे तक रुकना पड़ता है। इसलिए अच्छा होता कि इन स्थानों पर पुलों की व्यवस्था की जाय। बड़ी कृपा होगी। ये स्थान बरसात के दिनों में पानी से भरे रहते हैं इसलिए जब तक पानी कम नहीं हो जाता तब तक जाने वाले आदमी को 5–6 घण्टे तक रुकना पड़ता है। इसलिए पांच पुल वहां पर बना दिये जायं तो बड़ी सुविधा होगी।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सदस्य ध्यान रखें कि यह स्वायत्त शासन विभाग का बजट है।

श्री गंगा सहाय यादव––

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जो जूनियर हाई स्कूल हैं, बेसिक प्राइमरी स्कूल हैं उनकी इमारतों की हालत इतनी दयनीय है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत से स्कूल बरसात के दिनों में चूते हैं उनकी मरम्मत कराई जाय ताकि बच्चे वहां जा कर पढ़ सकें। कुछ इमारतें टूटी-फूटी हैं, सरकार का ध्यान उनका निर्माण कराने की ओर नहीं जाता और बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनकी इमारतों की नींव तो पड़ गयी है, लेकिन दो, तीन साल से इमारतें उनकी अधूरी पड़ी हैं, उस तरफ सरकार ध्यान दे।

शिकोहाबाद प्रथम श्रेणी की नगरपालिका है। वहां सेनिटरी का इन्तजाम बहुत खराब है। नालियां गंदी पड़ी रहती हैं। औरतें, बच्चे टट्टी फिरते हैं बाहर जाकर, लिहाजा शहर में 10–15 सेनिटरी फिटिंग्स की लेटरीन बना दी जायं ताकि सफाई रहे। इसी तरह वहां कंजर बस्ती है, हरिजन बस्ती है जिनमें टट्टियां हैं ही नहीं। खेतों में दौड़-दौड़ कर जाना पड़ता है घर में कोई व्यवस्था न होने के कारण। उनके लिये भी 10–15 सेनिटरी फिटिंग्स की लेट-रीन्स बनवा दी जायं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गंगा सहाय यादव]—

इसी तरह जो स्कूल बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत हैं उनमें पढ़ाई ठीक से नहीं होती है उस ओर यह सरकार ध्यान दे। वहां पर रिक्शे वालों तथा इक्के वालों के लिये कोई स्टैण्ड नहीं है। बरसात में भीगते हैं, गर्मियों में धूप में सिकते हैं, लेकिन नगरपालिका के अधिकारियों न उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिये सरकार उस ओर ध्यान दे तथा उनके लिये स्टैण्ड की कोई व्यवस्था करे क्योंकि शिकोहाबाद नगरपालिका की हालत बहुत अच्छी है। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री राज कुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। मैं उनको, उनके दोनों सहयोगी मंत्री तथा विभाग के आला अफसरों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बजट के बनाने में पूर्ण योगदान दिया है और मुझे आशा है कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष हम अधिक प्रगति कर सकेंगे। हमारा यह बजट सर्वतोन्मुखी है और पिछले वर्ष के अनुभव से इसको आगे बढ़ाने का इस वर्ष प्रयास किया गया है। हमारे शहर पर्यटकों के स्थान हैं। लोग आते जाते हैं। इसको भावात्मक एकता का केन्द्र बना सकते हैं। नगरपालिकायें जिनको स्वायत्तशासी संस्थायें कहते हैं सच्चे अर्थों में उनको स्वायत्तता प्रदान करना चाहिये, शासन का पग-पग पर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। शासन माता-पिता की भांति होता है। बच्चा अगर कोई गलत काम करता है तो उसकी वह रोकथाम कर दे, लेकिन पिछले 10, 15 वर्षों का अनुभव यह है कि शासन नगरपालिकाओं के कार्यकलापों में कदम-कदम पर हस्तक्षेप करता है। हमारा बोर्ड आज कल सुपरसीडेड है। वहां के एक्जिक्यूटिव आफिसर लखनऊ बार-बार आते थे। पूछने पर उन्होंने बताया कि पत्र व्यवहार द्वारा कार्य नहीं हो पाता है, सरकार का इतना कड़ा नियंत्रण है कि अगर वह लखनऊ न जायं साल में 3, 5 दफा तो कोई कागज आगे नहीं सरकता है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे स्वायत्तता को बनाये रखें क्योंकि यह हमारी जनतंत्र की निचली इकाई है और ग्राम सभा के बाद नगरपालिकाओं में ही हम जनतंत्र का विकास देख सकते हैं। उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि नगरपालिकायें हमारे देश में और खास तौर से हमारे प्रदेश में सरकार की कर्जदार होती हैं। मैंने दूसरे सूबों में तामिलनाडु, केरल आदि में देखा कि वहां पर बहुत कम नगरपालिकायें हैं जो ऋण लेती हैं। वहां बड़ी योजनाओं के लिये ही ऋण लिया जाता है। लेकिन हमारे प्रदेश में छोटी-छोटी योजनाओं के लिये भी वह सरकार की कर्जदार हैं। अतः मेरा निवेदन है कि ऐसा प्राविधान होना चाहिये जिससे उनके आय के श्रोत बढ़ सकें। उदाहरण के तौर पर मनोरंजन कर जो सरकार लेती है उसका एक अंश नगरपालिकाओं को भी दिया जाय। इसके अलावा छोटे-छोटे उद्योग धन्धों के लिये जैसे तामिलनाडु ने अपनी नगरपालिकाओं को अधिकार दिया हुआ है उसी तरह से आमदनी करने का नियम हमारे यहां भी होना चाहिये। यह बड़ी खराब बिडम्बना है कि एक नगरपालिका का चेयरमैन आविश्वास के प्रस्ताव पर हटाया जाता है और वही चेयरमैन सरकार को सिफारिश करता है कि नगरपालिका को भंग कर दिया जाय। इसलिये मेरा अनुरोध है कि जो चेयरमैन अपने पद से अलग हो जाय उसकी सिफारिश नहीं माननी चाहिए।

अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। आज प्रातः काल भी मैंने माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न किया था कि सन 80 में हरिद्वार में अर्द्ध कुम्भ का मेला होने वाला है और उसमें कन्या कुमारी से लेकर हिमालय तक और जूनागढ़ से लेकर डिब्रूगढ़ तक के लोग गंगा स्नान करने के लिये आते हैं। उसके लिये दो साल रह गये हैं। सन् 80 में वह मेला है। अतः आसन की ओर से पहले से ही सुविधायें कर देनी चाहिये। यह खुशी की बात है कि 40 वर्षों से हरिद्वार डेवलपमेंट कोआर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है और 1969 तक उसकी गतिविधि हुई सेर उसके बाद वह ठप हो गई। भूतपूर्व स्वायत्तशासन मंत्री, श्री सत्य प्रकाश मालवीय के सहयोग

से और मेरे अनुरोध पर विभाग के सचिव, श्री सक्सेना और उप सचिव, श्री ओ0 पी0 शर्मा की गतिविधि से उसकी 2 मीटिंग्स लखनऊ में और 3 हरिद्वार में हो चुकी हैं । वह कमेटी चतुर्मुखी विकास के लिये बनी हुई है । मैं निवेदन करूंगा कि शासन उसकी गतिविधि को बढ़ाये और उस कमेटी में जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उनको अर्द्ध कुम्भ के मेले आने तक पूरा कर ले । नहीं तो उस मेले में गड़बड़ हो सकती है ।

एक निवेदन और करना चाहता हूं कि हरिद्वार में अंग्रेजी सरकार ने रिफ्यूज कर दिया था कि वहां सीवर लाइन नहीं बिछ सकती है । लेकिन सन् 36 में पंडित मदन मोहन मालवीय के सहायक भूतपूर्व चीफ इंजीनियर श्री विजय राघवाचार्य ने वहां पर सीवर लाइन बिछाई । मान्यवर, पहले हरिद्वार की आबादी चार हजार थी अब 40 हजार हो गयी है और सीवर की जो लाइन थी वह छोटी हो गई है। छोटी पाइप लाइन होने की वजह से और आबादी के बढ़ने की वजह से बड़ी दिक्कत है । खुशी की बात है कि हमारे स्वायत्त शासी विभाग के जो सर्वोच्च अधिकारी लखनऊ में हैं वे वहां की समस्या से अवगत हैं और समस्या का समाधान कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी को जो इस नये विभाग का चार्ज मिला है उनसे अनुरोध करूंगा कि उनकी समस्याओं का अध्ययन करके उन्हें पूरा करने की कृपा करें ।

हमारे क्षेत्र में दो देहात हैं रावली महदूद और जगजीतपुर । रावली महदूद में 100 हाथ गहरा एक कुआं है और वह गर्मियों में सूख जाता है । वहां पर 99 प्रतिशत हरिजन हैं । दो मील दूर वे लोग पानी लेने के लिये जाते हैं । यही स्थिति जगजीतपुर की है । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे वहां पर कुओं की व्यवस्था करें और जल निगम को आदेश दें और पानी की व्यवस्था करें । मैं निवेदन करूंगा कि हमरे ज्वालापुर में करीब 50 हजार से ज्यादा की आबादी है और उसके आसपास सब लगा कर करीब डेढ़ लाख की आबादी है और केवल एक हाईस्कूल है कोई इंटर कालेज नहीं है । पिछले स्वाक्त्त शासन मंशी जी ने मेरी प्रार्थना पर वहां इंटर कालेज की स्वीकृति दे दी थी । मैं वर्तमान मंत्री जी से अनुरोध करूगा कि वह उस कागज को बढ़ायें ।

आनन्दमई सेवासदन की तरफ से पिछले 25 वर्षों से वहां स्कूल चलता है । उसमें छात्राओं की बहुत बड़ी संख्या है लेकिन उसका कोई भवन नहीं है यहां तक कि पर्दे के लिये दिवारें भी नहीं हैं । चारों ओर से खुला पड़ा है । उस तरफ भी मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

एक बात और कहना चाहता हूं हमारे यहां पिछली कांग्रेस सरकार ने 18-4-1977 को हरिद्वार को तहसील घोषित किया था । यह बड़ी खुशी की बात है । लेकिन अभी भी वह अपूर्ण पड़ी हुई है । वहां पर एस0डी0एम0, मुंनसिफ मैजिस्ट्रेट और सब-ट्रेजरी की स्थापना हो गई है । मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर आय कर विभाग और नायब तहसीलदार का आफिस खोला जाय ।

एक और समस्या की ओर जहां पर हिन्दुस्तान की 45 करोड़ धार्मिक जनता की भावनाओं का संबंध है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जब गंगा कैनाल का क्लोजर होता है तो हरि की पैड़ी पर घाटों में जल नहीं रहता है । पिछले 30 वर्षों से वहां

[श्री राजकुमार शर्मा]—

की हरि की पैड़ी प्रबन्ध समिति गंगा सभा सरकार से मांग करती आ रही है कि कोई ऐसा प्रावि-धान किया जाय कि जो चैनल नम्बर बन और चैनल नम्बर दो में क्लोजर किया जाय तो पैड़ी में पानी रह सके और जो हजारों यात्री हजारों मील दूर से आते हैं और हजारों रुपये खर्च करके आते हैं उनको निराश न होना पड़े। इससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस लगती है। मैं मंत्री जी का ध्यान इन सब बातों की ओर आकर्षित करते हुए बजट का समर्थन करता हूं।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान नगर क्षेत्र समिति नियमावली की ओर ले जाना चाहता हूं। म्युनिसिपल ऐक्ट, 1914 में बना था उसमें टाउन एरियाज को जो अधिकार दिये गये थे वही आज भी हैं उनमें कोई संशोधन नहीं हुआ। इसमें बोर्ड को कोई अधिकार नहीं है कि वह टैक्स लगा सके। बोर्ड को यह भी अधिकार नहीं है कि वह जिला प्रशासन को या पुलिस को यह कह सके कि विभाग के काम में कार्यवाही की जाय। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं कि नियमावली में जो टाउन एरिया ऐक्ट बना हुआ है उसमें टाउन एरिया को, क्षेत्र समिति को, नोटिफाइड एरिया कमेटी को कोई अधिकार नहीं है कि जिससे वह गांव वालों को सुविधा दे सके।

मान्यवर, जिस प्रकार मंत्री जी ने स्वायत्त शासन विभाग संभाला है हमें उनसे बहुत आशा है कि वह इस विभाग में काफी सुधार लायेंगे और जो बजट नगर क्षेत्र समितियों का बना है उस पर जरूर ध्यान देंगे। अक्सर देखा यह गया है कि नगर महापालिकाओं को दो दो लाख रुपयों का अनुदान दिया जाता है। तत्कालीन सरकार ने चुनाव के समय चुनाव जीतने की उम्मीद से दो दो लाख रु0 की धनराशि बजट अनुदान के बाद दी है। अक्सर देखा गया है कि स्वायत्त शासन विभाग के अनुदान को काट कर अन्य विभागों में खर्च किया जाता है। स्वायत्त शासन विभाग के जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं उनकी वित्तीय सहायता के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और स्वायत्त शासन विभाग निजी साधनों से हाउस टैक्स से ही जो उसकी आमदनी का एकमात्र श्रोत है। सफाई कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन देता है। सरकार द्वारा इसके लिये 33.5 प्रतिशत ही अनुदान मिलता है। मैं चाहूंगा कि सफाई कर्मचारियों को जिनका कि बहुत जोर शोर इस वक्त है आरक्षण के लिये उनके लिये अच्छे मकानों की व्यवस्था करें। मैं मांग करता हूं कि सफाई कर्मचारियों का पूरा वेतन शासन से दिलवाया जाय ताकि वे लोग जो गन्दगी साफ करते हैं, नालियां साफ करते हैं, मल मूत्र साफ करते हैं उनको समय पर वेतन मिल सके। किसी नगर क्षेत्र समिति में कूड़ा ढोने की व्यवस्था नहीं है। हर समिति में भैंसा गाड़ी या बैलगाड़ी रख ली गयी है। क्षेत्र वार्डों में बंटा हुआ है। पूरा कूड़ा 15-20 डनलप निकलता है। बैलगाड़ी की उसको ढोने की क्षमता नहीं है। शहरों को स्वच्छ बनाने की बात करते हैं वहां का जनजीवन सुखमय बनाने की बात करते हैं लेकिन जो टाउन ऐरिया हैं उनमें न सफाई की व्यवस्था है, न विद्युत् की व्यवस्था और न पेय जल की व्यवस्था है। पहले हर टाउन एरिया को एक ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जाता था जिसके लिये 50 प्रतिशत स्वास्थ्य परिषद् अनुदान देता और 50 प्रतिशत निकाय अपने कोष से वहन करते थे। लेकिन वह ट्रैक्टर की व्यवस्था बन्द कर दी गयी। उसे पुनः चालू किया जाय।

वर्ष 1957 में सिसवा ड्रेनेज स्कीम बनाने के लिये नगर क्षेत्र समिति ने 5200 पांच हजार दो सौ, रुपया जमा कर दिया और परियोजना बना दी गयी थी। अधीक्षण अभियंता ने लोन के लिये लिख दिया था। लेकिन आज तक ड्रेनेज स्कीम की कोई व्यवस्था नहीं है। शहर में गन्दगी भरी पड़ी रहती है वहां का जन-जीवन साप्त हो रहा है। तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं। हमारा गोरखपुर जनपद नैपाल से लगा हुआ तराई क्षेत्र है, वहां फाइ-लेरिया टाइफाइड, मलेरिया, कालाज्वर का प्रकोप होता है।

टैक्स लगाने की जो नीति है, उसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गयी है, जिस नियमावली को शासन ने पास कर दिया चलचित्र पर कर लगान की बात हुई, उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। ठूंठीबारी, बहुवार, मिचलौल, कटहरी, हरिपुर, पकड़ी बढ़ोलिया, बढ़यां, पकड़ी मिसिर आदि गांवों में कोई पेय जल व्यवस्था नहीं है। वहां पर जल पय की व्यवस्था की जाय। वहां जल दूषित है, कारण कि तराई क्षेत्र नैपाल के समीप बसा है।

श्री अधिष्ठाता––

समाप्त करें।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल––

कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल है। जहां पर अस्पताल है, वहां पेय जल की व्यवस्था जरूर की जाय ताकि मरीजों को शुद्ध जल मिल सके।

श्री अशर्फीलाल यादव (जिला बाराबंकी)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जो स्वायत्त शासन का अनुदान प्रस्तुत हुआ है उसका समर्थन करता हूं। मैं इस स्वायत्त शासन को चार भागों में बांटता हूं। नम्बर 1 नगरमहापालिका, दूसरा नगरपालिका, तीसरा नोटिफाइड एरिया चौथा टाउन एरिया मान्यवर, जहां तक मेरा विचार है जो चौथे नम्बर पर टाउन एरियाज आती है इनके साथ हमेशा शूद्रों जैसा व्यवहार हुआ है। जैसे अपने समाज में शूद्रों की स्थिति होती हैं वही स्थिति स्वायत्त शासन विभाग में टाउन एरिया की हैं। सरकार का ज्यादा पैसा नगरमहापालिका पर खर्च होता है। दूसरे नम्बर पर पैसा नगरपालिका पर खर्च होता हैं। तीसरे नम्बर पर नोटिफाइड एरिया और चौथे नम्बर पर टाउन एरिया का नम्बर आता हैं। अपने प्रदेश में जितनी भी टाउन एरिया है सबकी हालत बहुत खराब हैं। न सड़कें अच्छी हैं, न सफाई का अच्छा इंतजाम है न स्वास्थ्य का और न रोशनी का कोई भी इंतजाम सही नहीं है। हमारे क्षेत्र में दो टाउन एरिया है, दरियाबाद और टिकैतनगर उनकी हालत देखत हैं तो तरस आता है। गर्मियों के सीजन में धूल और बारिस के सीजन में बेहद कीचड़, दोनों नजर आते हैं। कई बार मैंने लिखा-पढ़ी की लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। सरकार से जो पैसा जाता हैं वह बहुत कम मात्रा में जाता हैं।

एक सदस्य––

इन्होंने शूद्र शब्द का प्रयोग किया है जिसे कार्यवाही से निकलवा दिया जाये।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सदस्य इसका ध्यान रखें। आप बोलिए, आपका समय तेजी से जा रहा है।

श्री अशर्फी लाल यादव---

मान्यवर, दरियाबाद टाउन एरिया का पानी खारा है । लोगों की दाल सही ढंग से नहीं पकती है । दाल पकाने के लिये उनको पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है । अतः मेरी मांग है कि यहां पर पानी की व्यवस्था शीघ्र से शीघ्र करायी जाय । टिकैतनगर टाउन एरिया में भी सड़कें, स्कूल, रोशनी आदि के प्रबन्ध ठीक नहीं है, बहुत गड़बड़ी है । मैं मांग करता हूं कि इनका सही इन्तजाम किया जाय ।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी---

मान्यवर मैंने अपनी स्पीच के प्रारम्भ में ही कहा ....

श्री मंगल राम प्रेमी (जिला बिजनौर)---

मान्यवर, सभी कुछ कहा गया, लेकिन सफाई कर्मचारियों के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया । उनके लिये मैं बोलना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य का कहना बिलकुल ठीक है । समय किसी का इन्तजार नहीं करता है । 5 बज इसे पास होना है । आप धैर्य रखिए मंत्री जी को बाद में अपने सुझाव दे दीजियेगा ।

श्री मंगल राम प्रेमी---

मान्यवर, समय बढ़ा दिया जाये । 2 मिनट का समय दे दिया जाय ।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी---

मेरी प्रार्थना है कि 2-3 मिनट आप माननीय सदस्य को दे दें ताकि वह दुखित हृदय से न जायें ।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय मंत्री जी को खुद ही कोई एतराज नहीं है मैं माननीय सदस्य को बोलने देता हूं ।

श्री मुकन्दी सिंह (जिला बिजनौर)---

मैं श्री मंगल राम प्रेमी की ओर से अपने विचार रख रहा हूं । मान्यवर, 30 वर्ष के बाद यह पहला अवसर हैं जब कि इस विभाग पर इतना भारी बजट इस सदन में रखा गया है। देश की समस्यायें बहुत बड़ी है लेकिन पेयजल की जो स्थिति है वह सारे देश में है। बिजनौर जिले के मोटा ढाक, लाल ढाक, भागूथला, मंदावली, राहतपुर, जलालाबाद, समीपुर की ओर आप का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । यह स्थान पेयजल योजना के लिये निश्चित हो गये हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान विशेषकर मोटा ढाक और लालढोंग की ओर दिलाना चाहता हूं जहां पर नाली का पानी इस्तेमाल किया जाता है । उसी में जानवर नहाते हैं, उसी में कपड़े धोये जाते हैं और वही पीने के लिए प्रयोग में लाया जाता हैं । जनता की आकांक्षाओं और उनको दिये गये वायदों और उनकी इच्छाओं को देखते हुए शासन को चाहिये कि उनको पीने के लिये स्वच्छ पानी का प्रबन्ध करें । इन दोनों स्थानों पर तो पानी की बड़ा विकट समस्या हैं ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि चंडी देवी का जो मंदिर है उसके पास का क्षेत्र नजीबाबाद में आता है। वह पहाड़ी क्षेत्र कहलाता है । शहरों में आवास और दुकानों के निर्माण की बात कही गयी है । हमारे बहुत से भाई दुकान

का कार्य करना चाहते हैं जिनमें पिछड़ी जाति एवं हरिजन भी हैं लेकिन दुकान लेने के लिये ऊंची ऊंची पगड़ी देना उनके लिये असम्भव है । तो मेरा निवेदन है कि शहरों में जो बड़े-बड़े नाले हैं, 200-300 फुट चौड़े हैं यदि उनको बन्द करके दुकानों और भवनों का निर्माण कर दिया जाय तो वहां पर आवास एवं दुकानों का प्रबन्ध हो जायगा ।

अभी मेरे पास रामपुर से एक पत्र आया है सफाई कर्मचारियों का उसमें उन्होंने लिखा हैं कि वर्ष 1972–73 से उन बाल्मीकि कर्मचारियों को साबुन तेल और तौलिया नहीं दिया जाता है और यह समस्या बहुत विकट हैं । सम्भबल, नगीना, रामपुर और आगरा में 4–4 और 3–3 माह से वेतन नहीं दिया गया है । नगीना क्षेत्र के जो कर्मचारी है उनके वेतन से जो फंड का रुपया काटा जाता है उसके लिये एन्ट्री करके उनको पासबुकें नहीं मिली है । यह मनुष्य के भविष्य के लिये काटा जाता है लेकिन उनके पास पास-बुक न होने के कारण उनको पता नहीं चल पाता कि कितना रुपया उनका फण्ड में है और यह यह बहुत बड़ा अत्याचार उनके प्रति है ।

नजीबाबाद का क्षेत्र जो गवां के पूर्व का है, जहां पर चन्डी देवी का मन्दिर है और वालावासी और मौजमपुर नारायण आदि का जो इलाका है उसको औद्योगिक क्षेत्र घोषित हो गया है । ऐसा हो जान से जनता शासन हरिद्वार नगर के विकास की एक योजना बनाई है क्योंकि वहां पर भूमि नहीं है तो गंगा नदी के पूर्व जो बिजनौर जिले का इलाका है वहां पर नगर को विकसित करके लिया जा रहा है उस क्षेत्र में आवास की समस्या और उद्योग की समस्या को जो भी हो की जाय मैं, उसका स्वागत करता हूं लेकिन किसी भी क्षेत्र की बात हो उसी क्षत्र के लोगों की डिमांड को ध्यान में रखना चाहिए । माननीय मुख्यमंत्री के सामने इस बात को रखा गया है कि इस क्षेत्र को हरिद्वार के क्षेत्र में न मिलाया जाय ।

दूसरी मेरी प्रार्थना है जो भी हमारे नोटीफाइड एरियाज है, नगर पालिकायें है, टाउन एरिया कमेटी हैं उनमें जो स्कूल चलते है उनमें न बच्चों के लिये भवन है न वहां पर बच्चों के बैठने के लिये टाट है । मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम वहां पर टाट का तो प्रबन्ध कर दिया जाय ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं । मुझे संतोष है कि 30 वर्षों के बाद एक ऐसा बजट देखने को मिला है ।

श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)––

जब इस विषय पर बहस समाप्त हुई और मंत्रीजी उत्तर देने लगे तो एक माननीय सदस्य ने आपसे अनुरोध किया कि सफाई कर्मचारियों क विषय में सदन में कोई नहीं बोला और उसके लिये उन्हें कुछ मिनट का समय दिया जाय। लेकिन उन्होंने इसको अपने साथी को ट्रांसफर कर दिया । जो सज्जन अभी बोल रहे थे उन्होंने भी इन सफाई कर्मचारियों के लिये कोई बात नहीं कही । मंत्री जी ने भी कहा कि अगर आप अनुमति दे दें तो इन्हें भी 5 मिनट का समय दे दिया जाय ताकि यें भी बोल सकें ।

श्री अधिष्ठाता--

शुक्ल जी ने जो बात कही है, मैं कहना चाहता हूं कि यहां "ट्रांस्फरी' जैसी कोई चीज नहीं होती । यहां पर बुलाया गया मुकन्दी सिंह जी को सदस्य की हैसियत से, कोई ट्रांस्फरी की हैसियत नहीं दी जा रही है । शुक्ल जी बहुत विद्वान सदस्य हैं । हम लोगों की कठिनाइयों को देखें तो वह मुझसे सहमत होंगे । आपकी घड़ी की सुई तेजी से आगे जा रही है, इसलिये कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि माननीय मंत्री जी को बुलाया जाय ।

माननीय मंत्री जी, आप बोलिये ।

एक सदस्य--

माननीय मंत्री जी सहमत हो जायं तो समय दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

वह खुद भी कहें कि समय दे दिया जाय तो मंत्री जी की बात अमान्य होगी । माननीय मंत्री जी चलिये ।

*श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, मैंने प्रारम्भ में ही इस बात का प्रयास किया कि कुछ घोषणायें करूं और बीती बातों का जिक्र नहीं किया जायगा आज के डिबेट में । मुझे अपनी असफलता पर पुनः दुख हुआ कि मैं सही ढंग से अपने प्रयास से डिबेट को स्टीयर नहीं कर पाया । जब मैंने इस सदन के आगे निवेदन कर दिया कि कबाल टाउन्स में एक साल के अन्दर एक भी संडास नहीं रहने दिया जायगा यह अगर हो जाता है तो इसका स्वयं महत्व है इसको चमत्कार मानना चाहिये था । कितना इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, शासन ने कितना सोचा है । वित्तीय संसाधनों को जुटाना और सब कुछ करना । फिर भी उसका जिक्र मान्यवर, हुआ ।

खैर, दूसरी बात यह है कि सन् 36 में पंतजी ने कहा था कि हमारी बहिनें, भाई हमारी मातायें जो भंगी हैं वह दूसरों की नाइट स्वायल सर पर उठाकर नहीं चलेंगी । तो सन् 36 से अब हम सन् 78 में इस वक्त इस विषय पर विचार कर रहे हैं लिहाजा यह बात बिलकुल जरूरी है और यह शासन की तरफ से घोषणा है । न हमारे इस प्रदेश में, न भारत के दूसरे प्रदेशों में इस तरह की घोषणायें की गयी हैं, जैसे कि कोई भी हमारी बहिन, मां जो मेहतर हैं वह दूसरे की टट्टी लेकर के नहीं चलेगी । फिर भी एक दो बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं । वह यह है कि सदन को इस बारे में तो जोर ही नहीं देना चाहिए । कोई भी सभ्य आदमी, कोई भी सिविलाइज्ड सरकार, कम से कम अगर साफ पानी नहीं दे सकती है फ्लश लैट्रीन्स नहीं के सकती है, बिजली नहीं दे सकती है, ड्रेनेज का इन्तजाम नहीं कर सकती है सीवरेज का इन्तजाम नहीं कर सकती है तो किसी माने में वह सभ्य और सिविलाइज्ड सरकार कहलाने का हक नहीं रखती है । फिर भी यह हमने देखा है कि पंचवर्षीय योजनाओं में, अरलियर वर्ष में, अब अरबन डेवलपमेंट में काफी पैसा प्रोवाइड न होने की वजह से यह सारी बातें 1978 तक हिन्दुस्तान में और प्रदेश में चली आ रही है । हमको वित्तीय संसाधन जुटाने पड़ेंगे और चाहे जिससे मिलें, प्लान में मिलें, कर्ज में मिलें, अन्तर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल बाडीज है वहां जावें, कहीं भी जावें उसका प्रबन्ध करना पड़ेगा ।

(इस समय 4 बजकर 27 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

जैसा कि माननीय सदस्य सभी जानते हैं, हमारी महापालिकाओं और नगरपालिकाओं में हमारी आमदनी में चोरी भी है चाहे वह आक्ट्राय डिपार्टमेंट हो या दूसरा मैं आपस कहता हूं कि मैं इसको रोकूंगा तो उसका ज्यादा महत्व क्या है? "दि टेस्ट आफ पुडिंग लाइज इन दि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वेक्षण नहीं किया ।

ईटिंग" । अगर हम इसको रोक पायें तो साल भर बाद स्वयं पता चलेगा कि हमने आपकी सेवा क्षमतापूर्वक की या नहीं की । इसलिये मैं किसी भी विभाग के भ्रष्टाचार के बारे में अधिक समय माननीय सदन का नहीं लना चाहता था । उसके लिए मेरा एक होलसोल आश्वासन आपके सामने है कि किसी भी अधिकारी के लिये जो मैलिंजरिंग करेंगे काम में चोरी करेंगे या बेईमानी करेंगे उनके लिये स्वायत्त शासन विभाग में स्थान नहीं मिलेगा । पानी की तकलीफों के बारे में माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र के बारे में चर्चा की है । मैंने पहले ही इस संबंध में घोषणा कर दी है कि जो भी हमारी 614 लोकल बाडीज हैं उन सभी में 3 साल के अन्दर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हम कर लेंगे । इस तरह का ठोस कमिटमेंट आज तक शायद ही किसी की ओर से दिया गया हो । अगर हम अपने इस आश्वासन को पूरा न करें तब आप हमको अयोग्य समझकर निकाल सकते हैं ।

चुनाव की बात कही गयी । चौखम्भा राज्य या विकेंद्रीकरण की बात कही गई । मैं इतना ही कहूंगा कि डा0 लोहिया यह समझते थे कि संविधान के अन्तर्गत जो हमारी लोकल बाडीज हैं उनको कोई भी सरकार उनमें नकेल डालकर मनमाने ढंग से नहीं चला सकती । आप जानते हैं कि हमारी टाउन एरियाज और नोटीफाईड एरियाज और नगर महापालिकाओं की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय हैं, उनके आर्थिक साधन बहुत कम हैं और जो है भी वह नहीं के बराबर हैं । हमारा यह प्रयास है कि हम इन 614 लोकल बाडीज को आर्थिक दशा को भी जिस ढंग से भी संभव हो उस ढंग से सम्भालें । जब उनके आर्थिक साधन अच्छे होंगे तब उनकी समस्यायें खुद हल हो जायेगी और फिर इस तरह की शिकायतें भी नहीं मिलेंगी कि किसी को वेतन नहीं मिला आदि आदि ।

जो हमारे 80 हजार सफाई कर्मचारी है उनके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं और उनको दूसरे विभागीय प्रशासकीय कर्मचारियों के भाँति पे-स्केल्स दिये जायेंगे । उनके लिये ग्रुप इन्श्योरेस की स्कीम भी हमने लागू की है जो अव तक केवल 54 हजार कर्मचारियों पर ही लागू थी । अब सबको इसका लाभ मिलेगा । एक माननीय सदस्यों ने कहा कि आप उनसे 100 रुपये जमा कराइये और यदि सर्विस के रहते किसी की मृत्यु हो जाय तो उसको 5 हजार रुपया दिया जाय । मैं यह बतलाना चाहता हूं कि एक रुपया काटकर इस ग्रुप इन्श्योरेंश के अन्तर्गत सर्विस में रहते यदि किसी की मृत्यु हो जायगी तो उसको 12 हजार रुपया मिलेगा ।

हमारी पुरानी योजनाओं में एक कमी यह भी रही है कि हम सीवर्स का इन्तजाम नहीं कर पाये है । मैंने निवेदन किया कि हम यथासम्भव इसको पूरा करेंगे । क्योंकि हम लज्जित हैं कि भारतवर्ष में इतना भी न कर सके कि 1978 तक हम सब जगह प्रापर सीवर लगा दें । इसलिये 5 महापालिकाओं के बारे में हमने कहा हैं कि वहां एक साल बाद अब यह बातें नहीं रह जायेंगी ।

मान्यवर, एक बात यह है कि गंगा-यमुना में जो गंदा पानी आकर गिरता है शहरों में वह कुछ मील बहने क बाद अपने आप पानी शुद्ध कर लता हैं, लेकिन गंगा और जमुना में जो बड़े-बड़े नाले नदियों में गिरते हैं उनको हम डाइवर्ट करके दूसरी जगह डालेंगे । मैं निश्चित

[श्री गणेशदत्त बाजपेयी]

तो नहीं कह सकता कि एक साल में पूरी तौर पर डाइवर्ट कर देंगे, लेकिन करने की कोशिश में कुछ संदेह न करें । इसको मैं महत्वपूर्ण समझता हूं इसलिये कवाल टाउन में गन्दे पानी को शहर से थोड़ी दूर पर नदियों में मिला देंगे ।

मान्यवर, चुनाव की तिथियों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात नहीं है कि हम चुनाव नहीं कराना चाहते है या पीछे हटना चाहत हैं तो ऐसी बात नहीं है । अब तक जो प्रोग्राम लोकल बाडी का है 16 जून से प्रारम्भ होकर 16 जुलाई तक मतदान हो जाने है । इससे हमने यह किया है कि जल्दी से जल्दी चुनाव करा दें । मतदान की तारीख 16 जुलाई निश्चित है ।

श्री अध्यक्ष---

बरसात में आप चुनाव कराने जा रहे है । यदि उस दिन पानी पड़ गया तो उस दिन मतदान होना मुश्किल होगा ।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी---

मान्यवर, अभी तो ऐसा ही है ।

श्री मुकन्दी सिंह---

18 वर्ष की आयु के लोगों को क्या मतदान में मंत्री जी शामिल कर लेंगे?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी---

इससे हमारा मतलब नहीं है ।

श्री भगवती चरण निमोंही (जिला गढ़वाल)---

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि बदरीनाथ नोटीफाइड एरिया में 10 मई को पट खुलेंगे और नवम्बर में बन्द हो जायेंगे । मेरा निवेदन है कि वहां जल्दी से जल्दी मैजिस्ट्रेट को या चुनाव अधिकारी को आदेश दे दें कि वहां वोटर लिस्ट बना लें ताकि निश्चित समय पर वहां चुनाव हो सकें ।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

मान्यवर, बदरीनाथ या हरिद्वार ऐसे स्थान हैं जिनका अपना एक विशेष महत्व है । उनके बारे में स्वाभाविक है कि हम विशेष रूप से सचेष्ट होंगे माननीय सदस्यों की बात को मानने के लिये । बाकी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में चर्चा की है तो उनका व्यक्तिगत रूप से उत्तर देना समय की कमी के कारण सम्भव नहीं है, लेकिन इतना आश्वासन अवश्य देता हूं कि चाहे उन्होंने कोई कागज दिया है या भाषण में कहा है उसका आदर करते हुए उनके कार्यान्वयन का हर संभव प्रयास किया जायगा ।

एक चीज और है कि नोटीफाइड एरियाज और टाउन एरियाज में हमारी जो चुंगी चौकियां हैं वहां ट्रकों को 25-25 जगह रुकना पड़ता है चुंगी के लिये तो हम उनको हटाने के लिये तैयार हैं बशर्ते कि केंद्रीय सरकार हमारी उनको हटाने से होने वाली क्षति को शतप्रतिशत पूरा कर दें । इससे अधिक और कहने की स्थिति में मैं नहीं हूं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 9-भूमि और भवन कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति

संख्या 9--भूमि और भवन कर, अनुदान संख्या 34--मल निकासी व्यवस्था तथा जल सम्पूर्ति, अनुदान संख्या 36--नगर विकास, अनुदान संख्या 67--सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान, अनुदान संख्या 70--स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर, तथा अभ्यर्पण, अनुदान संख्या 75--सामाजिक सुरक्षा एवम् कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92--ऋण और अग्रिम--स्वायत शासन तथा अनुदान संख्या 93--ऋण और अग्रिम--सहायता एवं पुनर्वासन

के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 34-मल निकासी व्यवस्था तथा जल सम्पूर्ति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10, 46, 45, 600 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36-नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययो को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 35,81,300 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 67-सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,95,52,400 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,34,91,600 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 75-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के

[श्री अध्यक्ष]

लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,01,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 92--ऋण और अग्रिम-स्वायत्त शासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,81,33,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 93--ऋण और अग्रिम-सहायता एवं पुनर्वासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 39,17,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मैं बोल नहीं पाया । मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हुं कि मिर्जापुर में दक्षिणांचल में करीब 1100 गांवों में पीने का पानी नहीं है । वहां त्राहि-त्राहि मची है । वहां के लोग भाग कर शहरों में जा रहे हैं । उनको पानी नहीं मिल रहा है । अकाल की सम्भावना है । मै, मान्यवर; आपके माध्यम से माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

अब तो मतदान समाप्त हुआ । अब आप मंत्रीजी से मिलकर अपनी समस्या का समाधान कीजियेगा । अब इजाजत नहीं देता ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष --

आज नियम 51 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुयी हैं । उनमें एक सूचना है श्री वीरेन्द्र पति यादव, श्री सोहन वीर सिह तोमर तथा श्री कल्पनाथ सिह की है जिसका विषय है मैगपुरी भोगांव मार्ग के गुमटी रेलवे क्रासिग पर 9 सशस्त्र डकैतों द्वारा दिनांक 1 मई, 1978 की रात्रि को फाटक के दोनो तरफ खड़ी रोडवेज बस तथा कार के यात्रियों को लूटा जाना । इसको स्वीकृत किया है ।

श्री रियासत हुसैन ने मी इसी प्रकार की सूचना दी है । इसको स्वीकृत किया है ।

(गृह मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जी को पुकारे जाने और उनके उपस्थित न होने पर) ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय गृह मंत्री जी को उपस्थित रहना चाहिये था जब सूचना दी गयी है, तो ।

नियम 51 में एक सूचना माननीय शिवानन्द नौटियाल ने दी है कि दिनांक 17 व 18 अप्रैल, 1978 को समस्त गढ़वाल मंडल में आंधी व तूफान के कारण कई मकान तथा सरकारी भवनों को क्षति पहुंची है। इस सूचना को . . . .

एक सदस्य—

माान्यवर, माननीय नौटियाल उपस्थित नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

तो वह नहीं ली जा रही है।

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद की स्थापना तथा वहां पर कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों की नियुक्तियों तथा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत होने वाली चर्चा का समाप्त होना

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का नाम पुकारे जाने पर और उनके सदन में उपस्थिति न रहने पर)

श्री अध्यक्ष—.

नहीं हैं, तो चर्चा समाप्त हुई।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
9 मई, 1978

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ट 27 पर) ।

जिला जेल जिला कारागार गोरखपुर में दिनांक 22 दिसम्बर, 1977 को हुई घटना का विवरण:—

जिला कारागार गोरखपुर में दिनांक 22 दिसम्बर, 1977 को बन्दी अध्यापकों से मिलने के लिये 12 बजे दिन तक लगभग 400 व्यक्ति जेल के मुख्य द्वार पर जमा हो गये थे । जेल अधिकारियों ने इन व्यक्तियों को सूचित किया कि उक्त दिन मुहर्रम की छुट्टी है और मुलाकात नही हो सकती । किन्तु आये हुये व्यक्ति नहीं माने और नारे लगाने लगे तथा अपशब्दों का भी प्रयोग करने लगे। भीड़ में से कुछ लोगों ने उत्तेजित होकर कहा कि सन्तरी की बन्दूक छीन लो और उसे पेड़ से बांध दो । इस पर छीना झपटी हुई । रिजर्व गार्ड जो मुख्य द्वार पर सन्तरी की ड्यूटी दे रहा था, ने आवाज लगाई कि लोग बन्दूक छीन रहे हैं कुछ वार्डरों ने उसकी मदद की तथा एक वार्डर ने अलार्म की घंटी बजा दी । 50 सिपाही तुरन्त घटनास्थल पर आ गये । उन्हें देख कर भीड़ भाग खड़ी हुई । इस घटना में मुख्य द्वार पर तैनात रिजर्व गार्ड को बन्दूक की छीना झपटी में पैर में चोट आई । भगदड़ में 4 अन्य व्यक्तियों का भी साधारण चोटें आई । कोई लाठीचार्ज भीड़ पर नहीं किया गया था ।

इसी समय जेल के अन्दर बन्दी अध्यापकों में बाहर भीड़ की नारेबाजी के कारण उत्तेजना फैल गई । वे बाहर आये व्यक्तियों से मिलाई करने की मांग करने लगे तथा अपशब्दों का भी प्रयोग करने लगे । एक उप कारापाल ने जब उन्हें अपशब्दों का प्रयोग करने से मना किया तो शिक्षकों ने उस उप-कारापाल को पकड़ लिया और उन्हें चोटें पहुंचाई । इस कारण जेल में उपस्थित सिपाहियों में उत्तेजना फैल गई और उन्होंने अध्यापक बन्दियों को मारा-पीटा । इस घटना में 61 अध्यापकों, 17 जेल कर्मचारियों तथा 2 बन्दियों को चोटें आई। सभी व्यक्तियों के उचित उपचार की व्यवस्था कर गई थी ।

उक्त घटना की मैजिस्टीरियल जांच करा ली गई है । अधीक्षक तथा 4 अन्य कर्मचारियों को दोषी पाया गया है । जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 40 पर)

संलग्न विवरण

थाना	डकैती		हत्या	
	हरिजन	अन्य जाति	हरिजन	अन्य जाति
कोतवाली	1	3	1	2
कर्वी	..	2	..	7
पहाड़ी	1	2	..	2
राजापुर	..	1	..	3
मऊ	..	2	1	..
बदौसा	..	1	..	4
रैपुरा	..	..	..	1
बबेरू	..	5	2	5
तिंदवारी	..	4	..	3
मटौंध	..	..	1	..
मर्का	..	4	2	3
कमासिन	..	4	..	7
विसन्डा	..	1	..	5
मरैनी	..	4	..	3
अतर्रा	..	1	..	1
गिरवां	..	1	..	3
कालिंजर	..	1	..	..
पैलानी	..	..	1	7
मानिकपुर	..	..	..	..
योग ..	2	36	8	66

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 41 पर)

गोरखपुर रेंज के रेंज आफिसर श्री ए0 पी0 सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के आरोपों का विवरण :—

सर्वश्री रहमत बली तथा सन्त बली ठूंठ मुहर्रिर द्वारा लगाये गये आरोप	प्रारम्भिक जांच का परिणाम
1—चार सौ पेड़ों का नाजायज कटान, 26 पेड़ों का पी0 डी0 स्वीकृति से अधिक कटान तथा तीन पेड़ों का अधिक कपान ।	विभागीय जांच में कुल 473 पेड़ों के ठूंठ पाये गये जिनमें 38 पेड़ विभागीय कार्य के लिये, 79 ग्रामवासियों को पी0 डी0 के रूप में, 338 पेड़ शवदाह के लिये तथा 18 पेड़ पूर्णतया नाजायज तौर से कटे पाये गये । शासन को 24,724.25 रुपये की आर्थिक हानि हुई ।
2—चार फुट गोलाई के पी0 डी0 के पेड़ों के स्थान पर 7 फुट तक के पेड़ों का दिया जाना ।	प्रश्नगत वृक्षों के वर्ग व्यास में अन्तर होने के कारण विभाग को 11,900.00रु0 की आर्थिक हानि हुई जो ऊपर बिन्दु-1 के विरुद्ध दर्शायी गयी हानि में सम्मिलित है ।
3—नसबन्दी कराने के लिये ।	आरोप निराधार पाया गया ।
4—लाट नं0 1289/76-77 में प्रार्थी द्वारा बरसात में काम किया जाना और उपरोक्त में से एक माह का वेतन न दिया जाना ।	आरोप निराधार पाया गया ।
5—वर्ष 1977-78 में दो माह सोलह दिन काम करने का वेतन न मिलना और वेतन मांगने पर राजि अधिकारी, बांकी रेंज द्वारा प्रार्थी को मारा पीटा जाना ।	आरोप निराधार पाया गया ।
6—राजिक अधिकारी से वेतन मांगने पर पिटाई किये जाने पर दिनांक 27-11-77 को प्रभागीय वनाधिकारी से शिकायत करने पर सुनवाई न होना ।	आरोप निराधार पाया गया ।
7—प्रार्थी को लाट नं0 216/77-78 में कार्य पर से दिनांक 2-12-77 को हटा दिया जाना ।	श्री सन्तबली, ठूंठ मोहर्रिर का कार्य सन्तोषजनक न होने के कारण उन्हें दिनांक 28-11-1977 से हटा दिया गया । आरोप निराधार है ।

2—प्रारंभिक जांच के आधार पर निम्नलिखित कर्मचारी दोषी पाये गये :—

1—श्री हृदय नारायण सिंह, वन रक्षक ।

2—श्री धुरहू सिंह, सेक्शन अधिकारी ।

3—श्री ए0 पी0 सिंह, वन राजिक ।

श्री ए0 पी0 सिंह, वन राजिक को प्रधान कार्यालय में अटैच कर दिया गया है तथा उनसे व श्री धुरहू सिंह से उनके द्वारा की गयी अनियमितता का स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा श्री हृदय नारायण सिंह, वन रक्षक को दिनांक 5–12–1977 से निलंबित करके उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

———

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर)

वर्ष 1976 तथा 1977 में जनपद देवरिया में डकैती, कत्ल व मवेशियों की चोरी संबंधी थानेवार लिखाई गयी रिपोर्टों का ब्योरा :—

क्रम-संख्या	थाने का नाम	डकैती		कत्ल		मवेशियों की चोरी	
		1976	1977	1976	1977	1976	1977
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कोतवाली ..	19	14	8	6	41	34
2	रुद्रपुर ..	10	16	4	10	34	25
3	तरकुलुवा ..	6	9	4	1	6	7
4	गौरी बाजार ..	..	7	2	5	14	9
5	रामपुर कार0	10	4	3	3	8	5
6	खुखुन्दु ..	8	6	4	3	16	5
7	बरहज ..	4	5	..	5	17	13
8	सलेमपुर ..	3	5	3	1	7	8
9	लार ..	3	1	1	6	13	13
10	भटनी ..	..	1	1	2	3	8
11	खामपार ..	4	5	3	3	8	10
12	बनकटा ..	3	5	3	3	11	9
13	पडरौना ..	1	8	2	4	9	12
14	कसिया ..	3	4	7	3	14	11
15	पटहेरवा ..	9	7	8	4.	14	4
16	तुर्कपट्टी ..	3	3	..	4	16	10
17	तरिया सुजान ..	2	4	3	1	6	2
18	बिशुनपुरा ..	4	5	2	2	5	5
19	हाटा ..	2	1	8	6	11	5
20	रामकोला ..	3	2	2	4	9	7
21	कप्तानगंज ..	3	3	5	5	7	5
22	नेबुआ नौ0 ..	3	1	1	..	4	6
23	खड्डा ..	1	3	4	1	3	3
	योग ..	104	119	78	82	275	216

नत्थी 'ङ'

सूची

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 44 पर)

बाराबंकी जनपद के विभिन्न थानों के अन्तर्गत 1 सितम्बर, 1977 से 15 फरवरी, 1978 तक हुई कत्ल, डकैती तथा कत्ल शुदा डकैती की वारदातों की सूचना।

क्रमांक	थाने का नाम	कत्ल				डकैती				कत्ल शुदा डकैती			
		कुल संख्या	जिनमें अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई	जो न्यायालय के विचाराधीन हैं	जो विवेचनाधीन हैं	कुल संख्या	जिनमें अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई	जो न्यायालय के विचाराधीन हैं	जो विवेचनाधीन हैं	कुल संख्या	जिनमें अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई	जो न्यायालय के विचाराधीन हैं	जो विवेचनाधीन हैं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	कोतवाली	3	..	1	2	11	1	3	7	1	..	1	..
2	फतेहपुर	6	1	1	4	6	..	2	4	1	..	1	..
3	रामनगर	5	1	2	2	4	..	..	4	2	..	..	2
4	कुर्सी	1	..	..	1	1	..	..	1	..	..	..	..
5	मोहम्मदपुर	5	..	1	4	4	..	..	4	..	..	..	..
6	देवा	4	2	2	..	5	1	..	4	5	..	..	5
7	पटरंगा	2	1	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..
8	राम सनेही	1	1	..	..	4	..	2	2	1	..	..	1
9	सफदरगंज	2	..	2	..	3	..	1	2	..	..	..	..

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	टिकैतनगर	3	..	2	1	1	..	1	..	..	..	..	..
11.	मवई	3	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..
12.	रुदौली	2	1	1	..	2	..	1	1	..	..	..	..
13.	मसौली	..	..	..	..	6	..	..	6	1	..	..	1
14.	कोठी	4	..	4	..	2	..	2	..	..	..	..	..
15.	जैदपुर	6	..	2	4	4	..	..	4	..	..	..	..
16.	असन्द्रा	2	..	1	1	5	..	..	5	1	..	..	1
17.	लोनी कटरा	3	1	1	1	2	..	..	2	1	..	1	..
18.	सुबेहा	1	..	1	..	5	1	4	..	..	..	..	..
	कुल योग	53	8	25	20	66	3	17	46	13	..	3	10

विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ 62 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1978 के चौथे मंगलवार के लिये निर्धारित सर्व श्री बांकेलाल, जगदीश मिश्र, सुखपाल पाण्डे, रबीन्द्र नाथ तिवारी, गौरी शंकर एडवोकेट, रामपति, शिवानन्द नौटियाल व श्रीमती रामरती देवी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–2 का उत्तर––

प्रश्न	उत्तर
2––क्या गृहमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले के थाना इनायतनगर के अन्तर्गत दिनांक 13 मार्च, 1978 को ग्राम सरायनामू, ओरी अहिर का पुरवा में श्री रामदेव अहीर व श्री राम लोटन कहार सायंकाल को गुण्डों द्वारा लाठी बल्लम व फरसा, बन्दूक से लैस होकर उसके परिवार को बुरी तरह मारापीटा गया और घर को फूंक दिया गया ? क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उसमें से कौन-कौन लोग गिरफ्तार किये गये और कितने गिरफ्तारी से वंचित हैं और उन पर कौन-कौन सी दफाएं थानाध्यक्ष ने कायम की हैं ?	2––प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 13 मार्च, 1978 को सायंकाल प्रश्नगत ग्राम में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई जिसके सम्बन्ध में पहले पक्ष के श्री रामदेव ने दिनांक 13 मार्च, 1978 को ही थाना इनायतनगर में दस व्यक्तियोंके विरुद्ध नामजद रिपोर्ट लिखाई जिसके आधार पर दिनांक 15 मार्च, 1978 को दो नामजद अभियुक्त सर्वश्री चन्द्रपाल तिवारी तथा राम अंजोर अहीर गिरफ्तार किए गए। शेष अभियुक्तों ने अदालत में आत्म समर्पण किया। इन सभी अभियुक्तों पर भा0 द0 वि0 की धारा 147/148/149/324/307/436 कायम की गयी हैं। दूसर पक्ष क श्री सत्य नारायण की दिनांक 14 मार्च, 1978 को थाना कोतवाली में सात नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 147/148/323/ 324/ 452/504/588 के अन्तर्गत एक रिपोर्ट दर्ज हुई। सभी नामजद अभियुक्त भाग हुए हैं जिनके विरुद्ध सी0 आर0 पी0 सी0 की धारा 82/83 की कार्यवाही की जायेगी। दोनों पक्षों के बीच तनाव होने के कारण सी0 आर0 पी0 सी0 की धारा 107/116 की कार्यवाही की जा रही हैं।

परिशिष्ट 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 63 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1978 के 5वें मंगलवार हेतु निर्धारित श्री कल्पनाथ सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर:—

प्रश्न	उत्तर
4—क्या मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि ग्राम गोंडा सेरी, थाना गोलाबाजार, जिला गोरखपुर में नसबन्दी के चलते पुलिस की गोली से आपाद्काल के दौरान मिटठू नामक बेलदार की मृत्यु हो गयी और मृतक मिट्ठू के बाप, भाई और गांव के अन्य लोगों के विरुद्ध पुलिस ने मामला चलाया है? यदि हां, तो क्या उक्त मामले को वापस लेने के लिये अनेक विधायकों तथा अन्य लोगों ने आवेदन-पत्र दिया है, यदि हां, तो सरकार ने उक्त मामला वापस लेने का निश्चय किया है, यदि नहीं, तो क्यों ?	4—प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ चलाई गई गोली से घायल हो जाने के फलस्वरूप श्री मिट्ठू की मृत्यु हो गयी। मिट्ठू के बाप श्री बुद्ध चाचा, श्री मुन्ना तथा पुत्र श्री सनेही एवं अन्य कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध भा0 द0 वि0 की धारा 147/148/149/395/307/325/324/323/332/353/338/427/504/224/225 के अन्तर्गत आरोप-पत्र लगाया गया जो न्यायालय के विचाराधीन है। मामले को वापस लेने के सम्बन्ध में कुछ लोगों का एक संयुक्त प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है जो शासन के विचाराधीन है।

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 65 वि0 सभा—16-9-78 (2110) 1978—810(हि0)